लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छटा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit 13-8-92
Fumigated On 15.2.84
Parliament Library

खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय सूची/CONTENTS

अंक 5 शुक्रवार 17 नवम्बर, 1972/26 कार्तिक, 1894 (शक)

No, 5 Friday, November 17, 1972/Kartika, 26 1894 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र. संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
82.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन विकास	Tourist Development in North Eastern Region	—1
83.	मूल्य से कम तथा अधिक राशि के बीजक बनाने को रोकने हेतु उपाय	Steps to check under-invoicing and Over-Invoicing	—4
84.	हरी चाय के निर्यात में कमी	Decline in Export of Green Tea	—7
86.	भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग	Economic Co-operation between India and Japan	—7
87.	भारत के विदेशी व्यापार का पुनर्गठन	Re-Structure of India's External Trade	—8
93.	मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya-Pradesh	—10
94.	चिथड़ों के रूप में बहुमूल्य वस्त्रों का आयात	Import of Costly Garments as Rags	—12
95.	अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को भारतीय क्षेत्र से होकर पाकिस्तान जाने की अनुमति	Permission to International Airlines to fly to Pakistan through Indian Territory	—15
97.	आयातित फटे पुराने ऊनी कपड़े जब्त किया जाना और इसका लुधियाना के हौजरी उद्योग पर प्रभाव	Seizure of imported woollen rags and its impacts on Ludhiana Hosiery Industry	—17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
81.	कम्पनियों में विदेशियों के शेयर	Shares held by Foreigners in Companies	—19
85.	पटसन, चाय, लौह अयस्क और सूती कपड़े के निर्यात में कमी	Decline in export of Jute, Tea. Iron ore and Textiles	—19
88.	मैसर्स केरल लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, त्रिचूर	M/s Kerala Lakshmi Mills Limited, Trichur	—21
89.	एशियन इनवैस्टमेंट सैन्टर और एशियन टेक्नालाजी ट्रान्सफर सेन्टर	Asian Investment Centre and Asian Technology Transfer Centre	—22
90.	संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रिया से अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint from USA and Austria	—22
91.	स्केन्डेनेवियन देशों के साथ व्यापार	Trade with Scandinavaian Countries	—23
92.	दमदम हवाई अड्डे से विमानों की उड़ान व्यवस्था के विरोध में यात्रियों द्वारा दिया गया धरना	Dharna Staged by Passengers and Flight Operations from Dum Dum Airport	—24
96.	दिल्ली में होटल स्थापित करने के प्रस्ताव	Proposals for setting up of Hotels in Delhi	—24
98.	निचले स्तर पर बैंकों के लिये परामर्शदात्री समितियों की स्थापना के लिये प्रस्ताव	Proposal for Setting up of Advisory Committees for Banks at Lower Level	—25
99.	आवश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Commodities	—25
100.	भारत के रक्षित विदेशी मुद्रा कोष में ह्रास	Fall in India's Foreign Exchange Reserves	—26
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
801.	मध्य प्रदेश में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर काम कर रहे मध्य प्रदेश सरकार के इंजीनियरिंग अधिकारी	Engineering Officers of Madhya-Pradesh State Working on Deputation in Public Sector Undertakings situated in Madhya Pradesh	—26
802.	विदेशी ऋण की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में भारत का प्रस्ताव	India's proposal for Rescheduling of Foreign Debt	—27

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
803.	अहमदाबाद में संकटग्रस्त मिलें	Sick Mills at Ahmedabad	—27
804.	जुपिटर मिल्स अहमदाबाद के उत्पादन में कमी	Decline in production of Jupiter Mills. Ahmedabad	—28
805.	मध्य प्रदेश को आर्थिक सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh	—28
806.	खान और धातु व्यापार निगम द्वारा रूमानिया के साथ लौह अयस्क सम्बन्धी निर्यात समझौता	Iron Ore Deal with Rumania through M.M.T.C.	—29
807.	तस्करी की वस्तुओं का जब्त किया जाना	Seizure of smuggled Article	—29
808.	दिल्ली में होटलों के स्वामियों द्वारा हिप्पियों से प्राप्त विदेशी मुद्रा का लेखा जोखा रखा जाना	Mintenance of Accounts of Foreign Exchange received from Hippies by the owners of Hotels in Delhi	—30
809.	सेन्ट्रल बोर्ड आफ रिजर्व बैंक के निर्देशक को चिकित्सा हेतु विदेश जाने के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन	Allocation of Foreign Exchange to the Director of Central Board of Reserve Bank for going Abroad for Medical Treat-ment	—30
810.	उत्पादन व सीमा शुल्क विभाग में तलाशी लेने वाली महिलायें	Lady Searchers in the Excise and Customs Department	—31
811.	एयर इंडिया की संचालन कुशलता	Operational Efficiency of Air India	—31
812.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टोरेट, मदुरै द्वारा तीसरी पार्टी के माल का पकड़ा जाना	Seizure of Third Party Goods by the Collectorate of Central Ex-cise Madurai	—32
813.	विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति पर अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Teams on Drought Conditions in various States	—32
814.	राज्यों में सूखे की परिस्थिति के निर्धारण का ढंग	Mode of Assessment of Drought Conditions in States	—33
815.	सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कर्मचारी	Employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Public Undertakings	—34
816.	इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन के कार्यकरण की जांच के लिये समिति नियुक्त करने की मांग	Demand for Appointment of Com-mittee on the working of Indian Institute of Public Administra-tion	—35
817.	देश में शराब का आयात	Import of Liquor in the country	—35

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
818.	चीनी पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Sugar	—36
819.	सूखा तूफान तथा बाढ़ राहत के रूप में राज्यों को सहायता	Assistance to States for Droughts, Cyclones and Flood Relief	—36
820.	नासिक देवलाली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का तुलन-पत्र	Balance Sheet of Nasik Deolali Electric Supply Company	—37
821.	सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण की जांच के लिये समिति	Committee on Working of Public Sector Undertakings	—37
822.	कृषि आय कर से राजस्व	Revenue from Tax on Agricultural Income	—38
823.	पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारत के भुगतान शेष के अन्तर को कम करने के उपाय	Measures to cover Gap in India's Balance of Payment during Fifth Plan	—38
824.	राजस्थान सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में बड़े एककों की स्थापना के लिये कम ब्याज पर ऋण देने का अनुरोध	Request made by Rajasthan Government Re : Concessional Finance to set up large scale units in backward areas	—39
825.	सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान	Payment of Pension to Retired Government Employees	—39
826.	संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के प्रबन्ध ग्रहण को स्थगित करने के बारे में आर्थिक समन्वय समिति का निर्णय	Economic Coordination Committee's decision to postpone take over of Sick Textile Mills	—40
827.	इरी और टसर रेशम के उत्पादन के बारे में सर्वेक्षण	Survey regarding Production of Eri and Tassar Silk	—40
828.	सरकारी उपक्रमों में मैसूर के लोगों के लिये नौकरियों का आरक्षण	Reservation of Jobs for people belonging to Mysore in Public Undertakings	—40
829.	मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात, दिल्ली के कार्यालय में अपर डिवीजन क्लर्कों के रिक्त स्थान	Filling up of vacant posts of UDC's in the office of CCI and E	—41
831.	लुधियाना में होजरी उद्योग का बन्द होना	Closure of hosiery industry in Ludhiana	—42
832.	भारत और बंगला देश के बीच पटसन समुदाय का बनाया जाना	Forming of Jute Community between India and Bangladesh	—42
833.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के व्यापार में वृद्धि	Rise in MMTC Trade	—42
835.	कृत्रिम रेशे का आयात	Import of Synthetic Fibre	—43

अता.प्र. संख्या U.S,Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
836.	इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इन्डिया की उड़ानों की बुकिंग के लिए कम्प्यूटरों से आरक्षण करने की व्यवस्था का प्रयोग	Use of computerised reservation system for bookings on flights of Indian Airlines and Air India	—43
837.	निर्यात संवर्धन नीति में संशोधन	Revision of Export Promotion policy	—44
838.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये नये कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक अलग बोर्ड का गठन	Constitution of separate Board to recruit new staff for Nationalised Banks	—44
839.	तीसरे वेतन आयोग के कर्मचारियों की संख्या	Strength of Staff to Third Pay Commission	—44
840.	तीसरे वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना	Submission of Report by third Pay Commission	—45
841.	छोटे सिक्कों की कमी	Shortage of Small Coins	—46
842.	नेपाल से वस्तुओं की तस्करी	Smuggling of goods from Nepal	—46
843.	यूरोपीय साझा बाजार देशों के साथ करार	Agreement with ECM Countries	—47
844.	सिलिका रेत का जापान को निर्यात	Export of Silica Sand to Japan	—48
845.	कच्चे माल की कमी के कारण काजू कारखानों का बन्द होना	Closure of Cashew Factories for want of raw material	—48
846.	चीथड़ों सम्बन्धी घोटाले की जांच	Enquiry into Rags Racket	—49
847.	देश के हवाई अड्डों का स्तर बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to upgrade airports in the country	—49
848.	एशिया, 72 मेले पर लागत व्यय	Cost of Asia'72 Fair	—49
849.	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से जूतों का निर्यात	Export of shoes through STC	—50
850.	बिहार में स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Small Scale industries in Bihar by State Bank of India	—50
851.	जनता के पास और बैंकों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रतिशतता	Percentage of Monetary resources with the public and the banks	—51
852.	छोटे बैंकों का कार्यकरण	Working of Small Banks	—51
853.	भारत स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा रुपया बाहर भेजने पर नियंत्रण	Control over remittances by foreign Companies in India	—51

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
854.	विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of foreign Bank	—52
855.	इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों द्वारा उपकरणों पर धन बरबाद किया जाना	Money wasted on equipment by officials of Indian Airlines	—52
856.	बीमे की नई पालिसियाँ जारी करने के मामले में ब्रिटेन सरकार द्वारा इण्डियन जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी पर प्रतिबन्ध	Ban by U.K. Government on Indian General Insurance Company to under take new policies	—53
857.	देश में होटलों का निर्माण	Construction of Hotels in the country	—53
858.	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारण के लिए प्रार्थना	Request made by Madhya Pradesh Governm:nt regarding fixation of prices of essential Commodities	—53
859.	कराधान के लिए पति और पत्नी की आय का जोड़ा जाना	Clubbing of Income of Husband and Wife for Taxation	—54
860.	इंडियन ऐयर लाइन्स के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की जांच करने के लिए एक पैनल बनाना	Formation of a Panel to probe into the wage Structure of employees in Indian Airlines	—54
861.	योरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रतिनिधि का दौरा	British Envoy's visit Regarding U.K, S. entry into ECC	—54
862	राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेना	India's Participation in Commonwealth Finance Ministers' Conference	—55
863.	साइकिलों तथा मोटर साइकिलों के लिये विदेशों से निर्यात क्रयादेश	Export Orders for Bicycles and Motor Cyceles from Foreign Countries	—55
864.	आठवें डेरी उद्योग सम्मेलन की सिफारिश	Recommendations of 8th Dairy Industry Conference	—56
865.	पोलैंड से मिथिला कलाचित्रों के आर्डर	Orders for Mithila Paintings from Poland	—56
866.	बाइसिकलों का निर्यात	Export of Bicycles	—56
868.	सरकारी क्षेत्र प्रतिष्ठान के लिए पृथक कानून	Separate Company Law for Public Sector Undertaking	—57
869.	बंगला देश से मछलियों का आयात	Import of Fish from Bangladesh	—57
870.	बंगला देश के साथ होने वाले व्यापार में शामिल की गई वस्तुएं	Items included in Trade with Bangladesh	—58

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
871.	बंगला देश के साथ निजी तौर पर व्यापार को प्रोत्साहन	Encouragement of Private Sector Trade with Bangladesh	—58
872.	इण्डियन एयर लाइन्स के विमानों का ठीक समय पर न उड़ना	Indian Airlines Services not keeping to Schedule Timings	—58
873.	सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उच्चतम पदों पर नियुक्तियां	Appointments on Top Posts in Public Sector Undertakings	—59
874.	भारत में आयकरदाता	Income Tax Payers in India	—59
875.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की बैठक में विनिमय दरों में संशोधन के बारे में भारत द्वारा किये गये प्रस्ताव	India's proposals regarding revision of Exchange Rates at the meeting of International monetary Fund	—60
876.	बम्बई में तस्करियों की घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Watches in Bombay	—60
877.	जयपुर में तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods in Jaipur	—61
878.	इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के विमानों में वायस रिकार्डर न लगाया जाना	Non installation of Voice Recorders in Aeroplanes of Indian Airlines and Air India	—61
879.	पालम हवाई अड्डे का कन्ट्रोल टावर	Control Tower of Palam Aerodrome	—61
880.	राष्ट्रीय आय में ह्रास	Decline in National Income	—62
881.	कानपुर में हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Airport at Kanpur	—62
882.	दिल्ली कानपुर लखनऊ दिल्ली के मध्य वृत्ताकार उड़ानों का पुनः आरम्भ करना	Restoration of Circular Flight Delhi Kanpur-Lucknow-Delhi	—62
883.	आयकर अधिभार	Surcharge on Incomes	—63
884.	जापान से तकनीकी सहायता के लिए समझौता	Agreement for Technical Aid from Japan	—63
885.	नकद राशि, आभूषण, हीरों, सेफ डिपाजिट बाल्ट और बैंक लाकर्स की सीमा निर्धारित करना	Ceiling on Cash, Jwellery, Diamonds, Safe Deposit Vault and Bank Lockers	—63
886.	सरकारी कर्मचारियों और अन्य नागरिकों की तलाशी	Searching of Houses of Government Servants and Private Citizens	—64
887.	दिल्ली में पालम के निकट जापान एयर लाइन्स के विमान दुर्घटना के बारे में जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of the Enquiry Committee on the Crash of a Japan Airlines Plane near Palam in Delhi	—64

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
888.	11 अगस्त 1972 को दिल्ली में पालम के निकट हुई बिमान दुर्घटना के बारे में न्यायिक जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of the Judicial Enquiry Committee Regarding Aircrash near Palam in Delhi on 11-8-1972	—64
889.	विदेशी मुद्रा का क्षरण	Leakage of Foreign Exchange	—65
890.	सहायता संघ देशों से सहायता के लिये करार	Agreement for Aid from Consortium Countries	—6
891·	कुवेत के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Joint Venture with Kuwait	—66
893.	नारियल जटा यार्न के निर्यात व्यापार में वृद्धि करना	Boosting export of Coir Yarn	—66
894.	भारतीय चाय के बारे में आयरिश आयात कर्ताओं से शिकायत	Complaints from Irish Importers Re : Indian Tea	—67
895.	बिहार द्वारा शक्तिचालित करघों का कोटा बढ़ाने के लिए अनुरोध	Bihar's request for increase in Powerloom Quota	—67
896.	रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum from Rubber Board Employees	—68
897.	आयकर आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय में उच्च श्रेणी लिपिकों के रिक्त पद	Vacancies of Upper Division Clerks in the Office of Commissioner of Income Tax, Delhi	—68
898.	दिल्ली स्थित केन्द्रीय समाहर्ता, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती	Recruitment of Lower Division Clerks in the Office of Collector, Central Excise and Customs, Delhi	—69
900.	इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की अलाभकारी उड़ानें	Uneconomic filights of Indian Airline Planes	—69
901.	पर्यटन वित्त निगम का गठन	Formation of Tourism Finance Corporation	—69
902.	मैसूर के गुलबर्गा जिले के लिए मैसूर को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Mysore for Gulbarga District of Mysore	—70
903.	ब्रिटिश और अमरीकन विमान कम्पनियों द्वारा अटलांटिक के पार, विमान किराये में कटौती किये जाने का एयर इण्डिया की लन्दन से न्यूयार्क तक की विमान सेवा पर प्रभाव	Affect on Air India's Service from London to New York due to cuts in Air fare across Atlantic by British and American Airlines	—70

अता.प्र. संख्या U.S.Q.No,	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
904.	खनिज तथा धातुव्यापार निगम द्वारा दुर्लभ खनिजों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Scarce materals by MMTC	—71
905.	सरकार की वित्तीय नीतियों की जांच के लिये आयोग	Commission for examination of Government's Fiscal policies	—71
906.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से वित्तीय सहायता	Financial assistance from International Development Association	—71
907.	एयर इण्डिया द्वारा इंडियन एयरलाइन्स को बोइंग 707 विमान बेचे जाने का निर्णय	Decision to sell Boeings 707 to the Indian Airlines by Air India	—72
908.	कलकत्ता से अगरतला को शाम की उड़ान बन्द करने के कारण यात्रियों को हुई कठिनाइयां	Difficulties faced by Passengers due to suspension of Evening Flights from Calcutta to Agartala	—72
909.	निर्यात और आयात का मूल्य	Value of Exports and Imports	—72
910.	राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन और निदेशकों की नियुक्ति	Appointment of Chairman and Directors for STC	—73
911.	सट्टेबाजी द्वारा स्टाक एक्सचेंजों का दुरुपयोग	Misuse of Stock Exchanges by Speculators	—74
912.	कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा दिया जाना	Donations to Political Parties by Companies	—74
913.	बन्द पड़ी या समाप्त हो रही कपड़ा मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना	Taka over of Textile Mills lying closed or under Liquidation	—75
914.	कलकत्ता क्लेम्स ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted to Government by Employees of Calcutta Claims Bureau	—75
915.	उड़ीसा में बकाया ऋणों की वसूली	Recovery of Outstanding loans in Orissa	—75
916.	शा वैलेस कम्पनी, कलकत्ता	Shaw Wallace Company, Calcutta	—76
917.	फर्मों को विदेशों में खाते बन्द करने का रिजर्व बैंक का आदेश	RBI Instructions for Closure of Accounts of Firms in Foreign Countries	—76
918.	फटे पुराने कपड़ों के नाम पर ऊनी कपड़े आयात करके आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Licences by Importing Woolen Garments in the guise of Rags	—77
919.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में मुद्रा सुधार के लिए अमरीकी प्रस्ताव	U.S. Proposal for Monetary Reforms at the Meeting of International Monetary Fund	—78

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
920.	निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में अनियमितताओं के मामले	Cases of Irregularities in Export Incentive Schemes	—78
921.	विदेशी कम्पनियों द्वारा देश से बाहर धन भेजना	Remittances by Foreign Companies	—79
922.	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उद्यमियों को दिया गया ऋण	Loans Advanced by IFC to Enterprises	—79
923.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन	Report on the Working of MMTC	—80
924.	केन्दू पत्ता व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Kendu Leave Trade	—80
925.	चाय व्यापार निगम का गठन तथा उसके कर्तव्य	Constitution and Functions of Tea Trading Corporation	—80
926.	विदेशियों द्वारा होटल बिलों को विदेशी मुद्रा में अदा करने की योजना	Scheme for payment of hotel bills by foreigners in foreign exchange	—81
928.	उचित दर की दुकानों के माध्यम से मोटे कपड़े का वितरण	Distribution of coarse cloth through fair price shops	— 82
929.	ऊनी वस्त्रों के चोरी छिपे किये गये निर्यात की जांच .	Enquiry into eladestine Import of Woollen clothes	—83
930.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा तांबे के आयात और बिक्री पर अर्जित लाभ	Margin of Profit earned by MMTC on the Import and sale of Copper	—84
931.	विमानों को खींचकर ले जाने के लिये खरीदे गये ट्रैक्मा ट्रैक्टरों को विभिन्न हवाई अड्डों पर पड़े पड़े जंग लगना	Tracma tractors purchased for towing aircrafts rusting at various airports	—84
932.	कम्पनियों द्वारा लाभांश का वितरण	Distribution of dividends by Companies	—85
933.	बुल्गारिया के साथ यूरिया आयात करने के लिये दीर्घावधि करार	Long term agreement with Bulgaria for Importing Urea	—85
934.	उर्वरक सम्बन्धी भारत कुवैत व्यापार समझौता	Indo Kuwait trade Agreement regarding fertilisers	—85
935.	स्विटजरलैंड की सरकार से ऋण	Credit from Swiss Government	—86
936.	सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत के उपाय करने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to States for relief measures in drought affected areas	— 86

अता.प्र. संख्या US.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
937.	ऊनी कपड़ों का अवैध आ ात	Illegal Import of Woollen garments	—86
938.	दिल्ली में फिल्म वितरकों और सिनेमा मालिकों की ओर आयकर की बकाया धनराशि	Arrears of Income Tax due from the Film Distributors and Cinema owners of Delhi	—27
939.	औद्योगिक ग्रहों की ओर करों की बकाया राशि	Arrears of taxes against Industrial Houses	—88
940.	मारुति कम्पनी लिमिटेड का पूंजीगत ढांचा	Capital structure of Maruti Company Limited	—88
941.	विदेशों से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from Foreign countries	—89
942.	कुवेत से व्यापार प्रतिनिधिमंडल	Trade Delegation from Kuwait	—89
943.	विदेशों में भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण	Working of Nationalised Indian Banks Abroad	—90
944.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्ता के दिल्ली कार्यालय में अपर डिवीजन क्लर्कों और स्टेनोग्राफरों के रिक्त पद	Vacancies of UDCs and Stenographers in the office of Collector, Central Excies and Customs, Delhi	—90
945.	वर्धित यूरोपीय साझा बाजार के निर्यात बढ़ाने के लिये वर्तमान निर्यात संवर्धन नीतियों में परिवर्तन	Changes in Existing Export Promotion Policies to Push up Exports to Enlarged EEC	—91
946.	सोवियत संघ द्वारा चप्पलें खरीदना पुनः आरम्भ करना	Revival of Purchase of Chappals by USSR	—92
947.	राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण पर जाँच समिति का निष्कर्ष	Findings of Enquiry Committee on the Working of STC	—92
948.	दिल्ली स्थित अयोध्या मिल के प्रबन्ध की जांच	Enquiry into Management of Ayodhya Mills, Delhi	—93
949.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये स्थायी निदेशक बोर्डों का गठन	Constitution of Permanent Boards of Directors for Nationalised Banks	—93
950.	जीवन बीमा निगम द्वारा सूखा ग्रस्त राज्यों को वित्तीय सहायता	Extension of Financial Assistance by LIC to Drought Affected States	—94
951.	सूडान, संयुक्त अरब गणराज्य और पूर्वी-योरोपीय देशों को टायरों का निर्यात करने की सम्भावना	Scope for Tyre Export to Sudan, UAR and East European Countries	—94
952.	गाजीपुर स्थित ओपीयम फैक्टरी में इंजीनियरिंग सेवाओं का पुनर्गठन	Reorganisation of Engineering Services in the Opium Factory, Ghazipur	—95

अत.प्र. संख्या U.S.Q. No,	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
953.	वर्ष 1939 का भारत इंगलैंड व्यापार करार	Indo U. K. Trade Agreement of 1939	—95
954.	सितम्बर, 1972 में जापान एयरलाइन्स के 'डी सी-8 विमान' का जूहू में आपाती अवतरण	Emergency Landing of Japan Airlines, DC-8 Aircraft at Juhu in September, 1972	—95
956.	जूतों के निर्यात का अधिग्रहण	Take over of Shoe Export	—96
957.	हस्तशिल्प सामग्री के बारे में विदेशों में सर्वेक्षण	Survey in Foreign Countries for Handicrafts	—96
958.	इंडियन एयरलाइन्स की असंतोषजनक उड़ान सारणी	Unsatisfactory flight of schedules of Indian Airlines	—96
959.	सूत उपलब्ध न होने के कारण बेरोजगार हुए बुनकर	Weavers rendered jobless due to non availability of Yarn	—97
960.	जूट के मूल्य में गिरावट	Decline in price oJ raw jute	—97
961.	प्रचार डिवीजन का पर्यटन विकास निगम को हस्तान्तरण	Transfer of Publicity Division to Tourism Development Corporation	—97
962.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त उच्च पद	Top vacancies in Public Sector Undertakings	—98
963.	एशियाई व्यापार मेला, 1972 में आमन्त्रित और भाग लेने वाले देश	Countries invited and Participated in Asian Trade Fair 1972	—99
964.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया से दुर्विनियोग किये गये विदेशी मुद्रा के परमिट	Misappropiration of Exchange permits from Reserve Bank of India	—101
965.	इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के कार्यकरण में कथित दोष	Alleged lapses on the part of Indian Motion picture Export Corporation	—101
966.	पुराने करेंसी नोटों का परिचालन	Circulation of soiled currency notes	—101
967.	अतिरिक्त अन्तरिम राहत के भुगतान से सम्बन्धित वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा असन्तोष व्यक्त किया जाना	Dissatisfaction of Central Government Employees over Pay Commission's Report on payment of additional interim relief	—102
970.	इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष द्वारा पदत्याग	Resignation of Chairman, Indian Air Lines	—103
971.	नारियल जटा के निर्यात में गिरावट	Decline in Export of Coir Yarn	—103

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
972.	दिल्ली स्थित भारतीय रुई निगम के कार्यालय में भर्ती	Recruitment in office of Cotton Corporation of India, Delhi	—103
973.	रुई निगम के कार्यालय को पंजाब से दिल्ली स्थानान्तरित करना	Shifting of Office of Cotton Corporation from Punjab in Delhi	—104
974.	विदेशों में भेजे गये व्यापार शिष्ट-मंडल	Trade Delegations sent Abroad	—105
975.	विदेशों के लिये मंजूर किये गये तथा स्थापित किये गये संयुक्त उपक्रम	Joint ventures approved and set up in foreign countries	—105
976.	काला धन बाहर निकालने के लिये कानपुर में छापे	Raids in Kanpur to Unearth Black Money	—105
977.	केरल को दिए गए ऋण को बट्टे-खाते में डालना	Writing off of loans given to Kerala	—106
978.	फटे पुराने ऊनी वस्त्रों के आयात पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Import on Wollen Rags	—107
979.	राज्यों में बाढ़ तथा तूफान के कारण उत्पन्न स्थिति का मूल्यांकन करने वाले अध्ययन दल के प्रतिवेदन	Reports of Study Team to Assess Situation due to Floods and Cyclones in States	—107
980.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार के किसानों को सहायता	Assistance to Farmers of Bihar by Nationalised Banks	—108
981.	मोटे कपड़े (कोर्स क्लाथ) के वितरण को सरकारी अधिकार में लेना	Take over of Distribution of Coarse Cloth	—109
982.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने के बारे में तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Third Pay Commission Re: Interim Relief to Central Government Employees	—109
983.	मैसर्स मर्करी ट्रेवल्स द्वारा विदेशी ट्रेवल्स ऐजेन्सियों से भारत में विदेशी पर्यटकों के पर्यटन सम्बन्धी प्रबन्ध के लिए प्राप्त की गई राशि	Paymentsr eceived by M/s Mercury Travels from Foreign Travel Agencies for tours Managed for Foreign Tourists in India	—110
984.	निर्यातों में वृद्धि की दर	Growth Rate in Exports	—111
985.	भारत और बंगला देश के मध्य सीमान्त व्यापार स्थगित करने का निर्णय	Decision to suspend Border Trade between India and Bangladesh	—112

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
987.	विदेशी पर्यटकों द्वारा होटल के बिलों का विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए प्रबन्ध	Arrangements for Payment of Hotel Bills by Foreign Tourist in Foreign Exchange	—112
988.	बैंकिंग आयोग की सिफारिशें	Banking Commission's Recommendations	—112
989.	भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी	Decline in the number of Foreign Tourists to India	—112
990	विदेशों से वित्तीय सहायता	Financial assistance from foreign countries	—113
991.	अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिये भारत बंगला देश व्यापार करार का पुनरीक्षण	Review of Indo Bangladesh Trade Agreement to curb illegal Trade	—113
992.	मिश्र के व्यापार प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा	Egyptian Trade Delegation's visit to India	—114
993.	केरल में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को क्रियान्वित करने वाली काजू फैक्टरियों की सूची	List of Cashew Factories in Kerala Implementing Minimum Wage Act	—114
994.	कालीकट में कोडूपुर हवाई अड्डे का पूरा होना	Completion of Kodupur Aerodrome in Calicut	—115
995.	कोचीन पत्तन पर बेकार पड़ा काजू	Cashew lying idle at Cochin Port	—115
996.	एयर इंडिया द्वारा आंग्ल फ्रेंच अतिस्वन कानकार्ड 002 की खरीद	Purchase of Anglo French Supersonic Airliner Concorde 002 by Air India	—115
997.	दिल्ली के नारंग बैंक के विरुद्ध जांच	Investigation against Narang Bank Delhi	—116
998.	संकटग्रस्त मिलों के मजदूरों को बोनस	Bonus to Workers of Sick Mills	—116
999.	कोचीन में सिविल हवाई अड्डे का तैयार हो जाना	Campletion of Civil Aerodrome at Cochin	—116
1000.	फर्मों द्वारा कम राशि के और अधिक राशि के बीजक बनाना	Under-invoicing and over-invoicing by Firms	—117
	मैसूर में सोना पकड़े जाने के बारे में 23 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5725 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Correction of Answer to U.S.Q. No. 5725 dated 23-7-71 regarding Seizure of Gold in Mysore	—117
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	—118-27

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
दिल्ली विश्वविद्यालय का बंद किया जाना	Closure of Delhi University	—118
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	—118
प्रो० एम० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	— 119
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	—127
मद्रास हवाई अड्डे पर संसद सदस्य श्री के० मनोहरन पर कथित आक्रमण	Alleged Assault on Shri K.Manoharan, M. P. at Madras Airport	—127
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	—129
प्रत्यक्ष करों की बकाया धनराशि के बारे में 18 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 261 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q. No 261 dated 18th August, 1972 Arrears of DirectT axes	—131
फारमोसा के साथ व्यापार सम्बन्धों के बारे में 8 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q. No. 123 dated 8th August, 1972 re. Trade Relations with Formosa	—132
सभा का कार्य	Business of the House	—132
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	Motion Re. Eighteenth Report of Committee on Private Members' Bills and Resolutions—Adopted	—133
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	
[एक] कम्पनी (संशोधन) विधेयक (धारा 226 और 619 का संशोधन) श्री नवल किशोर शर्मा द्वारा	(i) Companies (Amendment) Bill (Amendment of sections 226 and 619) by Shri Nawal Kishore Sharma	—134
[दो] संविधान (संशोधन) विधेयक (धारा 22, 32 आदि का संशोधन) श्री दीनेन भट्टाचार्य द्वारा	(ii) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 22,32 etc.) by Shri Dinen Bhattacharyya	—134
[तीन] खान (संशोधन) विधेयक (धारा 12, 64 आदि का संशोधन) श्री एस०सी० सामन्त द्वारा	(iii) Mines (Amendment) Bill (Amendmend of sections 12,64 etc.) by Shri S.C. Samanta	—135
[चार] जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक (धारा 10, 20 आदि का संशोधन) श्री एस०सी० सामन्त द्वारा	(iv) Coir Industry (Amendment) Bill (Amendment of sections 10,20 etc.) by Shri S.C. Samanta	—135
(पांच) दिल्ली किराया नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक (धारा 2 का संशोधन) श्री शशि भूषण द्वारा	(v) Delhi Rent Control (Amendment) Bill (Amendment of section 2) by Shri Shashi Bhushan	—135

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
पुस्तकों तथा समाचार पत्रों का परिदान (लोक ग्रन्थालय) संशोधन विधेयक के बारे में	Re. Delivery of Books and Newspapres (Pubiic Libraries) Amendment Bill	
गो-वध रोक विधेयक श्री भारत सिंह चौहान द्वारा	Prevention of Cow Slaughter Bill by Shri Bharat Singh Chowhan	—136
विचार करने का प्रस्ताव—जारी	Motion to consider-Contd.	
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	—137
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	—137
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan	—138
श्री शिवकुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	—138
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	—139
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri Somchand Solanki	—139
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	—140
श्री शम्भू नाथ	Shri Shambhu Nath	—140
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar	—140
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji	—140
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh	—141
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan	—141
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill	—141
(धारा 240 और प्रथम अनुसूची का संशोधन) श्री बी०के० दास चौधरी द्वारा	(Amendment of Article 240 and First Schedule) By Shri B.K. Daschodhury	—141
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री बी. के. दासचौधरी	Shri B.K. Daschowdhury	—141
श्री एस. सी. सामन्त	Shri S.C. Samanta	—142
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	—143
श्री सी. चित्तिबाबू	Shrl C. Chittibabu	—143
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai	—144
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	—144
अठारहवां प्रतिवेदन	Eighteeneh Report	—144
आधे घंटे की चर्चा	Half an Hour Discussion	—144
शिक्षा संस्थाओं के ढांचे में परिवर्तन	Changes in Structure of Educational Institutions	—144
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	—144
प्रो० एस० नुरूल हसन	Prof. S. Nurula Hasan	—145

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 17 नवम्बर, 1972/26 कार्तिक, 1894 (शक)

Friday, 17 November, 1972/Kartika 26, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बज कर तीन मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at three minutes last Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन विकास

***82. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी**: क्या **पर्यटन और नगर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन विकास की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) और (ख) जी, हाँ। एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

चौथी योजना में काजीरंगा, गौहाटी और गरम पानी का पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्यटक यातायात की सुविधा के लिए विमान-क्षेत्र सुविधाओं में भी सुधार किया जा रहा है।

विकास का स्वरूप निम्न प्रकार है :-

1. काजीरंगा में 10.40 लाख रुपये की लागत से एक विश्राम गृह का निर्माण किया जा रहा है। वन्य पशु शरण स्थान में पर्यटकों के उपयोग के लिए 84,000/- रुपये की लागत से 2 मिनी बसों की भी व्यवस्था की गई है।

2. गोहाटी में 8 लाख रुपये की लागत से एक पर्यटक बंगले का निर्माण किया जा रहा है।

3. 'गरम पानी' प्रदेश की 1.44,000/- रुपये की लागत से शोभा वृद्धि की जा रही है।

4. बड़ा पानी में 135 लाख रुपए की लागत से एक हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है जिसके कि 1973 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

5. एजल विमान-क्षेत्र पर उसे सिविलियन विभागों के परिचालन के लिए पहली जनवरी, 1973 तक तैयार कर देने के लिए निर्माण कार्य चल रहा हैं।

6. अगरतला के उत्तर-दक्षिणी धावन-पथ को बोइंग-737 विमानों के परिचालन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए 124 लाख रुपये की लागत से चौड़ा, मजबूत एवम् विस्तारित किया जा रहा है।

7. मोहनबाड़ी के धावन-पथ को बोइंग 737 विमानों के परिचालन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए 69 लाख रुपये की लागत से अधिक मजबूत किया जा रहा है।

8. जोरहाट और तेजपुर में सिविल आहातों का विकास किया जा रहा है।

9. उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में अनेक हवाई अड्डों के टर्मिनल भवनों का अधिक अच्छी यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए विस्तार किया जा रहा है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : पूर्वोत्तर प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य के अतिरिक्त काफी हरियाली है और इस प्रदेश में वन्य पशुओं की भी बहुतायत है। मुझे पता चला है कि इस प्रदेश में समस्त विश्व में सबसे अधिक वन्य पशु हैं। फिर यहां पर कई जनजातियों के लोग रहते हैं और उनकी भिन्न-भिन्न संस्कृतियाँ और परम्पराएं हैं। इन सब बातों में पर्यटकों की काफी रूचि होती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि विदेशी लोगों का तो कहना ही क्या, भारतीय जनता को भी समस्त पूर्वोत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कम जानकारी है। इस विचार से क्या मैं पूछ सकता हूं कि इश्तहार छाप कर या वृत्त चित्रों अथवा दृश्य एवं श्रव्य साधनों से इस प्रदेश की विभिन्न क्षमताओं का प्रचार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० सरोजिनी महिषी : जी, हां। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, इस समस्त प्रदेश में हरियाली और वन्य पशुओं की बहुतायत है। देश में ऐसे और भी अनेक स्थान हैं जो सुन्दर दृश्यों से ओतप्रोत हैं। जहां तक पूर्वोत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में प्रचार का सम्बन्ध है, हमने आसाम और मणिपुर के सम्बन्ध में पुस्तकाएं प्रकाशित की हैं। काजीरंगा वन्य पशु शरण स्थल का विशेष रूप से प्रचार किया गया है। यदि माननीय सदस्य विवरण को पढ़े तो उन्हें पता चलेगा कि पर्यटकों के लिए विमानन और आवास सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैंने विवरण को पढ़ा है। परन्तु मेरी शंका यह है कि विवरण में उल्लिखित उपाय केवल कागजी कार्यवाही मात्र हैं और अभी तक कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है। उदाहरण के लिए, विवरण में गोहाटी में 8 लाख रुपये की लागत से एक पर्यटक बंगला बनाये जाने का उल्लेख है जो अभी निर्माणाधीन है। डा० महिषी ने स्वयं इसका उद्घाटन किया

था । परन्तु जहां तक निर्माण का सम्बन्ध है, बुनियाद रखने के अतिरिक्त और कोई विशेष काम नहीं हुआ है । अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या कागजी कार्यवाही के अतिरिक्त इस प्रदेश में वास्तव में कोई सुधार हुआ है ?

डा० सरोजिनी महिषी : यह केवल कागजी कार्यवाही नहीं है । बंगले का निर्माण हो रहा है । उस क्षेत्र में बुनियाद गहरी खोदे जाने के कारण उस में कुछ अधिक समय लगा है । माननीय सदस्य के कुछ मित्रों ने इस बारे में पूछताछ की थी और मैंने स्वयं इस मामले में जांच की थी । बुदियान पूरी होने वाली है और पूरे भवन का निर्माण कार्य चल रहा है । गोहाटी से थोड़ी ही दूर 'गरमपानी' का चश्मा है । इस लिए हम गौहाटी में 25 कमरे और बना रहे हैं । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करती हूं, कि वह 'गरम पानी' देखने जायें और देखें कि इस काम में कितनी प्रगति हुई है ।

श्री तरुण गोगोई : क्या यह सच है कि यद्यपि इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की काफी सम्भावना है तथापि रेल, विमान और सड़क जैसी संचार सुविधाओं की स्थिति खराब होने के कारण इन क्षेत्रों में पर्यटन संवर्धन में बाधा पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है ?

डा० सरोजिनी महिषी : यह सच है कि वहां पर परिवहन और संचार सुविधाओं की कमी है । इस लिए उस क्षेत्र में विमान सेवाओं में वृद्धि की जा रही है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, उस क्षेत्र में विमान किराये में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी देश के अन्य भागों में हुई है । अन्य क्षेत्रों में विमान किराये में शत प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि इस क्षेत्र में मुश्किल से 50 प्रतिशत भी वृद्धि नहीं हुई है । इसके साथ ही हम 'बड़ा पानी' में एक और हवाई अड्डा बना रहे हैं ऐजल हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है ताकि वहाँ एवरो विमान आ जा सकें । अगरतला में 1.24 करोड़ रुपये की लागत वाली एक अन्य परियोजना आरम्भ की जा रही है जिसमें धावन पथों को सुदृढ़ बनाना, चौड़ा करना और लम्बा करना तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है ।

श्री दशरथ देव : अगरतला धावन पथ को चौड़ा करने और लम्बा करने का काम कब तक आरम्भ हो जायेगा और वहाँ बोइंग 737 विमान कब तक चलने लगेंगे ?

डा० सरोजिनी महिषी : यह कार्य वर्ष 1974 तक पूरा हो जायेगा । इसमें दो या तीन महीने का समय बढ़ाया जा सकता है ।

श्रीमती एम० गोड़फ्रे : आंध्र प्रदेश में पर्यटकों के देखने योग्य कई स्थान हैं । पर्यटन स्थलों में सुधार करने के विचार से आंध्रप्रदेश में एक पर्यटन विभाग खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० सरोजिनी महिषी : हमने आंध्र प्रदेश में अनेक परियोजनायें आरम्भ की हैं । हैदराबाद हवाई अड्डे का विकास किया गया है और टर्मीनल सुविधाओं में सुधार किया गया है । तिरूपत्ति में एक हवाई अड्डा बनाया गया है । विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा में टर्मीनल बिल्डिंग सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है । विजयवाड़ा टर्मीनल बिल्डिंग के साथ एक अतिरिक्त कक्ष (विंग) बनाया गया है ।

जहाँ तक पर्यटन सुविधाओं का सम्बन्ध है, हैदराबाद के चिड़ियाघर का विकास किया जा रहा है । सात लाख रुपये की लागत की एक नई परियोजना आरम्भ की गई है । मुझे प्रसन्नता है

कि आँध्रप्रदेश सरकार भी सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। वहां एक पक्षी शरणस्थल भी बनाया जायेगा। वारांगल में एक पर्यटन बंगला बनाया जा रहा है और नागार्जुन सागर का भी विकास किया जा रहा है। पाँचवी पंचवर्षीय योजना में एक हवाई अड्डा भी शामिल किया गया है।

मूल्य से कम और अधिक राशि के बीजक बनाने को रोकने हेतु उपाय

+
***83. श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री रेणुपद दास :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य से कम तथा मूल्य से अधिक राशि के बीजक बनाने को रोकने के लिए कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो किये गये उपायों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

शायद माननीय सदस्यों का अभिप्राय विशेषतया निर्यातों के कम मूल्य के बीजक बनाने और आयातों के अधिक मूल्य के बीजक बनाने के माध्यम से विदेशी मुद्रा की हानि से प्रतीत होता है। सरकार ने समस्या को पहले ही समझ लिया है और समस्या के समाधान के लिए समय समय पर विशिष्ट कदम उठाये गये हैं। जैसा कि लोक सेवा समिति द्वारा 1968-69 के 56 वें प्रतिवेदन (कंडिका 1.55) में की गई सिफारिश के अनुसार इस समस्या को संबंधित मंत्रालयों, भारत के रिजर्व बैंक और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के एक अध्ययन दल को सौंपा गया। दल ने गहन अध्ययन किया और अपने प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत की जो कि नवम्बर 1971 में संसद के समक्ष रख दी गई थी।

समस्या के विभिन्न पहलुओं का एक विस्तृत सर्वेक्षण करने और ब्यौरे वार जांच करने के पश्चात अध्ययन दल कमजोर कार्यक्षेत्रों का पता लगा सका। इसने विधियों तथा प्रक्रियाओं में कमियों और साथ ही संगठनात्मक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में विद्यमान त्रुटियों की ओर भी विशेष ध्यान दिया। इस दल द्वारा बचाव के रास्तों को बन्द करने और इसके ध्यान में आई त्रुटियों का उपचार करने के सम्बन्ध में वैधानिक, प्रशासनिक, संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक प्रकार के विभिन्न सुझाव दिये।

इस दल की सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिए राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में एक विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। अधिकाँश प्रकरणों में संबधित विभागों और मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त की गई और इन पर भारत सरकार के चार सचिवों की एक ऐसी समिति द्वारा विचार किया गया है जिसे इन सिफारिशों पर विनिश्चय करने के लिए विशेष रूप से गठित किया गया है।

सिफारिशों की स्वीकृति के अनुसरण में सीमाशुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम आदि जैसे विभिन्न अधिनियमों को समुचित रूप में संशोधित करने के लिए कार्यवाही जारी है। वस्तुत: वांछित संशोधन शामिल करते हुए विदेशी मुद्रा विनियमन बिल, 1972 संसद के अंतिम सत्र के दौरान पेश किया गया था। वित्त मंत्रालय संसद के चालू सत्र में सीमाशुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम और स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन करने वाले बिलों को पेश कर सकता है।

अधिकांश सिफारिशों पर सरकार ने पहले ही विनिश्चय कर लिये हैं। कुछ सिफारिशों पर संबधित विभागों/मंत्रालयों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो से परामर्श करके वित्त मंत्रालय द्वारा अभी भी विचार किया जा रहा है।

Shri Shiv Kumar Shastri : Sir, it has been said in the statement laid on the Table that a study team was appointed in accordance with the recommendations made in the Public Accounts Committee Report for 1968-69 and it focussed attention on the lacunal in the laws and the procedures as also on the deficiencies in the organisational and administrative set up and it suggested various measures such as legislature, administratives organisational and procedural to plug the loopholes and remedy the deficiencies noticed by it. Then, a committee of four secretaries to the Government of India was also set up to implement those suggestions, But I feel that there is still sufficient scope for bungling, as, for example, woolen clothes have been imported in the name of rags. May I know as to hom it has happened ?

Shri L. N. Mishra ; So far as the recommendations of the study team are concerned, out of a total of 220 recommendations made, 211 have been processed and nine recommendations are still being examined. Of the 211 recommendations, decisions have been taken in respect of 183 recommendations and out of those we have accepted 108 recommendations. Sixty-eight recommendations have been accepted in principle and four have been accepted with slight modifications and three recommendations have not been accepted. The hon'ble Member will thus observe that 211 recommendations have been accepted. Out of them, there are 33 recommendations in respect of which legislative measures have to be taken to improve the existing laws and, therefore, it will take some time.

In so far as the question of woolen clothes is concerned, it was a matter of over-invoicing and under-invoicing and, as the hon'ible Member is aware, we have discussed this issue for one hour Yesterday.

Shri Shiv Kumar Shastri : Will the hon'ble Minister be pleased to state the time likely to be taken in processing the rest of the recommendations ?

Shri L. N. Mishra : I have stated that we have accepted 211 suggestions out of a total of 220 and 183 suggestions have been implemented. We have to amend laws in respect of other suggestions and it will take time. The number of such suggestions is 33. We have accepted 68 recommendations in principle and four have been accepted with slight modifications. Only three suggestions have not been accepted. I wanted to tell the hon'ible Member that in so far as the question of over-invoicing and under-invoicing of the foreign exchange worth 50 to 70 crores of rupees is concerned, I hope there will be a lot of improvement by implementations of the suggestions that we have accepted.

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदय ने अभी-अभी सभा को बत या है कि लगभग 211 सुझाव स्वीकार कर लिए गये हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कुल मिलाकर इसका क्या परिणाम निकला है, कितने मामले पकड़े गये हैं, कितने मामले विचाराधीन हैं और इनमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है—क्योंकि आयात और निर्यात के मामले में विदेशी मुद्रा की हानि होती है। लोक लेखा समिति ने अपने 56वें प्रतिवेदन में जो सुझाव दिये थे, आप ने उन्हें स्वीकार कर लिया, यह ठीक

बात है। परन्तु क्या आप इस मामले में सतर्क हैं ? कितने मामले पकड़े गये हैं और अधिक मूल्य के बीजक बनाने और कम मूल्य के बीजक बनाने से कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह मामला वर्ष 1970 में समिति को भेजा गया था। फिर यह 1971 में हमारे पास पहुँचा और वर्ष 1972 में हमने इन पर विचार किया और इनको स्वीकार कर लिया हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि इसका तात्कालिक परिणाम क्या निकला है। जैसाकि मैंने बताया है, अधिक मूल्य के और कम मूल्य के बीजक बनाने से प्रतिवर्ष 50 से 70 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि होती है। तस्कर व्यापार, विदेश यात्रा, बीजक बनाने में गड़बड़ से कुल मिलाकर 220 से 240 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि होती है। तस्कर व्यापारियों या दोषी फर्मों के बारे में मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में लिखा है कि :

"अधिकांश प्रकरणों में संबंधित विभागों और मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त की गई और इन पर भारत सरकार के चार सचिवों की ऐसी समिति द्वारा विचार किया गया है जिसे इन सिफारिशों पर निश्चय करने के लिए विशेष रूप से गठित किया गया है।"

फिर विवरण के अन्तिम पेराग्राफ में लिखा है कि :

"अधिकांश सिफारिशों पर सरकार ने पहले ही निश्चय कर लिये हैं।"

क्या सिफारिशों पर निर्णय करने वाली दो संस्थायें हैं। एक चार सचिवों की समिति और दूसरी अन्तिम पैराग्राफ में उल्लिखित 'सरकार' ?

श्री एल० एन० मिश्र : चार सचिवों की समिति सिफारिशों पर विचार करने के लिये बनाई गई थी और उसने उन पर विचार कर लिया है। यह उसी की सिफारिश है। जैसा कि मैंने बताया है, 222 में से 211 सुझाव स्वीकार किये गये हैं और 211 में से 183 पर निर्णय कर लिए गये हैं। 33 सुझावों के बारे में अधिनियमों में संशोधन करना होगा, सचिव अधिनियमों पर विचार कर रहे हैं यह समिति यही कार्य कर रही है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वर्ष 1970-71 में सीमा शुल्क अधिकारियों ने समस्त भारत में बिड़ला बन्धुओं के गृहों और कार्यालयों पर छापे मारे थे। उन छापों का क्या परिणाम निकला है ? क्या अधिक मूल्य के और कम मूल्य के बीजक बनाने के कारण बिड़ला गृहों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय ; यह प्रश्न इस विशेष मामले से सम्बन्धित नहीं है। यह सामान्य प्रश्न है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : बिड़ला गृहों पर छापे मारे गये थे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

प्रश्न संख्या 84 के साथ साथ प्रश्न संख्या 85 पर भी चर्चा की जा सकती है क्योंकि दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं। किन्तु श्री वीरेन्द्र सिंह राव और श्री मुख्तियार सिंह अनुपस्थित हैं। अतः हम प्रश्न संख्या 84 को ही लेते हैं।

चौधरी राम प्रकाश।

हरी चाय के निर्यात में कमी

***84. श्री राम प्रकाश :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हरी चाय के निर्यात में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हरी चाय के कुल निर्यात 1970 में 3992 हजार कि० ग्रा० से घट कर 1971 में 3754 हजार कि० ग्रा० हो जाने से उनमें मामूली गिरावट आई थी।

(ख) इसका कारण अफगानिस्तान द्वारा अपेक्षाकृत कम माल उठाया जाना है। तथापि, जापान, मोरक्को और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे नये बाजारों को निर्यातों में वृद्धि का रूख बना रहा।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है ?

श्री विश्वनाथ राय : क्या चाय की अन्य किस्मों के निर्यात में कोई सुधार हुआ है और यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में कितना सुधार हुआ है ?

श्री ए० सी० जार्ज : मेरे विचार से माननीय सदस्य काली चाय का उल्लेख कर रहे है, यद्यपि हरी चाय के निर्यात में कमी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप हरी चाय के बारे में पूछ रहे हैं अथवा काली चाय के बारे में ?

श्री विश्वनाथ राय : अन्य किस्मों की चाय के निर्यात के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्य पृथक प्रश्न की सूचना दे सकते हैं।

भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग

+

***86. श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अथवा जापान ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए कोई प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) : दोनों देशों के बीच बहुत से क्षेत्रों में पहले से ही आर्थिक सहयोग किया जा रहा है और जापान कई वर्षों से भारत को सहायता दे रहा है। इस बात पर बराबर विचार किया जा रहा है कि इस प्रकार की सहायता का सदुपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया जा सकता है।

श्री वेकारिया : मन्त्री महोदय ने बताया है कि जापान कई क्षेत्रों में भारत को सहायता दे रहा है। किन क्षेत्रों के बारे में विचार किया जा रहा है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : बहुत से क्षेत्रों में हम उनके साथ निश्चित रूप से सहयोग कर सकते हैं । किन्तु हाल में हमने तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिक बल दिया है और वे क्षेत्र हैं तेल की खोज, उर्वरकों और इस्पात का उत्पादन । ये तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं ।

श्री वेकारिया : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इन सभी क्षेत्रों के लिए जापान से प्राप्त सहयोग और सहायता में वृद्धि हो रही है अथवा किसी क्षेत्र में इसमें कमी भी हो रही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : नहीं ।

भारत के विदेशी व्यापार का पुनर्गठन

***87 श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972-73 के दौरान आत्म निर्भरता पर दिये जाने वाले अधिक बल के अनुरूप देश के वैदेशिक व्यापार को पुनर्गठित करने की प्रगतिशील योजना बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) इस प्रकार का विशेष प्रस्ताव कोई नहीं है, तथापि, जब भी आवश्यकता होती है तभी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से, देश के विदेश व्यापार को पुनर्व्यवस्थित करने के लिये समुचित कार्यवाही की जाती है । विदेशी बाजारों का पता लगाने, निर्यात उत्पादन बढ़ाने और निर्यात वेशियां बनाने के काम बराबर किये जाते रहते हैं । 1972-73 की आयात नीति में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्र सिंह : विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नई विदेश व्यापार नीति बनाते समय एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों तथा पड़ौसी अरब देशों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा जो आर्थिक विकास और नये व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उत्सुक है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं इस बात पर बारबार बल देता आ रहा हूं कि हमारी नई निर्यात नीति अथवा विदेश व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के विकासशील देशों पर अधिक से अधिक आश्रित रहना है । हम अपनी आयात-निर्यात नीति में यही प्रमुख परिवर्तन कर रहे हैं और जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, वर्तमान परिस्थितियों में व्यापार का विकास करने के लिए यही उपाय बचा है, क्योंकि विकसित देश विकासशील देशों, जैसाकि हमारा देश है, के आर्थिक विकास में कई प्रकार से सहयोग नहीं दे रहे है ।

श्री नरेन्द्र सिंह : क्या नये प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी पर आश्रित रहने से मुक्ति पाने का प्रयत्न किया जायेगा क्योंकि इस सम्बन्ध में हमारे देश में ही प्रतिभावान व्यक्ति उपलब्ध हैं । इसमें से दो कार्य सिद्ध हो सकते हैं पहला यह कि हमें विदेशी मुद्रा खर्च करने का भार नहीं उठाना पड़ेगा तथा दूसरा यह कि हम अपने देश के प्रतिभावान व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से तो यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

श्री एल० एन० मिश्र : यदि यह सुझाव है कि विदेशी तकनीकी जानकारी पर आश्रित न रहा जाए तो मेरा निवेदन है कि हम विदेशी जानकारी का केवल उन्हीं क्षेत्रों में उपयोग कर रहे है जिनमें इनकी नितांत आवश्यकता है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारत में योग्य व्यक्ति मौजूद हैं तथा हम उन्हें प्रोत्साहन भी देते हैं । जहां तक कच्चे माल का सम्बन्ध है हम अपेक्षित कच्चे माल का आयात करते हैं तथा उसे निर्यात कर्ताओं को सप्लाई करते हैं तथा हमारा यह प्रयत्न है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का मुकाबला कर सकें ।

श्री जगन्नाथ राव : अधिकतर विदेश व्यापार उन्ही देशों के साथ हो रहा है जिनके साथ पहले था तथा व्यापार की वस्तुयें भी पारस्परिक हैं । क्या सरकार ने किसी नई वस्तु का व्यापार किसी ऐसे देश के साथ करना आरम्भ किया है जिसके साथ पहले व्यापार सम्बन्ध नहीं थे और यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह पृथक प्रश्न है इसका कई बार उत्तर दिया जा चुका है । मेरे विचार से गत सत्र में भी इसका उत्तर दिया गया था ।

श्री एल० एन० मिश्र : श्री जगन्नाथ राव अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तथा वह अनेक पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं । अतः यह उन्हें ज्ञात होगा कि हमने ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया है जो गैर पारस्परिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं । हमने गैर-पारस्परिक वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति की है । कुछ नये देशों तथा कुछ नये क्षेत्रों का भी पता लगाया गया है । हम उन मंडियों का विकास कर रहे हैं ।

श्री जगन्नाथ राव : मैं यह जानना चाहता हूँ कि व्यापार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच है कि कपड़ा उद्योग जैसे कुछ प्रभावशाली उद्योग सरकार पर यह दबाव डाल रहे है कि सरकार विदेशी रुई का अपेक्षाकृत अधिक आयात करे जिससे देशी रुई का मूल्य कम हो सके तथा ये उद्योगपति अधिक लाभ अर्जित करे सके ?

अध्यक्ष महोदय : ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जिनमें सुझाव दिये गये हैं तथा प्रश्न के नाम पर इनमें जानकारी दी गई है । मैं इस प्रक्रिया को उपयुक्त नहीं समझता । पहला प्रश्न भी इसी प्रकार का था । माननीय सदस्यों को प्रश्न करने चाहिए, सुझाव नहीं देने चाहिए ।

श्री एल० एन० मिश्र : विदेशी रुई के आयात का निर्णय विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किया जाता है । कपास की फसल पिछले से पिछले वर्ष खराब थी । उस वर्ष खराब फसल होने के कारण भारी मात्रा में विदेशी रुई का आयात करना पड़ा । गत वर्ष अच्छी फसल हुई । इस वर्ष भी अच्छी फसल होने की सम्भावना है, अतः विदेशी रुई का कम आयात किया जाएगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने पूछा था कि क्या वे अनुपात से अधिक रुई का आयात करना चाहते हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है तथा हम किसी के दबाव में नहीं आते ।

श्री नटवरलालपटेल : उन देशों के क्या नाम हैं जो इस समय भारत के साथ व्यापार नहीं करना चाहते ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न विदेशी व्यापार के पुनर्गठन के बारे में है । आपका प्रश्न बिलकुल भिन्न है ।

श्री नटवरलाल पटेल : विशेषकर कुछ बड़े देश इस समय भारत के साथ व्यापार करने के इच्छुक नहीं हैं । पहले ये देश भारत के साथ व्यापार करने में बहुत रुचि रखते थे । इसीलिये मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे यह आशा नहीं रखता कि आप इस विषय पर भाषण देने लगें ।

श्री एल० एन० मिश्र : मेरे विचार से ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत के साथ व्यापार नहीं करना चाहता । यह प्रश्न तो मात्रा का है । मैं यह कैसे बता सकता हूँ कि कौन देश व्यापार करना चाहता है और कौन देश नहीं चाहता । हम चाहते है कि सभी देश हमसे व्यापार करना चाहें तथा हम सभी देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं ।

श्री मनोरंजन हाजरा : मंत्री महोदय के कथनानुसार, क्या सरकार चीन के साथ व्यापार आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है ?

Mr. Speaker : The hon. Minister may seek his help in starting trade with China.

श्री एल० एन० मिश्र : हमें कोई आपत्ति नहीं है । जैसे ही हमारे सम्बन्ध सामान्य होंगे । हम चीन के साथ व्यापार करेंगे ।

Financial Assistance to Machya Pradesh

*** 93. Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Goverment of Madhya Pradesh have asked for an assistance of rupees twelve crore from the centre on account of damage done to 40 per cent of the crops by drought and heavy rains; and

(b) if so, Central Goverment's reaction thereto ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने अभी तक धन की किसी खास आवश्यकता का जिक्र नहीं किया है । राज्य सरकार के आवेदन पर एक केन्द्रीय दल को कहा गया है कि वह मौके पर जाकर स्थिति का मूल्यांकन करने और केन्द्रीय सहायता के लिये व्यय की अधिकतम सीमा की सिफारिशें करने के लिये राज्य का दौरा करे ।

Shri Dhan Shah Pradhan : I want to know from the hom. Minister through you, sir whether Government propose to make immediate arrangments in this regard ? Major part of Madhya Pradesh in drought affected. Drought conditinos are prevailing there. There is scarcity of drinking water and residential accommodation. People are suffering from shivering cold. May I know the arrangments proposed be made for these poor people by the Governments ?

Shri Y. B. Chavan : In view of these things, we have decided to send a team there. Necessary steps would be taken after the return of the team.

Shri Dhan Shah Pradhan : Sending of team and its return and then submission of Report by that team would take a period of one year. I want to know the immediate steps proposed to be taken for the benefit of these poor Adivasis.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश सरकार वहां की समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न कर रही होगी। चूंकि उन्होंने इस प्रश्न के सम्बन्ध में हमारे साथ लिखा पढ़ी की है। हमने यह इच्छा व्यक्त की है कि हम परिस्थिति का अध्ययन करायेंगे तथा अपेक्षित सहायता देने का प्रयास करेंगे।

श्री राम सहाय पांडे । क्या मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति के बारे में मंत्री महोदय को व्यापक रिपोर्ट मिल गई है ? बहुत से जिलों में, यहां तक कि लगभग आधे राज्य में सूखे की स्थिति है तथा वहां राहत कार्य आरम्भ किया जा रहा है जिसके लिए धनराशि की आवश्यकता है। क्या मंत्री महोदय से धनराशि दिए जाने का अनुरोध किया गया है ? केन्द्र द्वारा भेजा जाने वाला दल अपना कार्य कब तक पूरा कर लेगा तथा धनराशि कब तक दी जायेगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : दल की ओर से प्रतिवेदन मिलने के तुरन्त पश्चात् धनराशि दे दी जाएगी।

Shri R. V. Bade : May I know whether the Madhya Pradesh Gevernment have mentioned the amount required by them in their communication ? I also want to know the time by which the proposed team would submit their report. How long they would take to submit their report is one month or two months ? Has he prescribed any time-limit ? It is in may knowledge that Madhya Pradesh Government have sent a report to him indicating the ammount of financial assistance. Is it a fact that they have demanded financial assistance, and if so what is the ammount demanded by them ?

Shri Y. B. Chavan : They have demanded a certain amount, but we cannot take any decision on that basis, I do not think any specific requirement of funds has been mentioned by them. But it is correct that they have communicated their difficulties.

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether Central Government is in a position to assure the State Governments that centre would sympathetically consider the financial assistance required by them for Rabi programme and for making it a great success and that poucity of funds would not come in the way of increasing Rabi productions ?

Shri Y. B. Chavan : Yes, sir.

Shri Bhagirath Bhanwar : The hon. Minister has stated that Madhya Pradesh Government have sent a report to deal with the drought conditions there. May I know the number of Distirets which are reported to be drought affected ? Have Madhya Pradesh Government requested for help urgently ? How many persons would be provided with relief. May I know whether Mhdhya Pradesh Government have initiated the steps for making changes in the rules governing relief work ? May I know whether the proposed relief to these persons would be provided under the existing rules or these rules are being changed ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है, उसने 4 अगस्त, 1972 के पत्र में यह उल्लेख किया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में व्याप्त सूखे की स्थिति के कारण फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि बहुत से जिले सूखाग्रस्त हैं। राज्य सरकार ने बस्तर जिले का विशेष रूप से उल्लेख किया है तथा बाढ़ से हुई क्षति का भी उल्लेख किया है। उन्होंने हमारे ध्यान में जो बात दिलाई है वह सामान्य है तथा उसी की प्रतिक्रिया में हमने वहां एक दल भेजने का निर्णय किया है। मेरे विचार से दल शीघ्र ही जाने वाला है।

श्री पी०जी० मखलंकर सम्बन्धित स्थल पर अध्ययन करने के लिए ऐसे दल कितने समय में सम्बद्ध राज्यों का दौरा करते हैं तथा वे कब तक वापस आते हैं और सम्बद्ध राज्यों में शीघ्रता से राहत कार्यों की व्यवस्था करने तथा अन्य वस्तुओं की सप्लाई कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : साधारणत: जैसे ही दल भेजने की मांग की जाती है तभी इस सम्बंध में निर्णय कर लिया जाता है। किन्तु राज्य सरकारों को भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जैसे ही दल वहां पहुंचें, राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित करें कि दल घटना-स्थल की जांच करें तथा वहां वास्तविक स्थिति को समझ कर इस बात का पता लगाए कि किस प्रकार का राहत कार्यक्रम आरम्भ किया जाए। अत: यह हमारे निर्णय और दल भेजने का प्रश्न नहीं है, वरन् इस बात का भी प्रश्न हैं कि राज्य सरकार भी इस बात के लिए तैयार है। जैसे की दल वापस आता है, मेरे विचार से सिफारिश करने में उसे आठ दिन से अधिक समय नहीं लगता।

Shrimati Sahodrabai Rai: May I know whether there will be only Government Offiicials in the team which is to be sent or Members will also be there in the team? Persons having experience is agriculture should be sent.

Shri Yeshwantraw Chawan : Usualy officials go but Members can see them and give suggestion.

श्री माधुर्य हालदार : क्या मैं सारे भारत में घूम सकूंगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न से संगत प्रश्न कीजिए।

श्री माधुर्य हालदार : सूखे और अतिवृष्टि के समय भिन्न-भिन्न राज्यों को अध्ययन दल भेजे गए थे। ऐसा ही एक दल पश्चिम बंगाल में भी भेजा गया था। उस दल ने क्या प्रतिवेदन दिया हैं और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अलग प्रश्न कर सकते हैं। उन्हें यह कोशिश करनी चाहिए कि सगत प्रश्न किया जाये। उन्हें यह प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से पूछना चाहिए था परन्तु उन्होंने इसे प्रत्यक्ष रूप से पूछा है। मुझे अफसोस है।

श्री पो० वेंकटासुब्बया : मध्य प्रदेश तथा अन्य सरकारों को सूखे आदि के उन्मूलन के लिए किस रूप में सहायता दी गई है, क्या यह ऋण के रूप में है अथवा अनुदान के रूप में या दोनों ही प्रकार से।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बहुत विस्तृत बात है। परन्तु यह ऋण और अनुदान दोनों के ही रूप में है। जो कार्य आरम्भ किया गया है उसके स्वरूप पर यह निर्भर करता है। यदि राहत के लिए सप्लाई की जाती है तो सामान्यत: यह अनुदान के रूप में होती है। जहां तक ऋण का सम्बन्ध है स्वाभाविक ही है कि यह ऋण ही होगा।

Shri M.C. Daga : Like Madhya Pradee twentyfive thousand Villages in Rajasthan are famine affected? Have the Government decided to send a study team there also?

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है।

Import of costly garments as rags

‡94. **Shri Atai Bihari Vajpayee :**
Shri Rana Bahadur Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether the Customs Department has detected several cases in which costly ready made garments have been impoited as rags; and

(b) if so, the action taken in the matter?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश): (क) तथा (ख) जांच-पड़ताल चल रही है और जांच पड़ताल पूरी हो जाने पर ही पूरे तथ्यों का पता चल सकेगा। परन्तु, सीमा-शुल्क विभाग द्वारा अब तक खोली गई गाँठों की जाँच से चिथड़ों तथा/अथवा पुराने, उपेक्षित साबूत अथवा टुकड़ों में कटे हुए कपड़ों के आयात का सबूत मिला है।

Mr. Speaker: A good deal or discussion about this matter took place yesterday.

Shri Atal Bihari Vajpayee : No, Mr. speaker, Sir, it is the turn of the Ministry of Finance to reply. They are also in the dock. May I know when this matter came to the notice of the customs first of all? Is it true that the customs had been continuously allowing the import of such clothes and when news items appeared in the newspapers and these clothes appeared on the footpaths and a here and cry was raised, the sleep of the customs officials was broken?

श्री के०आर० गणेश : श्रीमन यह सच नहीं है। उत्पादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के 1961 के अनुदेशों के अनुसार चिथड़ों के रूप में आ रहे पहनने लायक कपड़ों को गंतव्य स्थान पर काटा जाता है। यह जांच सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की जाती रही। उदाहरण के लिए 1-7-1971 से 30-10-1972 तक सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के दुरुपयोग के लगभग 60 मामले पकड़े गए। अत: यह सही नहीं है कि चिथड़ों के रूप में आ रहे पहनने लायक इन कपड़ों पर सीमा-शुल्क अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं उस तारीख के बारे में जानना चाहता हूं जिस दिन सीमा-शुल्क अधिकारियों ने सबसे पहली गांठ पकड़ी, क्या समाचार-पत्रों में प्रचार के बाद ऐसा हुआ या उससे पहले ?

अध्यक्ष महोदय : इस मामले की पहली गाँठ; क्या आपका मतलब उसी से है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी हां, इस वर्ष।

श्री के० आर० गणेश : इसके लिए मुझे आंकड़े एकत्र करने होंगे। सीमा-शुल्क अधिकारियों ने कितनी बार इस मामले में जांच की और क्या इन वस्तुओं को गंतव्य स्थान पर काटा गया था यह काफी बड़ा क्षेत्र है जिसके बारे में वह पूछ रहें है।

अध्यक्ष महोदय यह बहुत स्पष्ट प्रश्न है।

श्री के० आर० गणेश जब से ये खेपें आ रही हैं, ऐसी अनेक गांठें होंगी जिनका समय-समय पर पता लगाया जाता रहा है। मुझे जानकारी एकत्र करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बाद में जानकारी दे सकते हैं। इस समय आपके पास जानकारी नहीं है।

श्री के० आर० गणेश : इसका काफी बड़ा क्षेत्र है। जो जानकारी मेरे पास है वह मैंने दे दी है। 1-7-1971 और 31-10-1972 के बीच लगभग 60 मामले पकड़े गए। मैं यह उत्तर में बता चुका हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that there is no arrangement in the customs to tear off or Mutilate such garments ? Although it is shown on paper that such garments are delivered after mutilation the fact is that the customs deliver the garments infact, they do not try to mutilate them ?

Shri K. R. Ganesh : It is not true that we have no aggangement to mutilate such garmants.

Shri Atal Bihari Vajpayee : When this rags scandal was detected, We went to the customs and collected information from there. There is no arrangement in the customs to mutilate these garments on large scale. May I know whether the clothes which were returned were mutilated or delivered infact ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय का उत्तर स्पष्ट था कि जिनके पास यह व्यवस्था मौजूद है।

श्री के० आर० गणेश : जी, हां। हमारे पास व्यवस्था है हमारे पास सीमा-शुल्क कार्यालयों में तकनीकी कर्मचारी भी हैं।

Mr. Speaker : The qustions is whether this arrangement has been working or not, garments were mutilated or not.

Shri R.K. Ganesh : They were mutilated.

Shri Atal Bihari Vajpayee: If they were mutilated, how they came in market intact? It is a serious matter. We have been complaining because the garments are being sold in the market. If the customs mutilate the garments and there is arrangement for that, how they appeared in tact in the market? May I know whether the customs allowed such garments to come out because they were incollusion with factory-owners and importers ?

श्री के० आर० गणेश : केन्द्रीय जांच ब्यूरों को इसकी जांच करने को कह दिया गया है क्योंकि बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस पर माननीय सदस्यों में उत्तेजना है। अत: इस मामले की जांच करवानी है और इसी लिये जांच के लिये इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरों को ही सौंपा गया है।

श्री एच० एम० पटेल : उत्तर में कुछ भ्रांति है। मंत्री महोदय को ऐसा कहते समझा गया है कि सीमा-शुल्क विभाग में इन्हे नष्ट करने की व्यवस्था है। परन्तु ऐसा नहीं है। ऐसा कोई प्रबन्ध बिल्कुल नहीं है, यह गंतव्य स्थान पर पहुँच जाता है यही बात उन्होंने कही है। वह अपना उत्तर स्पष्ट करें।

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा, बोर्ड के परिपत्र के अनुसार चिथड़ों के रूप में आ रहे कपड़ों को गंतव्य स्थान पर फाड़ा जाता है। माननीय सदस्य ने मुझसे यह प्रश्न पूछा था कि क्या सीमा-शुल्क विभाग में इसे फाड़ने की कोई व्यवस्था है; सीमा-शुल्क विभाग में थोड़ी मात्रा में इन्हें फाड़ने की व्यवस्था है।

श्री जगन्नाथ राव : उत्तर से यह प्रश्न उठता है कि जो गांठे खोली गई हैं उनमें से कुछ कपड़ों को फाड़ा जाना चाहिये था। क्या सीमा-शुल्क विभाग को इनमें कोई लाल चिथड़ा भी मिला है ?

Shri S.M. Banerjee : This matter is under C.B.I's investigation and every thing will be known. May I know whether the Government after taking in their possenssion those garments and rags which the customs have seized and which are in the stock, will sell them at cheap rates instead of getting them spoiled ? It might have caused some loss to the country, but the poor have benefited because they got coats for five upees our.

क्या वह फाड़ने के बजाय किसी व्यवस्था के माध्यम से जन-साधारण में वितरित कर सकते हैं ? क्या उन कपड़ों को जन-साधारण में वितरित करने सम्बन्धी कोई योजना है ? कुछ व्यक्ति उन्हें फाड़ने के लिये कह रहे हैं, परन्तु मैं उन्हें फाड़ने के लिये नहीं कह रहा हूं मैं चाहता हूँ

कि जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जाये परन्तु इन कपड़ों को गरीबों में बाँटा जाये जो वैसे नये कपड़े कभी भी नहीं खरीद सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत तो नहीं है परन्तु यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री एच०एम० पटेल : मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि वे किस प्रकार जाँच करते हैं। मैंने उन्हें यह कहते समझा कि गंतव्य स्थान पर थोड़ी जांच की गई, नमूने के तौर पर। यह जांच कैसे की गई ?

श्री के०आर० गणेश : सीमा शुल्क विभाग की सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब इस बात का कोई सबूत अथवा सूचना नहीं होती है कि विशेष खेप में काफी मात्रा में पहनने लायक कपड़े हैं तो साधारणतया पाँच प्रतिशत जांच की जाती है। वे यत्रतत्र जांच करते हैं, कभी-कभी वे दस प्रतिशत जांच भी करते हैं। जब सबूत मिला और जब विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा सीमा-शुल्क अधिकारियों के ध्यान में यह बात लाई गई कि चिथड़ों के रूप में काफी संख्या में पहनने लायक कपड़े आ रहे हैं तो बम्बई में सीमा-शुल्क विभाग में सब गांठों को रोक दिया गया। बम्बई में सीमा-शुल्क विभाग में 40,000 गांठे थी।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को भारतीय क्षेत्र से होकर पाकिस्तान जाने की अनुमति

+
95*. श्री सी० टी० दण्डपाणि :
श्री वी० मायावन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को भारतीय क्षेत्र से होकर पाकिस्तान और उससे परे जाने की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार भी इस व्यवस्था से सहमत हो गई है; और

(ग) वे मार्ग कौन से है जिनके लिए भारत द्वारा उड़ानों की अनुमति दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, परन्तु पाकिस्तान सरकार निर्दिष्ट मार्गों पर अन्तर्राष्ट्रीय परिचालकों को अनुमति दे रही है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

उन मार्गों के नाम, जिन पर उड़ानों के लिए भारत द्वारा अनुमति दी गई है; निम्न प्रकार हैं :-

(i) दिल्ली-परवेजपुर-रहीमयारखां-कराची (दोनों दिशाओं में)

(ii) कराची - सी 3 - मन्दसौर - कलकत्ता (पूर्व की ओर जाने वाली)

(iii) *कलकत्ता-मन्दसौर-2406 एन 7100 ई-सी 2 - कराची (पश्चिम की ओर जाने वाली)

(iv) कराची - सी 3 - मन्दसौर-जयपुर-दिल्ली-कराची-सी 3-अहमदाबाद-नागपुर (पूर्व की ओर जाने वाली)

(v) *नागपुर-अहमदाबाद-2406 एन० 7100 ई-सी 2-कराची (पश्चिम की ओर जाने वाली)

(vi) कराची-सी 3-2330 एन० 7100 इ-भावनगर-बम्बई।

(vii) *बम्बई-भावनगर-2406 एन० 7100 ई-सी 2 कराची।

(viii) कराची-2330 एन० 6729 ई - सीहार्स - बम्बई।

(ix) % दिल्ली - परवेजपुर - अनूपगढ़ - मुलतान।

(x) लाहौर - अमृतसर (अमृतसर में समाप्त होने वाला मार्ग)

* यद्यपि नागर विमानन विभाग द्वारा नोट्स किये मार्ग का काम बहिर्गमन स्थल 2406 एन० 7100 ई० को सी-2 से जोड़ना है, पाकिस्तानी प्राधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय परिचालकों को अपने ही क्षेत्र 'छोर' में रिपोर्ट करने का निदेश दे रहे हैं।

% यह एक नया मार्ग है जो कि आइ०ए०टी०ए० के अनुरोध पर मुलतान के लिए उपलब्ध कराया गया है।

(i) दिल्ली-हिसार-भटिंडा-मुलतान।

(ii) दिल्ली-हिसार-भटिंडा, 3047 एन 7412 ई-लाहौर।

(iii) दिल्ली-हिसार-भटिंडा-अमृतसर-लाहौर।

नये मार्ग का समन्वयन पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ नहीं किया जा सका क्योंकि युद्ध के बाद से इस के लिए कोई मशीनरी विद्यमान नहीं है। तथापि आई०ए०टी०ए० ने अनुरोध किया है कि मार्ग को खुला रखा जाये और वे इस नये मार्ग के लिए बातचीत करेंगे। फिलहाल यह मार्ग प्रयोग में नहीं है।

उपर्युक्त मार्गों के अतिरिक्त, चूंकि एयर इण्डिया के विमान अभी भी पाकिस्तानी क्षेत्र के ऊपर से नहीं उड़ते हैं, पाकिस्तान के पश्चिम की ओर के देशों के लिए उन की उड़ानें विशेष अनुमति प्राप्त एक मार्ग द्वारा होती है, अर्थात, दिल्ली-जयपुर-मन्दसौर - 2406 एन० 7100 ई-भुज-ब्ल्यू हबेल।

श्री सी०टी० दण्डपाणि : क्या सरकार का विचार पाकिस्तान सरकार के साथ इस बारे में दीर्घावधि समझौता करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

डा० कर्ण सिंह : दोनों देशों में एक दूसरे देश के ऊपर से उड़ाने करने और आपसी हवाई संधियां करने का प्रश्न भारत-पाक संबंधों की विस्तृत पृष्ठ भूमि में देखना होगा और यह तभी संभव है जब इन संबंधों के सुधार में और प्रगति हो जाये।

श्री सी०टी दण्डपाणि : इस विवरण में बताया गया है कि एयर इण्डिया के विमान अभी तक पाकिस्तान क्षेत्र पर से नहीं उड़ रहे हैं। इसके क्या कारण हैं ?

डा० कर्ण सिंह : युद्ध के दौरान एक दूसरे के क्षेत्र पर से उड़ानें बन्द कर दी गई थीं, और वे पुनः चालू नहीं हुई हैं। पाकिस्तान का दावा है कि वह हमारे देश पर से उड़ाने नहीं कर रहा है और हमारे विमान पाक क्षेत्र पर से नहीं उड़ रहे हैं।

आयातित फटे-पुराने ऊनी कपड़े जब्त किया जाना और इसका लुधियाना के होजियरी उद्योग पर प्रभाव

+
***97. श्री पम्पन गोडा :**

श्री एम०एस० पुरती :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित फटे-पुराने ऊनी कपड़ों के स्टाक की हाल में की गई जब्ती और सीलबन्दी से लुधियाना का होजियरी उद्योग संकट में पड़ गया है और विदेशी मंडियों का इस उद्योग के हाथ से निकल जाने का खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या अन्य देशों द्वारा कड़े मुकाबले के बावजूद, वे निर्माता पूर्व-यूरोपीय और पश्चिम एशियाई देशों को अपना माल सप्लाई करते आ रहे थे; और

(ग) क्या विदेशों से कुछ आर्डर प्राप्त भी हो चुके हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल०एन० मिश्र) : (क) यद्यपि आयातित ऊनी चीथड़ों के स्टाकों के हाल में पकड़े जाने तथा सील किये जाने से लुधियाना होजरी उद्योग को कुछ धक्का लगा है, फिर भी अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस प्रकार की आशंका है कि कहीं यह उद्योग विदेशी बाजार न खो दे।

(ख) 90% से अधिक हमारे निर्यात पूर्व यूरोपीय बाजारों को होते हैं क्योंकि संभवतः वे भारतीय ऊनी होजरी का सामान खरीदने के इच्छुक है।

(ग) जी हां। निर्यात के लिए कुछ क्रयादेश हैं जो निष्पादन के लिए लम्बित हैं।

श्री पम्पन गोडा : उत्पन्न कठिनाइयों को कम करने के लिए कच्चे माल की सप्लाई के बारे में क्या सरकार ने कोई तुरन्त उपाय सोचे हैं ?

श्री एल०एन० मिश्र : ये आर्डर कच्चे माल रूपी चीथड़ों पर ही आधारित नहीं हैं, ये आर्डर तो नई ऊन और आयातित ऊन तथा होजियरी कारखानों पर भी आधारित हैं। चीथड़ों के के बारे में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कुछ कठिनाइयां हैं, जिनका उल्लेख मेरे सहयोगी ने किया है। इस पर निर्णय लेने से पूर्व हमें गवाही लेनी होगी। मैंने कल श्री वाजपेयी जी को भी बताया था कि हमें पूरी समस्या पर विचार करना है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचें हैं कि उन्हें इस समय छोड़ना ठीक नहीं होगा।

श्री राम सहाय पान्डे : चीथड़े कच्चे माल के रूप में आयात करके लघु उद्योग को देने का उद्देश्य ही यह था कि उनसे माल तैयार करवा कर निर्यात किया जाय ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। आपने हमें कल बताया था कि स्टाक जब्त कर लिया गया है और जांच हो रही है, परन्तु जो लोग यह धन्धा करते हैं उन्हें यदि यह माल न मिला तो क्या होगा ? आप उन्हें यथासंभव शीघ्र माल उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही करने वाले हैं ?

श्री एल०एन० मिश्र : उद्योग को नुकसान न हो इस बारे में तो मैं सदस्य महोदय से सहमत हूं परन्तु जब यह प्रश्न उठा ही दिया गया है और स्वार्थ का भी आरोप है, इस लिए सी०बी०आई० को जांच करते के लिए कहा गया है। जाँच पूरी होने, सीमा शुल्क और न्यायालय के आदेशों के बाद ही इन्हें छोड़ा जा सकता है। जह जोखिम तो हमें सहना ही होगा।

श्री पीलू मोदी : मुझे मंत्री महोदय के इस उत्तर से निराशा हुई है। लुधियाना का होजरी उद्योग संकट में है और सरकार ने स्टाक जब्त कर रखा है। सरकार आपातकालीन स्तर पर कुछ न कुछ कच्चा माल तो आयात कर ही सकती है ताकि उद्योग की आवश्यकता पूर्ति की जा सके ?

श्री एल० एन० मिश्र : शायद श्री मोदी इस सम्बन्ध में अधिक नहीं जानते। विश्व मण्डी में ऊन के मूल्य तीन गुना हो गए हैं और यह उद्योग घाटे पर चल रहे हैं इसलिए इस भाव पर ऊन का आयात करके तैयार माल निर्यात करना लाभप्रद नहीं हो सकता। इस समय अमृतसर और लुधियाना में उद्योग का मुख्य प्रश्न जब्त स्टाक के कारण धन का प्राप्त न होना है। हम मामले के इस पहल पर विचार कर रहे हैं।

Shri M.S. Purty : What steps Government propose to take to solve the problem faced by hosiery Industry of Ludhiana at Present ?

Shri L. N. Mishra : As I have repeated by said, something will have to be done, but it will take some time.

Shri A. B. Vajpayee : The hon. Minister had stated that the fact regarding good clothes coming in the name of rags was first noticed by the Ministry, which then intimated the customs. I on the other hand, thought that the Customs detected in first and they intimated the Ministry afterwords. I want to know how the Ministry came to know of this rachet ?

Shri L. N. Mishra : This has also been answered. What my collague has stated is a fact. First of all, S. T.C. came to know of this in 1970, they informed the customs, who became strict and probed into the matter. We later intimated the Finance Ministry and they cought them prompts and investigated the matter at all leves. That is why said were conducted every where and stokes were seized and enquiry is now in proposes. There has been excellent coordination between the Finance and Foreign Trade Ministres. There should be no doubt about that.

Shri S. M. Banerji : Was this racket expored when people started purchasing rags ?

श्री प्रबोध चन्द्र : सरकार ने राज्य व्यापार निगम के उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिन्होंने चीथड़ों के बदले वस्त्र खरीदे। निर्माताओं ने तो उन्हें नहीं खरीदा। ये तो निगम ने ही खरीदे थे ?

श्री एल०एन० मिश्र : हम उद्योग को भी दोषयुक्त नहीं कर सकते। वह भी इसमें शामिल है। जाँच से पता चल जाएगा कि कौन-कौन दोषी है। जांच का यही उद्देश्य है।

श्री एच०एम० पटेल : प्रश्न वास्तव में लुधियाना उद्योग का इनके अभाव में ठप्प होने का है और लोगों के बेकार हो जाने का है। तो क्या विशेष आदेश देकर इन्हें उद्योग को नहीं दिलाया जा सकता क्योंकि जांच का उद्देश्य तो उत्तरदायित्व निश्चित करना है जो बाद में भी हो सकता है ?

श्री एल०एन० मिश्र : ये तो सुझाव मात्र ही हैं। मैंने पहले भी कहा था कि राज्य व्यापार निगम या हम इन्हें नीलाम कर सकते हैं या बेच सकते हैं। जब अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए तो हमें जाँच के लिए कहना पड़ा। अब सत्य सामने आ जाएगा।

श्री सतीश चन्द्र : वर्ष 1971-72 में इन चीथड़ों के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई थी ? क्या यह पूरी राशि चीथड़ों के बदले अच्छे कपड़ों के आयात पर खर्च की गई है ?

श्री एल०एन० मिश्र : इस सम्बन्ध में मैं ठीक-ठीक नहीं जानता। हम रे पास 2.75 करोड़ रुपये का माल जब्त है। मेरे पास आयात किए गए कपड़ों सम्बन्धी आंकड़े नहीं हैं।

प्रश्नों के लिखित उतर

Written Answers to Questions

कम्पनियों में विदेशियों के शेयर

***81. श्री दीनेश जोरदार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से मामलों में केवल 10 से 15 प्रतिशत अथवा इससे भी कम इक्विटी शेयर वाले विदेशी व्यक्तियों का सम्बन्धित कम्पनियों पर प्रभावी नियन्त्रण है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनियों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार के अनुसार इस प्रकार की कम्पनियां विदेशियों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों की श्रेणी में आती हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें 10 से 15 प्रतिशत तक का सामान्य शेयरों वाले विदेशी शेयरधारियों का, भारत में पंजीकृत कम्पनियों पर प्रभावी नियंत्रण हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पटसन, चाय, लौह-अयस्क और सूती कपड़े के निर्यात में कमी

***85. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 में पटसन, चाय, लौह-अयस्क, सूती कपड़े, खली तथा रेशम का निर्यात निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) प्रत्येक के निर्यात में कितने प्रतिशत की कमी हुई; और

(घ) इन वस्तुओं के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) चतुर्थ

योजना में वस्तुओं के निर्यातों के वार्षिक लक्ष्य के न होने के कारण 1971-72 के दौरान संदर्भाधीन वस्तुओं के निर्यात निष्पादन का मूल्यांकन उनके लक्ष्यों की दृष्टि में करना संभव नहीं है।

वास्तविक निष्पादन के आधार पर पिछले दो वर्षों से 1971-72 के दौरान पटसन निर्मित वस्तुओं तथा चाय के निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन संदर्भाधीन अन्य वस्तुओं अर्थात लौह अयस्क, सूती वस्त्र तथा रेशम के माल के निर्यातों को धक्का लगा। इन वस्तुओं के सम्बद्ध निर्यात आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

(करोड़ रु० में)

संदर्भाधीन वस्तुएं	1971-72†	1970-71	1969-70
पटसन निर्मित वस्तुएं	265.3.	190.4	206.7
चाय	156.3	148.3	124.5
लौह-अयस्क	104.7	117.3	94.6
सूती वस्त्र (मिल का बना)	110.0	115.4	111.5
खली	40.2	55.4	41.5
रेशम का माल (प्राकृतिक)	7.2	10.1	17.4

गिरावट के कारण तथा किये गये उपाय

लौह अयस्क : विश्व इस्पात उद्योग में विशेष कर जापान के इस्पात उद्योग में मन्दी का इस वस्तु के भारतीय निर्यातों पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ा। अन्य कारण जिन से वर्ष के दौरान हमारे निर्यातों में बाधा पड़ी उनमें पूर्वी क्षेत्र में परिवहन को कठिनाइयां तथा मद्रास पत्तन पर श्रम अशान्ति शामिल हैं।

लौह अयस्क के निर्यातों में तत्काल वृद्धि की संभावना जापान जैसे देशों में इस्पात उत्पादन के पुनरुद्धार पर काफी निर्भर है। उपाय के रूप में भारत पूर्व यूरोप को निर्यात बढ़ाने तथा नये बाजार खोजने का प्रयत्न कर रहा है।

†वस्तुवार ब्यौरा 1569 करोड़ रुपये का है जिसमें बंगला देश को किये गए काफी निर्यात (लगभग 38 करोड़ रु० के) शामिल नहीं है।

सूती वस्त्र : 1971-72 के दौरान सूती थानों तथा सूती धागे के निर्यातों में गिरावट का मुख्य कारण यह था कि देश में कच्चे सूत की घरेलू कमी के कारण भारतीय वस्त्रों की कीमत प्रतियोगी नहीं थी। बर्मा तथा श्रीलंका जैसे हमारे मुख्य बाजारों में विदेशी मुद्रा की समस्या से भी हमारे सूती धागे के निर्यातों पर प्रभाव पड़ा।

उपाय : गत वर्ष के विपरीत, अच्छी फसल होने के परिणामस्वरूप रुई को कीमतें अब उस स्तर पर हैं जो निर्यात उत्पादन के लिए प्रेरक हैं। क्वालिटी उत्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से निर्यात करने वाली मिलों की, बशर्ते विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो, जटिल किस्म की आयातित टैक्सटाइल मशीनरी की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयातित कपड़े के आधार पर सीमा शुल्क बांड के अन्तर्गत, सिले सिलाये परिधानों के निर्यात उत्पादन की योजना को उदार बना दिया गया है ताकि सिले सिलाये परिधानों का निर्यात सर्वाधिक किया जा

सके । सूती फैब्रिक्स तथा धागे के लिए विपुल क्रयादेश प्राप्त करने के भी सभी प्रयास किये जा रहे हैं । तथापि, हमें विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों तथा द्विपक्षीय वार्ताओं दोनों के द्वारा भी औद्योगिक देशों को अपनी आयात नीति उदार बनाने के लिए उन्हें राजी करने के लिए अपने प्रयासों को भी जारी रखना होगा । 1972-73 के दौरान, सूती वस्त्रों के निर्यात खासे बढ़े हैं ।

खली : खली के निर्यातों में गिरावट के अनेक प्रतिकूल कारण रहे हैं। जिनमें से अति महत्व-पूर्ण ये कारण हैं : अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट, सोयाबीन खाद्य से प्रतिस्पर्धा, अधिक ऊंची भाड़ा दरें और देश में बढ़ी हुई मांग । कतिपय शर्तों के अधीन, मूंगफली निस्सारण के निर्यात के बदले, विकास तथा भाड़ा सम्बन्धी सहायता के रूप में कुछ सहूलियतें दी जाती हैं । फिर भी, इस अच्छी गुंजाइश वाली मद के हमारे निर्यातों को बढ़ाने का प्रभावी हल यही है कि देश में उत्पादन का काफी विस्तार किया जाये ।

रेशमी वस्तुएं : निर्यातों में गिरावट के मुख्य कारण हैं : क्वालिटी में गिरावट, बदलते हुए फैशनों के अनुरूप न चलना और विशेष रूप से टसर फैब्रिक्स के मामले में, कीमतों में उतार चढ़ाव और कुछ निर्यातकों द्वारा क्वालिटी, सुपुर्दगी कार्यक्रम, कीमतों आदि के सम्बन्ध में व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार न चलना ।

उपाय : निर्यातों में गिरावट की प्रवृत्ति रोकने तथा हमारे निर्यातों में उत्तरोत्तर स्थिरीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) रेशमी वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियन्त्रण निरीक्षण के अंतर्गत रेशमी स्कार्फों तथा उत्तरीय वस्त्रों और रेशमी टाइयों को शामिल कर लिया गया है । क्वालिटी के लिए विनियमित करने वाले अतिरिक्त उपाय के रूप में इन वस्तुओं के लिए निम्नतम निर्यात कीमतें भी निर्धारित कर दी गई हैं ।

(2) टसर कोयों तथा टसर वेस्ट के लिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कच्चा माल बैंक स्थापित किया गया है ।

(3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशमी वस्तुओं के निर्यातों के संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाने हेतु वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में, एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति बनाई है ।

मैसर्स केरल लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, त्रिचूर

***88. श्री एन० श्रीकान्तन नायर :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री मैसर्स केरल लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, त्रिचूर के कार्यों की जाँच करने के लिए नियुक्त की गई समिति के सम्बन्ध में 8 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1252 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस मामले में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : मैसर्स केरल लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, त्रिचूर के कार्यों की जाँच करने के लिए 5-10-1972 को एक जाँच समिति नियुक्त की गई थी । उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है । इस बीच संकटग्रस्त वस्त्र उपक्रम (प्रबंध

ग्रहण करना) अध्यादेश, 1972 के अधीन सरकार ने इस मिल का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है।

एशियन इन्वेस्टमेंन सेंटर और एशियन टेक्नालाजी ट्रान्सफर सैन्टर

***89. श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन इनवेस्टमेंट सैन्टर और एशियन टेक्नालाजी ट्रान्सफर सैन्टर की स्थापना एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक परिषद द्वारा की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन सैन्टरों के मुख्य कार्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अभी केन्द्र स्थापित नहीं हुआ है।

(ख) . यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रिया से अखबारी कागज का आयात

***90. कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रिया से कुल कितने मीटरी टन अखबारी कागज आयात किया जाता है ; और

(ख) अंग्रेजी तथा हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों को कितने-कितने प्रतिशत अखबारी कागज वितरित किया जाता है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) 1969-70 से 1971-72 के दौरान सं० रा० अमरीका तथा आस्ट्रिया मे अखबारी कागज का आयात दर्शाने वाला विवरण।

वर्ष	सं० रा० अमरीका (मे. टन)	आस्ट्रिया (मे. टन)	योग (2.3) (मे.टन)
1.	2.	3.	4.
1969-70	20,634	कुछ नहीं	20,634
1970-71	11,542	,,	11,542
1971-72	48,549	1,654	50,203

(ख) सं० रा० अमरीका और आस्ट्रिया से आयातित और अंग्रेजी तथा हिन्दी समाचार पत्रों को वितरित अखबारी कागज की प्रतिशतता के संबंध में अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, कुल जितना आयातित अखबारी कागज, स्वदेशी अखबारी कागज और छपाई तथा लिखने का कागज हिन्दी तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों को वितरित किया गया उसकी प्रतिशतता नीचे दी गई है।

वर्ष	विवरण की प्रतिशतता	
	अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र	हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
1969-70	32.26	9.09
1970-71	31.	11.1
1971-72	31.	11.75

नोट—वर्ष 1971-72 के दौरान केवल आयातित और स्वदेशी अखबारी कागज आवंटित किया गया था।

स्केन्डेनेवियन देशों के साथ व्यापार

***91. श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्केन्डेनेवियन देशों के साथ व्यापार में पिछले तीन वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ व्यापार संस्थाओं ने इन देशों को ठीक समय पर माल सम्बन्धी विशिष्ट विवरण के अनुरूप माल सप्लाई नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप इन देशों के साथ भारत के व्यापार में गिरावट आई, और यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या है ; और

(ग) स्केन्डेनेवियन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के विचार से उक्त व्यापारियों/व्यापारिक गृहों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप इन देशों के साथ भारत का व्यापार घट रहा हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत तीन वर्षों में स्केन्डीवेनियन देशों के साथ भारत के व्यापार के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं। इनसे यह स्पष्ट होगा कि नार्वे को भारत के निर्यात 1970-71 की तुलना में 1971-72 में दुगने हो गये हैं। इस अवधि में स्वीडन को हुए निर्यातों में लगभग 1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है।

(मूल्य लाख रु० में)

	1969-70	1970-71	1971-72
नार्वे			
नार्वे से भारत को आयात	97	2,06	3,84
भारत से नार्वे को निर्यात	1,35	88	1,72
व्यापार संतुलन	(+) 38	(—) 1,18	(—) 2,12
स्वीडन			
स्वीडन से भारत को आयात	10,48	9,80	12,95
भारत से स्वीडन को निर्यात	5,20	5,97	6,03
व्यापार संतुलन	(—) 5,28	(--) 3,83	(--) 6,62
फिनलैंड			
फिनलैंड से भारत को आयात	1,38	2,35	2,52
भारत से फिनलैंड को निर्यात	51	55	44
व्यापार संतुलन	(--) 87	(--) 1,80	(--) 2,08

डेनमार्क

डेनमार्क से भारत को आयात	4,19	3,47	3,12
भारत से डेनमार्क का निर्यात	3,73	4,13	3,87
व्यापार संतुलन	(-) 46	(+) 66	(+) 75

दमदम हवाई अड्डे से विमानों की उड़ान व्यवस्था के विरोध में यात्रियों द्वारा दिया गया धरना

***92. डा० रानेन सेन :** क्या **पर्यटन और नागर विमान** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में बहुत से विमान यात्रियों ने दमदम हवाई अड्डे के प्रस्थान कक्ष में वहां से विमानों की उड़ान व्यवस्था के विरोध में 'धरना सत्याग्रह' किया था और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा०कर्ण सिंह): (क) जी, हां।

(ख) विमान की खराबी के कारण इण्डियन एयरलाइन्स की दिल्ली उड़ान के अन्तिम क्षण में रद्द किये जाने के कारण यात्री क्षुब्ध हो उठे थे।

दिल्ली में होटल स्थापित करने के प्रस्ताव

***96. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में तथा उनके आसपास 5-स्टार, 4-स्टार और 3-स्टार होटलों में कमरों और शैय्याओं की कुल संख्या कितनी कितनी है;

(ख) दिल्ली में होटल स्थापित करने सम्बन्धी विचाराधीन नये प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या भविष्य में दिल्ली में होटलों में स्थान की आवश्यकता के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार राजधानी में होटल बनाने के लिए पट्टे पर प्लाट देने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा०कर्ण सिंह): (क) दिल्ली क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित होटलों में उपलब्ध 2585 कमरों की कुल धारित (होटल कपेसिटी) में से, 1976 कमरे पांच, चार तथा तीन स्टार वाले वर्गों में हैं।

(ख) : होटलों के निर्माण के लिए दिल्ली में कई स्थानों का विनियतन करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में प्रक्रियाएं तथा ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) : जी, हां। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली में 1975 तथा 1980 तक क्रमशः 3,000 तथा 6,000 अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होगी जिनमें से कम से कम 2,000 कमरों

की आवश्यकता चार व पाँच स्टार वाले वर्गों में होगी तथा 2,000 कमरों की आवश्यकता तीन स्टार वाले वर्ग मे होगी :

(घ) जी, हां। होटल निर्माण के लिए पट्टे (लीज) पर स्थान देने के लिए शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

निचले स्तर पर बैंकों के लिए परामर्शदात्री समितियों की स्थापना के लिए प्रस्ताव

* 98. श्री **श्याम सुन्दर महापात्र:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला स्तर पर भी बैंकों के लिए परामर्शदात्री समितियों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ताकि किसानों अथवा छोटे व्यापरियों को बैंकों से सहायता लेने में सुविधा हो सके ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण): जब राष्ट्रीयकृत बैंकों के नए बोर्डों का गठन किया जाएगा, उस समय उनके प्रबन्ध से सम्बन्धित योजना के खण्ड 14 के अन्तर्गत ऐसे मामलों पर, जिन पर बोर्ड उचित समझें, उन्हें सलाहकार समितियां बनाने की खुली छूट होगी ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

* 99. **श्री डी०डी० देसाई :**

श्री सी०के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं ।

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है; और

(ग) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ।

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण): (क) और (ख) पिछले कुछ समय से मूल्यों पर, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर, जब से यह दबाव पड़ रहा है, वह मुख्यत: कृषि उत्पादन में कमी होने के कारण पड़ना शुरू हुआ है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की दर की अपेक्षा मुद्रा उपलब्धि में अधिक तेजी से वृद्धि होना भी इस दबाव के पड़ने का एक सहायक कारण है ।

(ग) इस वर्ष मानसून के ठीक समय पर न आने के कारण खरीफ की फसल को जो क्षति पहुंची है उसे एक ज़ोरदार कार्यक्रम द्वारा पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है; इस कार्य-क्रम में रबी के उत्पादन में वृद्धि करना भी शामिल है । दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । तोरिये और ताड़ के तेल का आयात करने का प्रबन्ध किया गया है । सरकारी वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया है और उचित मूल्यों की दुकानों की संख्या अक्तूबर के तीसरे सप्ताह तक 1.58 लाख तक पहुंच गई थी जबकि अगस्त 1972 के प्रारम्भ में इनकी संख्या 1.37 लाख थी । "लेवी" चीनी के अनुपात को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करके सार्वजनिक वितरण के लिए चीनी की उपलब्धता में वृद्धि की गयी है; देश भर में एक-समान निर्गम मूल्य भी लागू किये गये हैं । नियन्त्रित कपड़े के वितरण की योजना में भी

संशोधन किया गया है और जनसंख्या के आ ार पर राज्यवार कोटे निर्धारित किये गये हैं; खुदरा मूल्य, कारखाना-बाह्य मूल्य से 12.5 प्रतिशत अधिक होगा और कोटे के 90 प्रतिशत भाग के बराबर इस कपड़े का कारोबार सहकारी समितियों और उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा किया जायेगा। सट्टेबाजी पर रोक लगाने की दृष्टि से सरकार ने कई उपाय किये हैं ताकि विभिन्न वस्तुओं के वायदे के व्यापार का अधिक कारगर विनियमन और नियन्त्रण किया जा सके। सरकार का इरादा है कि बिचौलियों को, जैसे 'लेवी' चीनी के मामले में उत्तरोत्तर समाप्त कर दिया जाये। एक पर्याप्त प्रतिबन्धात्मक मुद्रा नीति का अनुसरण किया जा रहा है और सरकार की नीति है कि साधन जुटाने का काम गैर-मुद्रा बहुल्यकारी तरीके से किया जाय और बचतों को बढ़ावा दिया जाये। आयोजन-भिन्न व्यय के मामले में भी संयम बरता जा रहा है।

भारत के रक्षित विदेशी मुद्रा कोष में ह्रास

***100. श्री हरिकिशोर सिंह :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में देश के रक्षित विदेशी मुद्रा कोष में तेजी से ह्रास हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रक्षित कोष में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत की विदेशी मुद्रा—प्रारक्षित निधि, जिसमें सोना और विशेष आहरण अधिकार शामिल हैं, और जो 31 मार्च 1972 को 84 .7 करोड़ रुपये की थी घट कर 31 अक्टूबर 1972 को लगभग 778.5 करोड़ रुपये की रह गई।

(ख) सामान्यत: अप्रैल से सितम्बर तक के महीनों की अवधि में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि पर मौसमी दबाव पड़ता है। कुछ अतिरिक्त कारणों जसे अमरीकी सहायता बंद किए जाने पर आयातों के संबंध में हमारे अपने साधनों से अपेक्षाकृत अधिक अदायगियां किए जाने, अन्तर-राष्ट्रीय विकास संघ के तीसरे पुनर्भरण के प्रभावी होने में विलम्ब होने और ऋण शोधन के संबंध में लगातार भारी अदायगियां किए जाने के फलस्वरूप इस वर्ष प्रारक्षित निधि में असामान्य तेजी से कमी हुई है।

(ग) सरकार, आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से शोधन-शेष की स्थिति को सुदृढ़ बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। निर्यात-संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

मध्य प्रदेश में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति (डैपूटेशन) पर काम कर रहे मध्य प्रदेश सरकार के इंजीनियरिंग अधिकारी

801. श्री नरेन्द्र सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में स्थित केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे मध्य प्रदेश सरकार के इंजीनियरिंग अधिकारियों की संख्या क्या है; और

(ख) उक्त उपक्रमों में राज्यों के इंजीनियरों को प्रतिनियुक्त करने सम्बन्धी निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में रोजगार के आँकड़े प्रादेशिक आधार पर नहीं रखती।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार की इंजीनियरी सेवाओं में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों पर राज्य सरकार के नियम लागू होंगे। जहां तक केन्द्रीय सरकार की सेवाओं से केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में प्रति नियुक्त व्यक्तियों का संबंध है, नीति यह है कि उन्हें एक विकल्प देना पड़ेगा कि या तो उन्हें उसी उद्यम में स्थायी रूप से रख लिया जाय जिसमें वे काम कर रहे हैं या उन्हें एक निश्चित समय की सीमा के भीतर उनके मूल सेवा संवर्ग में लौटा दिया जाय। नीति, प्रतिनियुक्त व्यक्तियों पर केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की निर्भरता को कम करने की है।

विदेशी ऋण की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन करने के संबंध में भारत का प्रस्ताव

802. श्री वयालार रवि : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इन्टरनेशनल मोनेटरी फंड के कार्यकारी संचालकों और बोर्ड आफ गवरनर्ज की हाल की बैठक में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से पिछले ऋणों की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन लाने हेतु नये नियम बनाने के लिए कहा था; और

(ख) विकासाधीन और विकसित देशों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) विश्व बैंक के गवर्नरों के बोर्ड तथा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रतिनिधियों की जो बैठक हाल ही में हुई थी, उसमें मैंने इस बात पर जोर दिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज के लिए यह जरूरी है कि वह तत्काल ऋणों की वापसी अदायगी के कार्यक्रम को नियमित रूप से पुनः निर्धारित करने के लिए एक नयी नियमावली बनाये और विश्व बैंक जैसे बहु-पक्षी सस्थानों को आगामी वर्षों में इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए।

(ख) विकासशील देशों ने सामान्य रूप से ऋण सम्बन्धी राहत की आवश्यकता का समर्थन किया है और कुछ एक विकसित देश कुछ मामलों में ऋण वापसी सम्बन्धी राहत दे भी रहे हैं।

अहमदाबाद में संकटग्रस्त मिलें

803. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संकटग्रस्त मिलों जैसे काडी के दुर्गा काटन मिलस और अहमदाबाद के राजनगर मिलस संख्या 1 को अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) इन मिलों को अपने अधिकार में लेने में क्या बाधायें हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा श्री दुर्गा काटन मिल्स लि०, काडी को अधिकार में लेने का प्रश्न इस लिए नहीं उठता क्योंकि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जांच करवाने के बाद, इस एकक को समाप्त करने का विनिश्चय किया गया था।

मैसर्स राजनगर स्पिनिंग वीविंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, अहमदाबाद के एकक सं० 1 को. जिसका प्रबन्ध, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा पहले ही अधिकार में लिया जा चुका है, पुनः आरम्भ करने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है।

जुपिटर मिल्स, अहमदाबाद के उत्पादन में कमी

804. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उत्तेजित किये जाने से श्रमिकों में हिंसात्मक और बुरे तत्वों की गतिविधियों के कारण जुपिटर मिल्स, अहमदाबाद के उत्पादन में कमी आ गई है;

(ख) क्या किसी मजदूर संघ ने अथवा मजदूरों के प्रतिनिधियों ने इस बारे में जांच की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का अन्तिम प्रतिवेदन क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) दो हिंसात्मक घटनाओं के होने पर भी—पहली दिसम्बर, 1971 में तथा दूसरी अगस्त, 1972 में—मिल के उत्पादन में कमी नहीं आई है।

(ख) तथा (ग) टैक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद ने अगस्त, 1972 में बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1946 के अधीन राज्य सरकार से जाँच न्यायालय के लिए अनुरोध किया था। परन्तु राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई जांच न्यायालय गठित नहीं किया गया है।

Financial Assistance to Madhya Pradesh

805. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given any additional assistance to Madhya Pradesh for certain specific projects of the State outside the Plan provision;

(b) the percentage of the assistance given as grant and as loan;

(c) whether the Government of Madhya Pradesh have urged the Central Government to give them certain special grants; and

(d) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) During the current year so far no non-Plan assistance has been given to Madhya Pradesh for any speciffic project.

(c) & (d) : The Madhya Pradesh Government had requested additional central assistance for the State Capital Project. They have been advised to include these in their Plan programmes in consultation with the Planning Commission.

They had also requested for additional Central assistance during 1972-73 for development of minor irrigation and roads of an order of Rs. 3 crores each and Rs. 20 crores

for these two programmes for the remaining period of the Fourth Plan. The State Government have been requested to forward a detailed list of proposals for which additional Central assistance has been sought.

खान और धातु व्यापार निगम द्वारा रूमानिया के साथ लौह-अयस्क सम्बन्धी निर्यात-समझौता

806. डा० एच० पी० शर्मा : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान और धातु व्यापार निगम 10 करोड़ रु० लागत के 20 लाख टन लौह-अयस्क का निर्यात करने सम्बन्धी समझौते के लिए रूमानिया से बातचीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले है; और

(ग) समझौते की शर्तें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तथा (ग) बातचीत अभी भी चल रही है और शर्तों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

तस्करी की वस्तुओं का जब्त किया जाना

807. श्री नरेन्द्र सिंह :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पाँच महीनों में किस प्रकार की और कितनी मात्रा में तस्करी की वस्तुएं जब्त की गई और भारतीय मुद्रा में उनका मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : पिछले पाँच महीनों (मई से सितम्बर 1972) के दौरान सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये निषिद्ध माल का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	मात्रा	मूल्य (लाख रुपये)
1. सोना	202 कि० ग्रा०	17 (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर)
2. घड़ियां	1,89,767 नग	191)
3. संश्लिष्ट धागा		38) (भारतीय बाजार मूल्य पर)
4. संश्लिष्ट वस्त्र		373)
5. चाँदी	4187 कि० ग्रा०	22)
6. खतरनाक औषधियां		2)
7. वाहन तथा जलयान		45)
8. मुद्रा		42)
9. अन्य वस्तुएं		341)
	जोड़	1071

दिल्ली में होटलों के स्वामियों द्वारा हिप्पियों से प्राप्त विदेशी मुद्रा का लेखा जोखा रखा जाना

808. **श्री बेकारिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पहाड़ गंज, नई दिल्ली में होटलों में अनेक यूरोपियन हिप्पी रह रहे है;

(ख) क्या ये होटल इन हिप्पियों से किराया विदेशी मुद्रा में ले रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन होटलों के स्वामी इन हिप्पियों से प्राप्त विदेशी मुद्रा का उचित लेखा जोखा रख रहे हैं ?

वित्त मंत्री (**श्री यशवन्तराव चव्हाण**) : (क) से (ग) सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि विदेशी पर्यटक (हिप्पी) कभी-कभी पहाड़ गंज क्षेत्र के होटलों में ठहरते हैं और प्रबन्धक उनसे रुपयों में अदायगियां स्वीकार कर लेते हैं। पहली नवम्बर, 1972 से इनमें से दो होटलों को मुद्रा विनिमय लाइसेंस दे दिया गया है और इन्होंने विदेशी पर्यटकों से होटल के बिलों का भुगतान विदेशी मुद्रा में लेना शुरू कर दिया है। अब तक इस क्षेत्र के किसी होटल से प्रवर्त्तन प्राधिकारियों की कोई शिकायत नहीं है।

सैन्ट्रल बोर्ड आफ रिजर्व बैंक के निर्देशक को चिकित्सा हेतु विदेश जाने के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन

809. **श्री के०पी० उन्नीकृष्णन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल बोर्ड आफ इण्डिया का कोई निदेशक यात्रा और चिकित्सा के लिए वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में विदेश गया था;

(ख) यदि हां, तो उन निदेशकों के नाम क्या हैं और रिजर्व बैंक ने उन्हें उनकी यात्रा और चिकित्सा के लिए कितनी विदेशी मुद्रा दी है; और

(ग) क्या रिजर्व बैंक के निदेशकों को यात्रा तथा चिकित्सा के लिए विदेश जाने से संबंधित सामान्य नियमों से छूट दी गई है ?

वित्त मंत्री (**श्री यशवन्तराव चव्हाण**) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक के केवल एक निदेशक अर्थात श्री कमलजीत सिंह को विदेश में यात्रा और चिकित्सा के प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा दी गई थी। उन्हें कुल मिलाकर 12,799.80 पौण्ड तक की विदेशी मुद्रा दी गई थी। एक परिचर के लिए विदेशी मुद्रा दी गई थी। अमेरिका में चिकित्सा कराने के लिए विदेशी मुद्रा स्वास्थ्य सेवा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, बम्बई की सिफारिशों के आधार पर दी गई थी। उन्होंने कैन्सर द्वारा प्रभावित अपने मलाशय का आपरेशन कराया था। आवंटित की गई विदेशी मुद्रा का सामान्य नियमों के अनुसार पूरा हिसाब रखा गया है।

(ग) रिजर्व बैंक के निदेशकों पर भी विदेश में यात्रा तथा चिकित्सा से सम्बन्धित नियम लागू होते हैं।

उत्पादन व सीमाशुल्क विभाग में तलाशी लेने वाली महिलायें

810. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **वित्त** मंत्री 1 सितम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4185 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ तथा दिल्ली स्थित केन्द्रीय उत्पादन व सीमाशुल्क कलेक्टोरेट में तलाशी वाली महिलाओं की वरिष्ठता को निश्चित करने के कार्य को अन्तिम रूप देने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) इन कर्मचारियों को पदोन्नत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश): (क) तथा (ख) मामला अभी भी विचाराधीन है।

एयर इण्डिया की संचालन कुशलता

811. श्री के० सूर्यनारायण : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 सितम्बर, 1972 के "टाइम्ज आफ इण्डिया" के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित " द रेक्लेस महाराजा" नामक शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की समय-बद्धता में सुधार करने के लिए एयर इन्डिया को कोई आदेश देने का है;

(ग) क्या एयर इंडिया की संचालन कुशलता में हाल में कमी आयी है और क्या गलत संचालन, सेवाओं के रद्द करने और एयर इंडिया के विभिन्न विभागों के बीच उचित तालमेल के अभाव के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार देश की हवाई सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। विमानों की गति-विधि तथा पांचवें 'पाड इंजन' को निकालने व प्रतिस्थापित करने के कारण स्वरूप उक्त उड़ान, पूर्व-योजना के अनुसार, अनुसूचित समय से 14 घण्टे 30 मिनट बाद परिचालित की गई; सभी संबंधितों के सूचनार्थ मार्ग के सभी स्टेशनों को यथोचित अधिसूचना जारी की गई थी, और लन्दन से संयोजी यात्रियों (कनेक्टिंग पैसेंजर्स) के लिये उपयुक्त वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये थे।

(ख) क्योंकि समय-पालन को सुनिश्चित करने के लिये परिचालनों की आवृति और विमान की गतिविधियां सभी सम्बन्धित विभागों के समन्वय से ध्यानपूर्वक आयोजित की जाती हैं, अत: इस विषय में एयर-इंडिया को कोई निदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझा जा रहा है।

(ग) जी, नहीं। वर्ष 1970-71 में अनुसूचित उड़ानों में 31.9% विलम्बों की तुलना में वर्ष 1971-72 में विलम्बों का प्रतिशत 27.5% था।

(घ) कारपोरेशन द्वारा अनुसूचित उड़ानों को समय पर परिचालित करने के सभी प्रयत्न किये जाते हैं। प्रत्येक विलम्ब के कारणों की जांच करने के लिये प्रवर अधिकारियों की विलम्ब समितियां बनाई गई हैं, और जहां कहीं आवश्यक होता है तुरन्त उपचारी कार्यवाही की जाती है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टोरेट, मुदुरै द्वारा तीसरी पार्टी के माल का पकड़ा जाना

812. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **वित्त** मंत्री 1 सितम्बर, 1972 के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टोरेट, मुदुरै द्वारा माल के पकड़े जाने सम्बन्धी अतारांकित प्रश्न संख्या 4303 में उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पार्टी के नाम क्या हैं और उनके पास से जो तीसरी पार्टी का माल जब्त किया गया, उसका मूल्य क्या है ;

(ख) कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मुदुरै के निर्णय का क्या परिणाम निकला ;

(ग) इन पार्टियों पर लगाये दंड को उन्होंने किस तारीख को जमा किया तथा निर्धारित प्रक्रियानुसार जमानतें/बांड प्रस्तुत किये और माल किस तारीख को छोड़ा गया तथा माल के देर से छोड़ने के क्या कारण है ; और

(घ) मूल 'लाइसेन्सधारियों' अथवा 'निर्माताओं' जिनसे इन पार्टियों ने माल खरीदा था, को दिये गये उत्पादन शुल्क को वसूल करने तथा सन्तप्त पार्टी को अदा करने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति पर अध्ययन दल का प्रतिवेदन

813. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सूखाग्रस्त राज्यों में भेजे गये केन्द्रीय अध्ययन दलों ने अपने-अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं ;

(ख) यदि हाँ तो इन प्रतिवेदनों में प्रत्येक राज्य में सूखे की स्थिति के बारे में क्या मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) अध्ययन दलों ने प्रत्येक राज्य को राहत कार्यों के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता देने की सिफारिश की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) राज्य का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल राज्य सरकार के अधिकारियों से विस्तृत वार्ता करते हैं और प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा करते हैं। इससे उन्हें मौके पर जाकर स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार के मूल्यांकन से अध्ययन दल द्वारा विभिन्न सहायता कार्यों के लिए तय की गई व्यय की अधिकतम सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं ।

2. केन्द्रीय दलों द्वारा जिन राज्यों का दौरा किया गया है और उनकी सिफारिश पर निर्धारित की गई व्यय की अधिकतम सीमा की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सूखा से प्रभावित वे राज्य जिनका दौरा केन्द्रीय दलों द्वारा किया गया और केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए व्यय की वह अधिकतम सीमा जिसकी उनके द्वारा सिफारिश की गयी है और अब तक दी गयी केन्द्रीय सहायता।

(करोड़ रुपयों में)

राज्य का नाम	वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए व्यय की वह अधिकतम सीमा जिनकी सिफारिश की गयी है	राहत खाते में वित्त मंत्रालय द्वारा दी गयी तदर्थ सहायता	
		ऋण	अनुदान
1. आंध्र प्रदेश	28.00	4.50	—
2. बिहार	3.45	—	—
3. गुजरात	6.90	—	—
4. जम्मू और कश्मीर	**	0.50	—
5. महाराष्ट्र	20.09	7.00	3.00
6. मैसूर	7.75	4.50	2.00
7. नागालैण्ड	0.08	0.05	—
8. उड़ीसा	14.66*	4.00*	—
9. राजस्थान (जून-जुलाई 72)	2.19	2.00	—
10. तमिलनाडु	1.50	—	—
11. त्रिपुरा	0.88	0.25	—
12. उत्तर प्रदेश	10.10	—	—
13. पश्चिम बंगाल	7.07*	2.00*	—

**एक केन्द्रीय दल ने हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य का दौरा पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

*उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए व्यय की जिस अधिकतम सीमा की सिफारिश की गयी है और जो सहायता दी गयी है उसमें बाढ़/तूफान सम्बन्धी राहत कार्यों के लिए व्यय और सहायता शामिल है।

राज्यों में सूखे की परिस्थिति के निर्धारण का ढंग

814. श्री एस० सी० समान्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र से और अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्यों द्वारा सूखे की परिस्थिति की गलत सूचना देने अथवा इस स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के कुछ मामलों का पता चला है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे मामलों की संख्या और राज्यों के नाम क्या है ; और

(ग) ये समस्यायें गम्भीर हैं अथवा नहीं, इसका पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) किसी राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर स्थिति का मौके पर निर्धारण करने और केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिए विभिन्न राहत कार्यों के लिए रकम की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए एक केन्द्रीय दल उस राज्य को भेजा जाता है। केन्द्रीय दल, अपनी सिफारिशें करते समय और बातों के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सहायता कार्यक्रम पर होने वाले अनुमानित व्यय, विपत्ति के परिणाम स्वरूप हुई हानि, प्रभावित जनसंख्या, फसलों की हानि, सहायता संबंधी प्रयोजनों के लिए प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यक्रमों की किस्म, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति आदि पर भी विचार करता है। केन्द्रीय दल द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की अधिकतम सीमा निश्चित करती है। यह बिल्कुल सम्भव हो सकता है कि केन्द्रीय दल द्वारा किया गया निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किये गये निर्धारण जैसा न हो।

Employees belonging to scheduled Castes and scheduled tribes in public undertaking

815. Shri Bharat Singh Chauhan : Will be Minister of Finance be pleased to state.

(a) the number of Class I, Class II. Class III and Class IV employees working in each Central Government Undertaking, separately and the uumber of employees to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them; and

(b) the extent to which this ratio is proposed to be increased within a period of one year alter the 15th August, 1972

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) A statement giving the required information is enclosed.

[Placed in Library See. No. L. T. 372C/72]

(b) While no such target ratio has been laid down, Government have already decided that the orders regarding reservation of posts for Scheduled Castes/Tribes should be strictly followed by all Centaral Government undertakings. Except in the case of direct recruitment to posts in Class III and IV, where the prescribed percentages of reserved posts very from State to State, the orders generally stipulate that the representation of Scheduled Castes/Tribes should be 15% and $7\frac{1}{2}$% respectively. The formal directives have already been issued by the concerned administrative Ministries in respect of most of the enterprises in this regard. Even in the remaining few cases where such formal directives have yet to be issued due to the need for completing certain formalities regarding amendment of Articles of Association/Statutes to enable Government to issue such directives, the undertakings have agreed to abide by the Government orders on the subject. Government are keeping a close watch over the implementation of these orders to ensure the achievement of the prescribed representation of Scheduled Castes/Tribes. Further, Government have also asked the enterprises to relax the conditions of recruitment in their favour, wherever feasible and also undertake suitable training programmes to improve the skills of Scheduled castes Scheduied Tribes employees so as to equip them for higher responsibilities as the lack of suitable q alification has been one of the major reasons for shortfall in their representation. The actual improvement in the overall share in employment of Scheduled Castes/Tribes personnel in public enterprises during the next one year will also depend on the number of vacant posts available during this period. The procedure prescribed under the directive of Government, however, contains built-in safeguards te ensure recruitment of sech personnel to the maximum extent practicable up to the quotas reserved for them.

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन के कार्यकरण की जांच के लिए समिति नियुक्त करने की मांग

816. श्री रेणुपद दास :

श्री बख्शी नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन के शिक्षण संकाय के सदस्यों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें इंसटीट्यूट के कार्यकरण की जांच के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने की माँग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन के शिक्षा संकाय के किसी सदस्य की ओर से कोई ज्ञापन नहीं मिला है। परन्तु इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष की हैसियत में प्रधान मंत्री को इंस्टीट्यूट के शिक्षा संकाय के कुछ सदस्यों की ओर से 26 अगस्त 1972 का एक ज्ञापन मिला है।

(ख) इस ज्ञापन में इंस्टीट्यूट की दुरव्यवस्था तथा कुप्रबन्ध के संबंध में आरोप हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में भी आरोप हैं :

शिक्षा संकाय के निर्माण के लिए सरकार तथा अन्य एजेंसियों से इंस्टीट्यूट को प्राप्त अनुदानों का दुरुपयोग; कार्यकारी पार्षदों का दैनंदिन कार्यों में अत्यधिक उलझाव; नीति निर्माण में संकाय को भाग नहीं मिलना और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विचारणों में संकाय के सदस्यों को भाग लेने के अवसर नहीं देना।

हस्ताक्षरकर्ताओं ने इंस्टीट्यूट को सरचना गठन, प्रबन्ध तथा कार्यप्रणाली को जांच करने के लिए उच्च अधिकारान्वित समिति को नियुक्ति की भी मांग की है।

(ग) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकरण स्वायत्त सगठन है ओर इसलिए सरकार का इंस्टीट्यूट के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती है। फिर भी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष की हैसियत से प्रधान मंत्री ने इंस्टीट्यूट के चेयरमैन को सुझाव दिया है कि पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन की समस्याओं के किसी भी विज्ञान व्यक्ति को कहा जाय कि वह इंस्टीट्यूट के संगठन और कार्यक्रमों में ऐसे आवश्यक परिवर्तन सुझावे जिससे वह इंसटीट्यूट उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि प्रधान मंत्री का ख्याल है कि इस बात की विवेचनात्मक ढंग से जांच की जानी चाहिए कि क्या करने से यह इस्टीट्यूट इसकी उच्च अपेक्षाओं के अनुसार कार्य कर सके।

Import of Liquor in the Country

817. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state the estimated quantity of liquor imported from foreign country every year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : A statement is laid on the Table of the House.

[Placed in Library. See. No. L. T. 3721/72]

चीनी पर उत्पादन शुल्क

818. श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी पर उत्पादन शुल्क कम करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितना उत्पादन शुल्क कम करने का निर्णय किया गया है; और

(ग) उत्पादन शुल्क में कमी करने का उद्देश्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : सरकार ने चीनी पर उत्पादन शुल्क में छूट देने की केवल एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। चीनी के पुराने कारखानों के लिए चालू मौसम (अर्थात 1972-73 चीनी वर्ष के सम्बन्ध में, जो 1 अक्तूबर 1972 को आरम्भ होकर 30 सितम्बर 1973 को समाप्त होगा) उत्पादन शुल्क में छूट की घोषित मात्रा नीचे दिये अनुसार है :

(क) अक्तूबर नवम्बर 1972	1971 में तदनुरूपी अवधि में उत्पादित मात्रा से अधिक चीनी के उत्पादन पर 40 रुपये प्रति क्विण्टल
(ख) दिसम्बर 1972 अप्रैल 1973	1971-1972 के मौसम की तदनुरूपी अवधि में उत्पादित मात्रा से 115 प्रतिशत से अधिक उत्पादित चीनी पर 20 रु0 प्रति क्विण्टल
(ग) मई-जून 1973	1972 की तदनुरूपी अवधि में उत्पादित मात्रा से अधिक उत्पादित चीनी पर 30 रुपये प्रति क्विण्टल
(घ) जुलाई-सितम्बर 1973	1972 की तदनुरूपी अवधि में उत्पादित मात्रा से अधिक उत्पादित चीनी पर 30 रु० प्रति क्विण्टल

चालू मौसम में चीनी के उन नए कारखानों द्वारा उत्पादित चीनी की उस मात्रा पर 40 रु0 प्रति क्विण्टल की छूट दी जायेगी जिनमें उत्पादन पहली बार 1 अक्तूबर 1972 को अथवा उसके बाद आरम्भ होता है और 5,000 मीटरी टनों के अधिक होगी। इन छूटों की घोषणा, चालू मौसम में गन्ने की अधिकतम पिराई करने की दृष्टि से की गई है ताकि वर्तमान मौसम की अपेक्षा बढ़ाया जा सके।

सूखा तूफान, तथा बाढ़ राहत के रूप में राज्यों को सहायता

819. श्री बनमाली पटनायक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान तूफान तथा बाढ़ राहत के रूप में कितनी राशि का ऋण तथा सहायता दी गई;

(ख) उक्त ऋण तथा सहायता का मूल्यांकन करने के लिए मान दण्ड क्या अपनाये गये; और

(ग) प्रत्येक राज्य ने इसका किस प्रकार उपयोग किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर०गणेश): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०3722/72)

(ग) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दैवी विपत्तियों के आ पड़ने के कारण उनके द्वारा शुरु किये गए विभिन्न सहायता पुनर्वास और मरम्मत कार्यों के लिए दी जाती है और उसमें कृपापूर्ण सहायता, सहायता सम्बन्धी निर्माण कार्य, पीने के पानी के लिए व्यवस्था, मकान बनाने के के लिए अनुदान और ऋण, तकावी ऋण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्य आदि शामिल है।

दासिक देवलाली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का तुलन पत्र

820. श्री रेणु पद दास : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) नासिक देवलाली इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने किस तिथि तक का तुलन पत्र दे दिया है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के वार्षिक तुलन पत्र जारी न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कम्पनी अधिनियम का उल्लेख करने के लिए इस कम्पनी के निदेशकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया गया अन्तिम तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि लेखा 31-3-1968 के वर्ष ती समाप्ति से सम्बन्धित है।

(ख) कम्पनी ने कोई कारण नहीं दिया है;

(ग) न्यायालय द्वारा कम्पनी और इसके निदेशकों पर अभियोग चलाया गया दोष सिद्ध किया एवं जुर्माना किया था। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 614 क (2) के अन्तर्गत निदेशकों के विरूद्ध, साथ-साथ तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि लेखाओं को, विशेष तिथियों पर, कम्पनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने के न्यायालय के निर्देश का अनुपालन न करने का अभियोग लंबित हैं।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण की जाँच के लिये समिति

821. श्री डी० डी० देसाई : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति ने घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो समिति ने किस प्रकार के उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में स्थापित, सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित कार्य समिति का जिक्र कर रहे हैं। उक्त समिति की कमियों को दूर करने और कार्य के उच्च

स्तर प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों और कम्पनी प्रबन्धक वर्गों की सहायता करने के उद्देश्य से उपक्रमों की कार्यचालन सम्बन्धी और प्रबन्धकीय खामियों का पता लगाना है। सरकार द्वारा अब तक स्वीकार की गयी समिति की रिपोर्टों की कुछ एक सिफारिशों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(i) प्रबन्धक वर्ग और तकनीकी सेवाओं को सशक्त बनाना,

(ii) संगठनात्मक ढांचों में परिवर्तन और निगम और सयंत्र स्तरों पर आदमी लगाना;

(iii) औद्योगिक सम्बन्धों, कार्मिक प्रबन्ध, प्रेरणा शक्ति आदि में सुधार;

(iv) अनुरक्षण, सामग्री प्रबन्ध, उत्पादन आयोजन और नियंत्रण का सुधार;

(v) कुछ संतुलनकारी सुविधाओं की व्यवस्था;

(vi) कुछ प्रक्रियाओं में काम आने वाली सामग्री में परिवर्तन;

(vii) एक जैसे क्रियाकलापों में लगे निगमों के बीच अधिकाधिक एकता; और

(viii) इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्य-आयोजना।

कृषि आय कर से राजस्व

822. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने यह मत प्रकट किया है कि यदि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 6,000 करोड़ रुपये तथा 75,00 करोड़ रुपये के बीच संसाधन जुटाकर आत्म-निर्भरता का लक्ष्य पूरा करना है तो वांचू समिति द्वारा दी गई सिफारिशों की उपेक्षा करके कृषि आय पर कराधान के सम्बन्ध में राज समिति द्वारा दिये गए सुझावों को क्रियान्वित करना आवश्यक होगा; और

(ख) यदि हाँ, तो कृषि आय पर कर लगाने के सम्बन्ध में दोनों समितियों द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं तथा पाचवीं योजना के अन्तर्गत अपेक्षित संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : इस विषय पर योजना आयोग के विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना पर एक दृष्टिकोण (टूवाडंस एन एप्रोच टू दी फिफ्थ प्लान) नामक प्रलेख में, जो पहले ही सभा-पटल पर रख दिया गया है, बता दिये गये हैं।

(ख) कृषि आय कर के सम्बन्ध में वाँचू और राज समितियों द्वारा की गयी सिफारिशों की रिपोर्टें भी सभा-पटल पर रखी जा चुकी हैं। सिफारिशें विचाराधीन हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भारत के भुगतान-शेष के अन्तर को कम करने के उपाय

823. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अन्तः मन्त्रालय विशेषज्ञ दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यदि औद्योगिक विकास की वर्तमान प्रवृति जारी रही तो पंचवर्षीय योजना के दौरान भुगतान शेष का अन्तर और अधिक बढ़ जायेगा तथा योजना के दौरान विदेशी मुद्रा का अन्तर 2,000 करोड़ रुपये तक का हो जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए इस अन्तर को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) विशेषज्ञों के एक अन्तर मंत्रालयिक कार्यकारी दल ने पांचवी आयोजना में परिकल्पित विकास-दरों के आधार पर निर्यात और आयात के सम्बन्ध में कुछ अनुमान लगाये हैं और विदेशी मुद्रा के अन्तर के अनुमान तैयार किये हैं ।

(ख) सरकार इस समय कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

राजस्थान सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में बड़े एककों की स्थापना के लिए कम ब्याज पर ऋण देने का अनुरोध

824. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या वित्त यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में बड़े एककों की स्थापना करने के लिए राजस्थान सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम और भारत के औद्योगिक विकास बैंक को कम ब्याज पर ऋण देने का अनुरोध किया है यदि हाँ तो राजस्थान सरकार द्वारा किये गये अनुरोध का ब्यौरा क्या है;

(ख) उस पर औद्योगिक वित्त निगम और भारत के औद्योगिक विकास बैंक का जबाव क्याा है; और

(ग) राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में बड़े एककों की स्थापना के लिए कौन से विशिष्ट प्रस्ताव दिये गये हैं जिनके लिए कम ब्याज पर ऋण की मांग की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने खास तौर पर केवल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में बड़े पैमाने के कारखाने लगाने के लिए सामान्यतः रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए अनुरोध किया है यह अनुरोध खास-कर राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम द्वारा एक प्राइवेट पार्टी के सहयोग से बनाये गये मोटर-गाड़ियों के टायर और ट्यूब संयंत्र के सम्बन्ध में था, जिसे अलवर, जोधपुर अथवा उदयपुर में स्थापित किया जाना है । चूंकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा घोषित की गयी रियायती वित्त घोषणा की योजना के अन्तर्गत सामान्यतः किसी ऐसी परियोजना के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध नहीं होती जिसकी परियोजना लागत 1 करोड़ रुपये से अधिक होती है इसलिए विकास बैंक ने प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में और सूचना देने का अनुरोध किया है । राज्य सरकार से सूचना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

Payment of Pension to Retired Government Employees

825. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the minium amount of pension being paid to retired Government employees together with the basis thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : The minimum amount of pension payable to a Central Government pensioner is Rs. 40/- p. m. (inclusive of ad hoc increases where applicable) with effect from Ist March, 1970. This amount was fixed on ad hoc basis.

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के प्रबन्ध-ग्रहण को स्थगित करने के बारे में आर्थिक समन्वय समिति का निर्णय

826. **श्री मधु दंडवते** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति ने संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के प्रबन्ध-ग्रहण सम्बन्धी अपने निर्णय को स्थगित कर देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार ने संकटग्रस्त वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण करना) अध्यादेश, 1972 के अधीन 46 सूती वस्त्र मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है ।

इरी और टसर रेशम के उत्पादन के बारे में सर्वेक्षण

827. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इरी और टसर रेशम के उत्पादन के लिए उचित जलवायु और भूमि के बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनके परिणाम क्या हैं ?

विदेश व्यपार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). ऐसे सर्वेक्षण आम तौर पर राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किये जाते हैं । बोर्ड, देश में रेशम का उत्पादन बढ़ाने की संभाव्यता कूतने के लिए स्वयं भी सर्वेक्षण करता है । केन्द्रीय टसर अनुसंधान केन्द्र, राँची के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप टसर के कार्यों में वृद्धि करने के लिए उप-हिमालय क्षेत्रों में कुदरती रूप से उगे ओक के वृक्षों को काम में लाने के लिए, 1970 में केन्द्र रेशम बोर्ड ने जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा मनीपुर में तीन उप-केन्द्र स्थापित किये । मनीपुर सरकार के विशेष अनुरोध पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने मनीपुर में ओक टसर रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए हाल ही में एक परियोजना-रिपोर्ट तैयार की है :

इरी उद्योग मुख्यतः असम तक ही सीमित है । हालांकि बीज के प्रयोजनार्थ एरंडी की व्यापक खेती बिहार, आँध्र प्रदेश तथा उड़ीसा जैसे अन्य राज्यों में की जाती है फिर भी इन राज्यों में इरी उगाने का काम सीमित पैमाने पर किया जाता है क्योंकि इरी से काटे गये कोयों से कम मात्रा में रेशम प्राप्त होता है ।

सरकारी उपक्रमों में मैसूर के लोगों के लिए नौकरियों का आरक्षण

828. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्र सरकार की अनुमति से, राज्य में स्थित सरकारी उपक्रमों में 500 रुपये तथा उससे कम वेतन वाली नौकरियाँ मैसूर राज्य के लोगों के लिए आरक्षित करने का निश्चय किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने किस आधार पर राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसूर सरकार ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा अपनाई जा रही कार्मिक नीति का उद्देश्य इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना है कि उन स्थानीय लोगों को जिनके नाम स्थानीय रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पन्न रोजगार के अवसरों में और विशेष रूप से छोटे पदों में उचित भाग मिले। इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नीति यह है कि 500 रुपये प्रति माह तक के वेतन वाले पदों पर भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही होनी चाहिए। ऐसे पदों पर भर्ती के लिए अन्य साधन तभी अपनाए जाने चाहिएं जबकि रोजगार कार्यालय योग्य प्रत्याशी उपलब्ध कराने में असमर्थ हों। यह भी निर्धारित है कि ऐसी रिक्तियों के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में जिनकी भाषा भी स्थानीय हो विज्ञापन दिये जाने चाहिएं। छोटे पदों पर भर्ती के लिए चयन समिति में सामान्यत: राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि भी शामिल होता है।

मुख्य नियत्रक, आयात तथा निर्यात, दिल्ली के कार्यालय में अपर डिवीजन क्लर्कों के रिक्त स्थान

829. श्री भारत सिंह चौहान : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य नियन्त्रक आयात तथा निर्यात, दिल्ली के कार्यालय में वर्ष 1972-73 के लिए अपर डिवीजन क्लर्कों की स्वीकृत सख्या कितनी है, वर्तमान संख्या क्या है और इस श्रेणी के कितने स्थान रिक्त हैं;

(ख) उक्त श्रेणी में 1-1-72 से 31-7-72 की अवधि में कितने स्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे;

(ग) क्या रिक्त स्थानों की सूचना कार्मिक विभाग के जनरल (सरप्लस स्टाफ) सेल को दी गयी थी; यदि हां, तो किस किस तारीख को सूचना दी गई और, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या रिक्त स्थान स्टाफ में से भरे गये अथवा इसके केन्द्रीय (सरप्लस स्टाफ) सेल द्वारा नाम भेजे गये ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1972-73 के दौरान मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय में अपर डिवीजन क्लर्कों की स्वीकृत संख्या 96 है और आज की तारीख में वहाँ कोई स्थान रिक्त नहीं है।

(ख) से (घ) अपर डिवीजन ग्रेड में 7 नियमित रिक्त पद थे जो कि मुख्य नियन्त्रक आयात-निर्यात के कार्यालय सहित 31 मार्च, 1972 तक इस मंत्रालय के काडर में हुए। इन रिक्त पदों में से तीन पद 1971 में हुए अपर डिवीजन ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर लिए गये थे। इन तीन रिक्त पदों में से एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था लेकिन ऐसा कोई प्रत्याशी नियुक्त नहीं किया गया। बाकी चार रिक्त पद, लोअर डिवीजन क्लर्कों में से, जो कार्मिक विभाग द्वारा विहित प्रोन्नति के क्षेत्र में आते थे, नियमों के अनुसार भर लिये गये थे।

इन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये पदों के आरक्षण से संबंधित आदेश इन पदों के लिए, जो प्रोन्नति द्वारा भरे गये थे, लागू नहीं होते। इस लिए, कार्मिक विभाग के जनरल (सरप्लस स्टाफ) सेल में से अपर डिवीजन क्लर्कों के पदों को भरने का प्रश्न नहीं उठता।

लुधियाना में हौजरी उद्योग का बन्द होना

831. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लुधियाना (पंजाब) में हौजरी उद्योग के अनिश्चित काल के लिए बन्द हो जाने की ओर दिलाया गया है जिसके परिणामस्वरूप 1 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग पर आये संकट को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार ने इस विषय में प्रेस रिपोर्ट देखी हैं और कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। चूंकि मिलें ऐसी गाँठों, जिनमें विनिषिद्ध माल था, के बड़े पैमाने पर पकड़े जाने के कारण बन्द हुई बतायी जाती हैं, अतः सीमा शुल्क कार्यालय शीघ्र ही इन मामलों पर विनिश्चय करेगा। कोई उपचारक कार्यवाही सम्भव नहीं है।

भारत और बंगला देश के बीच 'पटसन समुदाय, का बनाया जाना

832. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी यूरोप के कोयला/इस्पात समुदाय की तरह भारत और बंगला देश के बीच 'पटसन समुदाय' का गठन करने के सम्बन्ध में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावित समुदाय के उद्देश्य क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उद्देश्य यह है कि दोनों सरकारें, विश्व अर्थव्यस्था में पटसन तथा पटसन निर्मित वस्तुओं के हित का संरक्षण करने के लिए एक सामान्य नीति विकसित कर सकें।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के व्यापार में वृद्धि

833. श्री एम० एम० जोसफ : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष खनिज तथा धातु व्यापार निगम के व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां तो व्यापार सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसमें कितनी वृद्धि हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). अप्रैल-अक्तूबर, 1972 में, खनिज तथा धातु व्यापार निगम का व्यापार गत वर्ष के इसी अवधि के 133 करोड़ रु० से बढ़कर 187 करोड़ रु० का हो गया । निर्यात बढ़ाने के मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) साधित अभ्रक के निर्यात का निगम के ही माध्यम से किया जाना;

(2) निगम द्वारा वस्तु विनिमय सौदे के अन्तर्गत निम्न तथा मध्यम ग्रेड के तम्बाकू का निर्यात; तथा

(3) फैरो-मैंगनीज के निर्यातों में वृद्धि ।

अलोह धातुओं तथा इस्पात की कतिपय मदों के मार्गीकरण के कारण हुई है । निर्यातों में 21 प्रतिशत की तथा आयातों में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

कृत्रिम रेशे का आयात

835. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष भारत में प्रत्येक किस्म के, कितनी-कितनी मात्रा में और कितने-कितने मूल्य के कृत्रिम रेशे का आयात किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3723/72]

इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया की उड़ानों की बुकिंग के लिए कम्प्यूटरों से आरक्षण करने की व्यवस्था का प्रयोग

836. **श्री रामप्रकाश** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विशेषज्ञों ने इन्डियन एयर लाइन्स तथा एयर इण्डिया की उड़ानों की बुकिंग के लिए कम्प्यूटरों से आरक्षण करने की व्यवस्था का प्रयोग करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एयर लाइन्स तथा एयर इण्डिया के लिए एक संयुक्त तंत्र (ज्वाएंट सिस्टम) अथवा अलग-अलग यूनिटों की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए एक दल का गठन किया गया था जिसमें इलेक्ट्रानिक्स कमीशन, इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया के प्रतिनिधि सम्मिलित थे । समिति की रिपोर्ट अक्तूबर, 1972 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुई थी और उसकी जांच की जा रही है ।

निर्यात संवर्धन नीति में संशोधन

837. **श्री राम प्रकाश** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान निर्यात संवर्धन नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यात संवर्धन नीति का निरन्तर पुनरीक्षण होता रहता है तथा जब भी आवश्यक समझा जाता है निर्यात संवर्धन उपायों में उपयुक्त परिवर्तन किया जाता है। फिर भी, इसके लिए कोई विशिष्ट प्रस्थापना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये नये कर्मचारियों की भर्ती के लिये एक अलग बोर्ड का गठन

838. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए नये कर्मचारियों की भर्ती के करने के मामले में भ्रष्टाचार और पक्षपात समाप्त करने के लिए एक अलग बोर्ड गठित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या हैं ; और

(ग) यह कब तक काम प्रारम्भ कर देगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिपिकीय और कनिष्ठ अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती के लिए सभी बैंकों के लिए सांविधिक रूप से एक समान भर्ती अभिकरण स्थापित करने के सम्बन्ध में बैंकिंग आयोग की सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है। उक्त अभिकरण की सदस्यता, कार्य और क्षेत्राधिकार संघ लोक सेवा आयोग के अनुरूप होंगे।

तीसरे वेतन आयोग के कर्मचारियों की संख्या

839. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय वेतन आयोग में कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) वेतन आयोग की स्थापना के बाद से उनके कर्मचारियों, सदस्यों और अध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों के रूप में सरकार द्वारा खर्च की गई राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में अदा की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वेतन आयोग के कर्मचारियों की 14-11-1972 को यथास्थिति संख्या :

दैनिक मजदूरी पर 189

लिपिक=14 (हाशिये में उल्लिखित 45 दैनिक मजदूरों वाले कर्मचारियों को छोड़कर)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी=31

जोड़ 45

(ख) वेतन आयोग के गठन की तारीख से कर्मचारियों सदस्यों और अध्यक्ष के अलग अलग वेतन और भत्तों पर व्यय हुई रकम

	1970-71	1971-72	1972-73 31-10-72 तक
	रु०	रु०	रु०
अध्यक्ष	18,438.38	29,624.33	16,371-42
सदस्य-सचिव सहित सदस्य	1, 30,704.10	1,71,947.85	93,807.25
कर्मचारी	9, 70,267.74,	16,77,833.76,	10,27,179.74
जोड़	11,19,410.22	18,79,405.94	11,39,358.41

नोट : (i) अध्यक्ष के सम्बन्ध में दिये गये आंकड़ों में पेंशन शामिल नहीं है, जो उन्हें अलग से मिलती है।

(ii) सदस्यों ने अलग अलग तारीखों पर कार्य भार संभाला

(ग) कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में भुगतान की गई रकम।

1970-71	रु० 56,286.55
1971-72	रु० 87,069.80
1972-73 (31-10-72 तक)	रु० 40,570.90
जोड़	रु० 1,83,927.25

तीसरे वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना

840. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) आयोग कब तक सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री के० आर० गणेश**) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सदन का ध्यान लोक सभा में दिनांक 4 अगस्त 1972 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 936 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है, जिसमें वेतन आयोग के कार्य की प्रगति बतायी गयी थी। आयोग अपना कार्य यथासंभव शीघ्र पूरा कर देने की पूरी कोशिश कर रहा है। वर्तमान संकेतों के अनुसार आयोग की रिपोर्ट चालू वर्ष के अंत तक उपलब्ध होने की आशा है।

छोटे सिक्कों की कमी

841. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषतः दिल्ली और भारत के उत्तरी राज्यों में छोटे सिक्कों की अभी भी कमी है; और

(ख) देश में छोटे सिक्कों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री के० आर० गणेश**) : (क) यद्यपि छोटे सिक्कों की उपलब्धि में काफी वृद्धि हुई है फिर भी अभी हाल ही में दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के कुछ शहरों से सिक्कों की कमी के बारे में शिकायतें मिली हैं।

(ख) सरकार ने टकसालों में छोटे सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पहले से ही कई उपाय किये हैं, जिनमें मिश्र धातुओं की रचना में परिवर्तन करना भी शामिल है ताकि सिक्कों का अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से उत्पादन किया जा सके और पिघलाये जाने के प्रयोजन से इनको प्रचलन से हटाने के खतरे को दूर किया जा सके। छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 को भी लागू कर दिया गया है जिसके अनुसार इन सिक्कों का पिघलाया जाना, तथा पिघलाये जाने के उद्देश्य से इनकी जमाखोरी करना कानूनी अपराध करार दिया गया है। रिजर्व बैंक के काऊंटरों पर वितरित किये जाने वाले सिक्कों की मात्रा पर भी कड़ा नियंत्रण रखा जाता है ताकि उन लोगों की कार्रवाइयों को रोका जा सके जो प्रायः सिक्कों की जमाखोरी तथा मुनाफा लेकर उनका व्यापार करते हुए देखे जाते हैं। दूसरी ओर वास्तविक कारबार के प्रयोजन के लिए, बैंकों, सरकारी विभागों, परिवहन उपक्रमों, मिलों, होटलों, कम्पनियों और अन्य संगठनों जैसे संस्थानों को काफी उदारतापूर्वक सिक्के दिये जाते हैं। सिक्कों की स्थानीय कमी के बारे में हमेशा प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाती है। जैसे ही किसी विशिष्ट केन्द्र से शिकायतें मिलती हैं, रिजर्व बैंक उन शिकायतों की जांच करता है और बैंक के स्टाक की स्थिति के अनुसार आवश्यकतानुसार और अनुमत अतिरिक्त सिक्के वहाँ भेजते है, ताकि इस प्रकार की स्थानीय कमी को दूर किया जा सके।

नेपाल से वस्तुओं की तस्करी

842. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लाखों रुपये के मूल्य की चीन से तस्कर आयात की गई वस्तुएं रात में प्रतिदिन नेपाल से गोरखपुर आती है;

(ख) यदि हां, तो तस्करी की वस्तुओं को देश में आने से रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) तस्करी की वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और पिछले एक वर्ष के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये माल की अनुमानित लागत कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार को विदित है कि चीन में बने माल का तस्कर व्यापार गोरखपुर में तथा उसके आस-पास हो रहा है, किन्तु इस प्रकार हो रहे तस्कर-व्यापार के माल का मूल्य प्रतिदिन लाखों रुपया नहीं है ।

(ख) इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) नेपाल से भारत को तथा भारत से नेपाल को होने वाले माल के तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर अनेक गश्ती निवारक दल तैनात किये गये हैं ।

(ii) बहुत सी जीपें मुहैय्या की गई है ताकि कर्मचारी अधिक गश्तें लगा सकें और प्रभावी तौर पर कार्य कर सकें ।

(iii) निवारक दलों के कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ा दी गई है ।

(iv) भारत-नेपाल सीमा पर राज्य प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ।

(v) इस सम्बन्ध में नेपाल के महामहिम की सरकार से बार-बार सहयोग भी मांगा गया है ।

(ग) जिन विदेशी वस्तुओं का देश में सामान्यतया तस्कर आयात होता है, वे ये हैं :— ट्रांजिस्टर, टेप रिकार्डर, घड़ियां, फाउण्टेन पेन, बाल-प्वांइट पेन तथा रिफिलें, कैमरे, रेडियन्ट यार्न, संश्लिप्ट धागा, नायलान की जुराबें, संश्लिष्ट वस्त्र, मैकेनिकल लाइटर, मैकेनिकल लाइटर के चकमक पत्थर ।

1971 के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर पकड़े गये माल का मूल्य 96,87,000/-रुपये था । इसमें से, जो चीन में बना माल पकड़ा गया उसका मूल्य 1,79,068/-रुपये था ।

यूोपरीय साझा बाजार देशों के साथ करार

843. श्री नरेन्द्र सिंह :

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन को भारत द्वारा किये जाने वाले निर्यात को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने यूरोपीय साझा बाजार के 6 देशों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हाँ, तो समझौते की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के सन्दर्भ में भारत के व्यापार हितों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटेन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय दोनों के साथ अभी भी बातचीत चल रही है।

सिलिका रेत का जापान को निर्यात

844. श्री एन० श्रीकान्तन नायर :
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को केरल से सिलिका रेत का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि केरल सरकार का इस कच्चे माल पर आधारित एक उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्यात सम्बन्धी अपने प्रस्ताव पर पुर्नविचार करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कोई विशिष्ट प्रस्थापना नहीं है लेकिन जापान को सिलिका मिट्टी क निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) केरल सरकार सिलिका मिट्टी का उपयोग करने के लिये राज्य में कांच उद्योग समूह विकसित करने की विभिन्न योजनाओं पर विचार कर रही है। उस सरकार ने स्वयं सिलिका मिट्टी का शोधित रूप में निर्यात करने का सुझाव दिया है। उनके अनुसार स्थापित किये जाने वाले उद्योग सिलिका मिट्टी के अधिकांश निक्षेपों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। तथापि, यदि कोई निर्यात किया गया तो वह इस बात पर निर्भर करेगा कि देश में घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात उसकी कितनी मात्रा बचती है।

कच्चे माल की कमी के कारण काजू कारखानों का बन्द होना

845. श्री एन० श्रीकान्तन नायर :
श्री ईब्राहीम सुलेमान सेठ :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि कच्चे काजू की कमी के कारण केरल राज्य काजू विकास निगम को 25 कारखानों में से 23 कारखानों को बन्द करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 2/,000 मजदूर बेरोजगार हो गए;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है कि जिन कारखानों ने निम्नतम मजूरी अधिनियम को लागू नहीं किया है उन्हें कच्चे काजू न दिये जाएं यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस निर्यात प्रधान उद्योग के संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) काजू साधित-कर्ता उद्योग मौसमी है और सरकार को इस उद्योग में किसी विशेष संकट की जानकारी नहीं है। केरल सरकार ने अनुरोध किया था कि आयातित कच्चे काजुओं का आवंटन केवल उन कारखानों को करना चाहिए जो कानूनी मजूरी विनियमों को पूरा करें। यह प्रश्न विनिश्चित करने का प्राधिकार कि केरल स्थित कोई कारखाना न्यूनतम मजूरी दे रहा है या नहीं, केरल सरकार का काम है। भारतीय काजू निगम ने केरल सरकार से ऐसे कारखानों की सूची भेजने का अनुरोध किया है, जिसके प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

चीथड़ों सम्बन्धी घोटाले की जांच

846. श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'चीथड़े' सम्बन्धी घोटाले के मामले की जांच कराई गई थी;

(ख) यदि हाँ तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) चीथड़ों के लिए आयात लाइसेंसों पर पुराने उपेक्षित वस्त्रों के आयात के कई मामले सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने पकड़े है। इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

देश के हवाई अड्डों का स्तर बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव

847. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के हवाई अड्डों का स्तर बढ़ाने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) विमान क्षेत्रों का सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है। औरंगाबाद, खजुराहो, जयपुर और उदयपुर के धावनपथों को बोइंग 737 विमानों के नियमित परिचालन के लिए और अधिक उपयुक्त बनाने, तथा पोरबन्दर केशोद और जबलपुर विमान क्षेत्रों के धावनपथों एच०एस०-748 विमानों के नियमित परिचालन के लिए और अधिक उपयुक्त बनाने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया जा चुका है।

एशिया, 72 मेले पर लागत व्यय

848. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में हो रहे एशिया 72 मेले के पूरा होने में अनुमानतः कितना लागत व्यय हुआ ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : एशिया 72 मेले की अनुमानित लागत 5,83 करोड़ रुपये है। संशोधित प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं और अन्तिम स्थिति एक महीने के अन्दर मालूम हो जाएगी।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से जूतों का निर्यात

849. श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री बी०के० दास चौधरी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से जूतों का निर्यात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) 14 नवम्बर, 1972 से सभी प्रकार के जूतों का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया है।

(ख) यह विनिश्चय सरकारी क्षेत्र के निकायों के माध्यम से निर्यात व्यापार का उत्तरोत्तर मार्गीकरण करने की और बड़े वाणिज्यिक एककों द्वारा किये जाने वाले जूतों के निर्यात को राज्य व्यापार के क्षेत्र में लाने की सरकार की नीति के अनुसरण में किया गया है।

बिहार में स्टेट बैंक आफ़ इंडिया द्वारा लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता

850. कुमारी कमला कुमारी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में स्टेट बैंक आफ इंडिया और यूनाईटेड कमर्शियल बैंक से कितने लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता मिली है; और

(ख) वर्ष 1971 में और मई 1972 तक कितनी राशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). दिसम्बर 1971 तथा मार्च1972* के अन्तिम शुक्रवार को, बिहार राज्य में स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों की बकाया रकम तथा उधार खातों का ब्योरा इस प्रकार है :

रकम लाखों रुपये में

	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक		**भारतीय स्टेट बैंक**	
	खातों की संख्या	**बकाया रकम**	**खातों की संख्या**	**बकाया रकम**
दिसम्बर 1971 के अन्तिम शुक्रवार को	184	70.47	1105	511.11
मार्च 1972 के अन्तिम शुक्रवार को	180	72.21	1161	523.11

*यह वह अद्यतन तिथि है जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं।

जनता के पास और बैंकों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रतिशतता

851. कुमारी कमला कुमारी: क्या **वित्त** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में जनता के पास और बैंकों में उपलब्ध नकदी सहित वित्तीय संसाधनों की प्रतिशतता क्या रही और

(ख) मुद्रा प्रसार का मुख्य कारण क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) वित्तीय संसाधन, जिसका अर्थ है जनता के पास उपलब्ध कुल राशि तथा बैंकों के सर्वाधि खातों में जमा राशियों का जोड़, 1971-72 (वित्तीय वर्ष) के अन्त में 12,233 करोड रुपये के थे और वे इससे पहले के वर्ष की अपेक्षा 15.7 प्रतिशत अधिक थे।

(ख) 1971-72 में (वित्तीय वर्ष) में मुद्रा का विस्तार होने का मुख्य कारण रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को पिछले वर्ष की 332 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में अधिक अर्थात् 847 करोड़ रुपये के शुद्ध ऋण दिया जाना है। 1971-72 में रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले शुद्ध वास्तविक ऋण में इतनी अधिक वृद्धि कुछ ऐसे आसाधारण व्यय को पूरा करने के कारण हुई जो केन्द्रीय सरकार को बंगला देश के शरणार्थियों, पिछले दिसम्बर में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के संबंध में तथा देश के कई भागों में आयी दैवी विपत्तियों के संबंध में करना पड़ा। ऐसा तब हुआ जब इन व्ययों को पूरा करने के लिए कर लगा कर तथा बाजार ऋण लेकर साधन जुटाने के लिए भारी प्रयत्न किए गए थे।

छोटे बैंकों का कार्यकरण

852. श्री शशि भूषण : क्या वित मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बड़ी संख्या में विद्यमान छोटे बैंकों के कार्यकरण से संतुष्ट है;

(ख) क्या सरकार को इन बैंकों के कार्यकरण के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं, और यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इन बैंकों को अपने अधिकार में लेने अथवा इनके कार्यकरण पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश): (क) और (ग) निजी क्षेत्र के छोटे बैंकों का कार्य संचालन रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम और बैंककारी विनियमन अधिनियम के अधीन प्रदत्त सांविधिक शक्तियों के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा समुचित रूप से नियंत्रित किया जाता है। इन बैंकों को अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) जब कभी बैंकों के कार्यकारण के बारे में खास शिकायतें मिलती हैं, तो उन पर रिजर्व बैंक विचार करता है और जहां भी आवश्यकता होती है उचित कार्यवाई की जाती है।

भारत स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा रुपया बाहर भेजने पर नियन्त्रण

853. श्री शशि भूषण

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या सरकार का विचार देश में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली विदेशी कम्पनियों पर नियन्त्रण रखने का है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि ये कम्पनियां लाभ के रूप में रुपया विदेशों को नहीं भेज रही; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान विनियमों के अन्तर्गत, उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के लाभों सहित मौजूदा लाभों की रकमों के विदेश भेजने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की विदेशी शेयरधारिता वाली सभी कम्पनियों के मामलों में, संसद के पिछले सत्र में प्रस्तुत विदेशी मुद्रा विनिमय विधेयक, 1972 के अधिनियम बन जाने के पश्चात विचार किया जायगा।

विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण

854. श्री शशि भूषण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण न किये जाने के कारण संसद को एक से अधिक बार बताये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में सरकार की धारणा में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों द्वारा उपकरणों पर धन बरबाद किया जाना

855. श्री शशि भूषण :
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 अक्तूबर, 1972 के ब्लिट्ज (पृष्ठ 7) में "आई० ए० सी० वेस्ट्स हाफ करोर आफ फोरेन एक्सचेंज आन यूजलैस ईक्युपमेंट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त लेन-देन के लिए उत्तरदायी ठहराये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां। 1966 में आर्डर दिये गये थे। इस मामले के ब्यौरे की ओर सरकार का ध्यान 1969-70 की ड्राफ्ट आडिट रिपोर्ट के परिणामस्वरूप आकृष्ट हुआ। सरकार ने विस्तृत जांच करने के लिए मामले को तुरंत केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया। कारपोरेशन ने प्रमुख सतर्कता आयुक्त के साथ भी परामर्श किया। उनके द्वारा दिये गये परामर्श को दृष्टि में रखते हुए कारपोरेशन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बीमे की नई पालिसियां जारी करने के मामले में ब्रिटेन सरकार द्वारा इण्डियन जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी पर प्रतिबन्ध

856. डा० रानेन सेन :
श्री बी०के० दास चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार ने नई पालिसियां जारी करने अथवा पुरानी पालिसियों के नवीकरण करने के सम्बन्ध में इण्डियन जनरल इंशोरेन्स कम्पनी पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है।

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ब्रिटिश सरकार के व्यापार तथा उद्योग विभाग ने स्टरलिंग जनरल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड को 12 अक्तूबर 1972 से ब्रिटेन में कारोबार बन्द करने का निर्देश दिया है।

(ख) "स्टरलिंग जनरल" ब्रिटेन में केवल बीमा-प्रतिबीमा का कारोबार पारम्परिक आधार पर कर रही थी और उसके कारोबार की मात्रा थोड़ी सी ही थी। इसलिए, इस मामले में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

देश में होटलों का निर्माण

857. डा० रानेन सेन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 31 होटलों के निर्माण के लिये होटल ऋण निधि में से 13·24 करोड़ रुपये के ऋणों की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां तो किन स्थानों पर इन होटलों का निर्माण किया जायेगा; और

(ग) क्या ये होटल गैर सरकारी प्रबन्ध में होंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) निम्नलिखित 14 केन्द्रों पर 33 होटल प्रायोजनाओं के निर्माण की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए कुल 12.94 करोड़ रुपये के ऋणों का अनुमोदन किया जा चुका है :—

आगरा, औरंगाबाद, बंगलौर, बड़ौदा, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद/सिकन्दराबाद, जयपुर, कुल्लू-मनाली, लखनऊ, मद्रास, पूना, श्रीनगर, विशाखापत्तनम्।

(ग) जी, हां।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के लिए प्रार्थना

858 **श्री धनशाह प्रधान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधान मंत्री से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) : जी नहीं।

(ख) : यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Clubbing of Income of Husband and Wife for Taxation

859. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Finance** be please to state ;

(a) Whather Bihar Mahila Parishad has opposed the clubbing of the income of wife with that of the husband; and

(b) the reasons why the income of the wife is proposed to be clubbed with that of the husband ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Government have not received any representation from the Bihar Mahila Parishad on this subject.

(b) The question of treating the family consisting of husband, wife and minnor, children as a unit of taxation is still under consideration.

इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की जांच करने के लिए एक पैनल बनाना

860. श्री वी० मयावन :

श्री गिरधर गोमांगो :

क्या **पर्यटन और नागर विामनन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की जांच करने हेतु एक पैनल बनाने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो पैनल सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) पैनल अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग) दोनों एयर कारपोरेशनों में सेवा स्तरों (लेवल्स) तथा वेतन ढांचे की जाँच करने तथा उन्हें युक्तिसंगत रूप प्रदान करने के बारे में सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

योरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रतिनिधि का दौरा

861. श्री वी० मायावान :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश करने के सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रतिनिधि ने भारत सरकार से बात करने के लिए भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के क्या विचार हैं; और

(ग) वार्ता के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) गत सितम्बर में ब्रिटिश मंत्रीमण्डल में मन्त्री, महामाननीय ज्योफ्रे रिपन की दिल्ली यात्रा के दौरान, विदेश व्यापार मंत्री ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश करने के संदर्भ में भारतीय निर्यातों के लिए संरक्षक उपायों के प्रश्न पर उनसे बातचीत की । यह बातचीत उन विचार विमर्शों का ही एक अंश थी जो हम ब्रिटिश सरकार के साथ इस विषय पर करते रहे हैं । इस सम्बन्ध में और आगे वार्तायें जारी रहेंगी ।

राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेना

862. **श्री वी० मायावन** :
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 21 नवम्बर, 1971 को लन्दन में हुए राष्ट्रमण्डलीय वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई थी;

(ग) उसमें क्या निर्णय लिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रमण्डल के वित्त मन्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सुधार, स्टर्लिंग क्षेत्र सम्बन्धी प्रबन्धों और प्रारक्षित मुद्रा के रूप में स्टर्लिंग के भविष्य से सम्बन्धित प्रश्नों और सहायता तथा व्यापार से सम्बन्धित मामलों पर व्यापार और विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र के तीसरे सम्मेलन के परिणामों के बारे में विचार-विमर्श किया था ।

(ग) सम्मेलन की समाप्ति पर जारी की गई विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3724/72]

साईकलों तथा मोटर साईकलों के लिये विदेशों से निर्यात क्रयादेश

863. **श्री वी० मायावन** :
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोलोन में हुई साईकल तथा मोटर साईकल प्रदर्शिनी में भाग लेने वाले भारतीय निर्माताओं को पश्चिम जर्मनी से 15 लाख डी० एम० के मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्रयादेशों का माल कब तक भेजा जायेगा; और

(ग) क्या दूसरे देशों से भी कोई क्रयादेश प्राप्त हुआ है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) प्रदर्शनी में भाग लेने वाले, साईकल-हिस्से-पुर्जों के तीन विनिर्माताओं को पश्चिम जर्मनी, हालैंड, इटली, बेल्जियम सहित पश्चिम यूरोपीय देशों से कुल 15 लाख ड्यूशमार्क के साईकल-हिस्से-पुर्जों के क्रयादेश प्राप्त हुए ।

(ख) बुक किए गए क्रयादेशों में से लगभग 25 प्रतिशत क्रयादेश संभवतः 31-3-1973 तक निष्पादित कर दिए जाएंगे बाकी क्रयादेश अगले वर्ष तक पूरे किये जायेंगे।

(ग) उपरोक्त के अलावा, संपूर्ण साईकलों के लिए प्राप्त किए गए महत्वपूर्ण क्रयादेशों में से कुल, निम्नोक्त हैं :

सं० रा० अमरीका	...	3.29 करोड़ रु० (2 क्रयादेश)
इंडोनेशिया		2.92 करोड़ रु० (2 क्रयादेश)
मस्कत		95 लाख रु०

आठवें डेरी उद्योग सम्मेलन की सिफारिश

864. श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा : क्या वित मंत्री कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिए गए 24 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3688 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 1971 में हुए आठवें डेरी उद्योग सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों की जांच इस बीच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो कारखानों में निर्मित दुग्ध उत्पादों और उन्हें भरने के लिए अपेक्षित डिब्बों पर उत्पादन शुल्क समाप्त करने की सिफारिश के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० **गणेश**) : (क) जी, हां। उनकी कृषि मंत्रालय में जांच की गई है।

(ख) इस सिफारिश की विस्तारपूर्वक जाँच की गई है किन्तु उसको स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

पोलैंड से "मिथिला कलाचित्रों' के आर्डर

865. श्री पम्पन गौडा : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड ने "मिथिला कला" का आर्डर दिया है; और

(ख) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को "मिथिला कला" के लिए पोलैंड द्वारा दिए गए किसी भी आर्डर के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाइसिकलों का निर्यात

866. श्री पम्पन गौडा : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय बाइसिकलें लोकप्रिय होती जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस वर्ष किन-किन देशों ने बाइसिकलों की सप्लाई के लिए क्रयादेश दिए हैं तथा प्रत्येक देश को इस वर्ष कितनी बाइसिकलों का निर्यात किया जाएगा; और

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) भारतीय साइकिल तथा हिस्से पुर्जे 40 से अधिक देशों को नियमित रूप से निर्यात किये जा रहे हैं । कुछ बड़े क्रयादेश, जिनको इस समय पूरा किया जा रहा है, इस प्रकार है :

संयुक्त राज्य अमरीका	...	3.29 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 2 लाख साइकिलों के 2 क्रयादेश ।
इंडोनेशिया	...	2.92 करोड़ रुपये मूल्य की 1.92 लाख साइकिलों के 2 क्रयादेश ।
मस्कत	...	95 लाख रुपये की साइकिलों का एक क्रयादेश ।
पश्चिम जर्मनी	...	34 लाख रुपये की साइकिलों का एक क्रयादेश ।

इस वर्ष के दौरान लगभग दो लाख साइकिलों का निर्यात होने की सम्भावना है । इन आंकड़ों का देशवार ब्यौरा देना कठिन है ।

सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान के लिए पृथक कानून

868. श्री पम्पन गौडा :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए पृथक कम्पनी कानून तैयार करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसके कारण क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

बंगला देश से मछलियों का आयात

869. श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के साथ मछली का व्यापार होता है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी मछली आयात की गई ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत-बंगला देश व्यापार करार के अन्तर्गत बंगला देश से मछली का आयात 2 अक्तूबर, 1972 को आरम्भ हुआ ।

(ख) अक्तूबर, 1972 मास के दौरान बंगला देश से 3.38 लाख रुपये मूल्य की 65 मे० टन मछली का आयात किया गया ।

बंगला देश के साथ होने वाले व्यापार में शामिल की गई वस्तुएं

870. श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश के साथ होने वाले व्यापार में शामिल किन-किन नई वस्तुओं को शामिल किया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : भारत का बंगला देश के साथ व्यापार भारत-बंगला देश व्यापार करार के अनुसार विनियमित होता है। गत माह, ढाका में हुई मध्यावधि संवीक्षा में दोनों देश व्यापार व्यवस्था के क्षेत्र को बढ़ाने पर विचार करने के लिए सहमत हो गये जिससे कि भारत से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्यात उसमें शामिल किया जा सके। टूथ ब्रुश और शेविंग ब्रुश, खेल कूद का सामान और खेल और खेल कूद के लिए आवश्यक माल पटसन की गांठ बनाने वाली प्रैस के फालतू पुर्जे, सिल बट्टा, केन तथा रेंटन, शंख लघु-बसें, बसें बाइसिकलें, छटक रोपवे के लिए फालतू पुर्जे, आलू, अदरक, तथा संतरे, और बंगला देश से इन वस्तुओं का आयात किया जा सके, चमड़ा कमाने के मेनग्रोव निस्सारण (चमड़ा कमाने ५ वनस्पति पदार्थ) कूर्म तथा कछुए, पान, अनन्नास, पुआल की चटाइयां, रोड फ्लावर झाड़ू, कॉयर की चटाइयाँ, शीतल पट्टी, छतरी की लकड़ी की मूंठे, प्लास्टिक का सामान, गंधक का तेजाब, रीठे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, कर्पर, शहद, शृंगार सामग्री।

बंगला देश के साथ निजी तौर पर व्यापार को प्रोत्साहन

871. श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के साथ व्यापार इस समय निजी तौर पर अथवा व्यक्तिगत आधार पर किया जा सकता है; और

(ख) क्या निजी क्षेत्र द्वारा व्यापार को प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). दोनों सरकारें इस बात से सहमत हो गयी हैं कि सीमित भुगतान प्रबन्ध के अन्तर्गत व्यापार विनियम उन अभिकरणों द्वारा संभाला जायेगा जिनका 16 मई, 1972 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 6282 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरणों में उल्लेख किया गया था।

सीमित भुगतान प्रबन्ध के बाहर आयात तथा निर्यात करने की अनुमति समय-समय पर प्रवृत आयात निर्यात तथा विदेशी मुद्रा विनियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार दी जाती है। भारत-बंगला देश व्यापार करार और पब्लिक नोटिस सं० 57-आई० टी० सी० (पी० एन०)। 72 दिनाँक, 20 अप्रैल, 1972 की तक एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई है।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों का ठीक समय पर न उड़ना

872. श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि इंडियन एयरलाइंस के विमान आजकल ठीक समय पर नहीं उड़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख). इण्डियन एयर-लाइन्स स्थिति के सुधार के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है और विलम्ब के कारणों पर कड़ी नजर रख रही है ताकि जहाँ कहीं आवश्यक हो उपचारी उपाय किये जा सकें। सितम्बर और अक्तूबर 1972, के महीनों में समय पर की गई उड़ानों के प्रतिशत में काफी सुधार हुआ है।

सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उच्चतम पदों पर नियुक्तियां

873. श्री **डी० डी० देसाई** :

श्री **प्रसन्न भाई मेहता** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में उच्चतम पदों पर नियुक्ति के मामले पर, केन्द्र के आर्थिक मंत्रालय एवं उनके अधीन सरकारी प्रतिष्ठानों के मध्य मतभेद है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री **के० आर० गणेश**) : (क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में उच्चतम पदों अर्थात पूर्णकालिक अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, निदेशक बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों और संघटक एककों के महा निदेशकों के पदों पर नियुक्तियाँ करने की शक्ति सरकार के पास है। नीति के अनुसार, सरकार अन्य सभी उच्चतम पदों पर नियुक्तियां करते समय अध्यक्ष से परामर्श करती है। इसलिए मतभेद उत्पन्न होने की कोई बात ही नहीं है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भारत में आयकरदाता

874. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी बिना कर लगाये आय एक लाख तथा इससे ऊपर है तथा ऐसी आयों की कुल धनराशि क्या है;

(ख) ऊपर बताई गई कुल आयों पर देय कर की राशि क्या है; और

(ग) उन करदाताओं की कुल संख्या कितनी है जिनकी वार्षिक आय दस हजार रुपये प्रति वर्ष से कम है तथा उन करदाताओं की कुल संख्या कितनी है जिनकी आय दस हजार रुपये प्रति वर्ष से अधिक है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री **के० आर० गणेश**)

(क)	* कर-निर्धारणों की संख्या :	22,004
	निर्धारित कुल आय :	935,34,44,000 रु०
(ख)	* कर की कुल रकम :	405,64,70,000 रु०
(ग)	* भारत में ऐसे निर्धारणों की कुल संख्या जिनमें वार्षिक आय 70,000 रु० से कम है :	12,16,376

भारत में ऐसे निर्धारणों की कुल संख्या जिनमें वार्षिक आय 10,000 रु० से अधिक है : 6,76,244

* ऊपर दी गई सूचना वित्तीय वर्ष 1968-69 के लिए प्रकाशित अखिल भारतीय आयकर अंक संकलन से प्राप्त अन्तिम आंकड़ों पर आधारित है। अखिल भारतीय आंकड़े वित्तीय वर्ष 1968 69 में पूरे किये गये कर निर्धारणों के आधार पर संकलित किये जाते है। इन कर-निर्धारणों का सम्बन्ध निर्धारण-वर्ष 1968-69 तथा इससे पूर्ववर्ती वर्षों से है। यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक वर्ष के कर-निर्धारण, 1968-69 में पूरे किये गये हों तो उसे उक्त अंक संकलन में एक से अधिक बार दिखाया जाता है। इसी प्रकार, यदि उस व्यक्ति का उस वर्ष कोई कर-निर्धारण पूरा नहीं हुआ तो उसे उस वर्ष के अंक संकलन में बिल्कुल ही नहीं दर्शाया जायेगा। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुये, सूचना कर-निर्धारणों के अनुसार दी गई है।

2. दिये गये आँकड़े सभी वर्गों के कर-निर्धारितियों, जैसे व्यक्तियों, फर्मों, कम्पनियों आदि के बारे में हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की बैठक में विनिमय दरों में संशोधन के बारे में भारत द्वारा किए गए प्रस्ताव

875. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की हाल की बैठक में उनके इस तर्क पर, कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दरों में संशोधन करते समय विकासशील देशों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाये, औद्योगिक दृष्टि के विकसित देशों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

वित्त मंत्री (श्री **यशवन्तराव चव्हाण**) : प्रायः सभी इस बात पर सहमत थे कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार सम्बन्धी प्रश्नों पर, जिनमें समता-दरों के समायोजन का प्रश्न शामिल है, दस व्यक्तियों के दल (ग्रुप आफ टेन) जैसे विशिष्ट मंचों के बजाय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के मंच पर विचार किया जाना चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा इन प्रश्नों पर विचार करते समय विकासशील देशों के विशेष हितों को पूरी तरह स स्वीकार किया जाना चाहिए।

Seizure of Smuggled Watches in Bombay

876. Shri G. C. Dixit :
Shri Ishwar Chaudhary :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of wrist watches in rupees seized in Bombay during the last three years;

(b) whether some foreigners have also any hand in the smuggling of the watches; and

(c) if so, the action taken against the persons found guilty ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) The value of wrist watches seized by the Customs and Central Excise authorities in Bombay during the last three years (1969, 1970 & 1971) was as under :—

Year	Value of wrist watches seized. (Rs. lakhs)
1969	232
1970	194
1971	221

(b) Foreigners also have a hand in the smuggling of watches, though they may not themselves carry them into India.

(c) In one case one foreigner was arrested and wrist watches valued at Rs. 18,7190/- were seized from him. The watches seized were absolutely confisticated, Personal penalty of Rs. 2000/- was also imposed upon him. He was also prosecuted in the court of law and was convicted as a result thereof.

Seizure of Smuggled Goods in Jaipur

877. **Shri Hukam Chand Kacbwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Excise Department officials raided a house in Jaipur in July and August, 1972 and recovered a number of prohibited articles, gold foreign cloth;

(b) the value in Indian currency of the articles recovered; and

(c) the number of persons against whom action has been taken in this regard and the nature of action ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) The Officers of the Central Excise & Customs Department conducted a raid of one house at Jaipur in July, 1972 and seized foreign made nylon cloth worth about Rs. 2,700/-. There was a combined search of a house in August. 1972 carried out by Customs & Central Excise and Income Tax Departments. Precious and semi-precious uncut stones of foreign origin worth about Rs, 50,000/- have been seized. Departmental action under the Customs Act has been initiated against the person involved in the first case. Investigations are in progress in the second case.

Non-installation of Voice Recorders in Aeroplanes of Indian Airlines and Air India

878. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there are a number of aeroplanes belonging to the Indian Airlines and Air India in which Voice Recorders are not installed; and

(b) the number of Such planes and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Voice Recorders have been installed in all planes of Air-India and on the 7 Boeing-737 aircraft of Indian Airlines.

(b) The following aircraft of Indian Airlines are not fitted with Voice Recorders :

(i) 7 Caravelle aircraft
(ii) 6 Viscounts (Operational)
(iii) 16 HS-748s
(iv) 9 F-27s
(v) 7 DC-3s (operational)

Indian Airlines has no plans to install Voice recorders in the above aircraft. These are in no way essential for operational safety.

Control Tower of Palam Aerodrome

879. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Contral Tower of Palam Aerodrome is not sound proof, and

(b) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Tourism And Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b). Yes, Sir. Work to improve the sound profing of the control tower has been sanctioned and will be taken up shortly.

Decline In National Income

880. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Shekhar Prasad Singh :

Will the Minister of **Einance** be pleased to stater :

(a) whether the rate of incrcose in the national income has been declining; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Finances (Shri Y. B. Chavan) : (a) After registering an increase of 5.3 per cent in 1969-70 and 4.7 per cent in 1970-71. net national income seems to have shown a smaller rise in 1971-72. However, official estimates for 1971-72 are still under compilation.

(b) Unfavourable weather conditions aftecting agricultural production appear to be the main reason for the small increase in national income during 1971-72. Since a substantial part of the country's national income originates from agriculture and also from industries dependent on agricultural products, fluctuation in agricultural output, due to adverse climatic conditions, are reflected in the growth in national income. Besides shortages of industrial raw materials, the industrial production in 1971-72 was also affected adversely in certain cases by inadequate demand, power shortage and unsatisfactory industrial relations. Efforts to raise national income, however, are continuously made through programmes of industrial and agricultural development as laid down in the Plan. In 1971-72, the level of the Plan outlay in the public sector is being substantially stepped up. Specific measures have also been taken to encourage industrial output; these include permission given in respect of 65 industries to expand and diversify output to the extent of 100 per cent of their licenced capacity and also additional imports arranged to overcome shortages of certain essential inputs. The Government has also initiated an emergency food production programme in order to increase the production of rabi foodgrains by 15.8 million tonnes to meet the expected shortfall in the output of kharif crops in the current year.

कानपुर में हवाई अड्डे का निर्माण

881. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में एक हवाई अड्डा बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) क्या हवाई अड्डे के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) कानपुर (चकेरी) हवाई अड्डे पर 5.09 एकड़ भूमि नागर विमानन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गयी है। एक सिविल एन्कलेव का विकास करने के लिए आवश्यक प्राक्कलन (एस्टीमेट) तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-कानपुर-लखनऊ-दिल्ली के मध्य वृत्ताकार उड़ानों का पुन: आरम्भ करना

882. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-कानपुर-लखनऊ-दिल्ली के मध्य वृत्ताकार उड़ानों को पुनः आरम्भ करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) इण्डियन एयर-लाइन्स की इस उड़ान को पुनः आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि दिल्ली-लखनऊ-वाराणसी-पटना-कलकत्ता सैक्टर पर एक बोइंग 737 सेवा आरम्भ कर दिये जाने के बाद से वाणिज्यिक दृष्टिकोण से ऐसी विमान सेवा के लिए कोई औचित्य नहीं रह गया है।

आय पर अधिभार

883. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आय पर 5 प्रतिशत अधिभार लगाये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या इसका उपयोग रोजगार कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए किया जायगा ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई ब्यौरा तैयार किया गया है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) · बेरोजगारी सम्बन्धी समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में अन्य सुझावों के साथ-साथ आय पर अधिभार लगाने का भी सुझाव दिया है। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

जापान से तकनीकी सहायता के लिए समझौता

884. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री अरविन्द नेताम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने हाल ही के जापान प्रवास में उन्होंने तकनीकी सहायता के लिए दोनों देशों में कोई आपसी समझौता करने के लिए चर्चा की थी;

(ख) क्या जापान भारत को तकनीकी सहायता देने को तैयार हो गया है; और

(ग) क्या कोई समझौता हुआ है और यदि हाँ, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं। वहां पर तकनीकी सहायता के मामले पर आपसी समझौता करने के लिए कोई चर्चा नहीं हुई थी। चर्चा में दोनों देशों के बीच विभिन्न प्रकार के आर्थिक सहयोग के विषयों पर बातचीत की गई थी।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

Ceiling on Cash, Jewellery, Diamonds, Safe Deposit Vault and Bank Lockers

885. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to enact any legislation to fix ceiling on (1) cash holding (2) jewellery and diamonds (3) safe deposit vault and (4) bank lockers and to make inquiries in regard thereto; and

(b) if so, the time by which it would be done ?

The Minister of State in the Mnistry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) No such decision has been taken by the Government.

(b) Dose not arise.

Searching of Houses of Government Servants and Private Citizens

886. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Government servants and private citizens whose houses were serched during the last two years on the suspicion of incurring expenditure or being in possession of property disproportionate to their income; and

(b) the action taken against the persons found guilty ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) Searches in the case of Government servents are usually carried out by the C. B. I. The required information is being collected and will be placed on the Table of the House.

During the year 1970-71 and 1971-72, the Income-tax Department carried out 195 and 516 searches respectively in suspected cases of tax evasion. No separate information is available regarding the number of Government servents included in the above figures.

Action in accordance with the law has been or is being taken in such cases to assess the persons concerned to proper tax.

Repor of the Enquiry Committee on the Crash of a Japan Airlines Plan Near Palam in Delhi

887. Shri Hhri Singh :

Shri Banamali Patnaik

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Enquiry Committee set up to go into the coauses of the crash of a plane of Japan Airlines near Palam in Delhi has since submitted its Report;

(b) if so, the findings thereof; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Report of The Judicial Enquiry Committee regarding Aircrash near Palam In Delhi on 11-8-1972.

888. Shri Hari Singh :

Shri Sukhdeo Prasad Verma :

Will the Minister of **Tourism And Civil aviation** be pleased to state :

(a) whether the report of the judicial enuiry Committee set up to go into the causes of aircrash on the 11th August, 1972 near Palam in Delhi has been reccived;

(b) if so, the findings thereof ;

(c) the compensation paid to each of the persons killed in the aircrash ;

(d) the action taken against the persons responsible for the accident; and

(e) the steps taken to check the recurrence of such accidents in future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) Yes Sir.

(b) The Court of Inquiry has come to the conclusion that the accident is attributable to pilot error.

(c) No claism, duty supported by proper documents, have been received by the orporation so far.

(d) Since the pilot was killed, no action is contemplated.

(e) While it is not possible to eliminate all accidents, detailed investigations are made whenever one occurs and appropriate action taken on recommendations made in the report.

विदेशी मुद्रा का क्षरण

889. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत प्रति वर्ष गैर-कानूनी व्यापार जैसे तस्करी तथा कई अन्य गड़बड़ों से 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि उठाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बीजकों में हेरफेर के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय की हानि पर, अध्ययन-दल द्वारा अपने अध्ययन के समय (वर्ष 1969-70 के संदर्भ में) तैयार किये गये व्यापक अनुमान के अनुसार, तस्कर-व्यापार तथा अन्य ऐसे अवैध कार्यों में लगाए जाने वाले धन के कारण प्रति वर्ष होने वाली विदेशी मुद्रा-विनिमय की हानि, सरकारी विनिमय दरों के हिसाब से 240 करोड़ रुपए आंकी गई है ।

(ख) विदेशी मुद्रा-विनिमय की हानि की समस्या की सतत समीक्षा की जाती है ; और समय समय पर आवश्यक उपचारी उपाय किये जाते हैं । अभी हाल ही में संसद में एक व्यापक विधेयक पेश किया गया है, जिसका अभिप्राय विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन, अधिनियम 1947 को बदलना है । बीजकों में हेरफेर के कारण विदेशी मुद्रा-विनिमय की हानि पर अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों और सामाजिक तथा आर्थिक अपराधों के विचारण एवं दन्ड पर विधि आयोग द्वारा अपनी 47 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अन्य बहुत से विधायी, संगठनात्मक, प्रशासनिक तथा कार्य विधि सम्बन्धी उपायों पर विचार किया जा रहा है । कर्मचारियों और साधनों की वृद्धि एवं समुचित व्यवस्था करके तस्कर व्यापार-विरोधी उपकरणों जैसे तेज रफ्तार से चलने वाली नावों (Launches) की संख्या में वृद्धि करके और गुप्त सूचना एकत्र करने की व्यवस्था को और तेज करके तस्कर व्यापार विरोधी तंत्र को और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर भी विचार किया जा रहा है ।

सहायता संघ देशों से सहायता के लिए करार

890. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के लिए कुछ सहायता संघ देशों के साथ द्विपक्षीय सहायता करार किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और इन करारों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ ।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार हैं:—

	(लाख अमरीकी डालरों में)
1. आस्ट्रिया	24.00
2. बेल्जियम	50.00
3. कनाडा	469.00
4. डेनमार्क	57.00
5. फ्रांस	370.00
6. नीदरलैंड	210.00
7. स्वीडन	528.10
8. ब्रिटेन	1070.00
9. संयुक्त राज्य अमेरिका (निर्यात आयात बैंक)	219.50
10. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	1910.00
जोड़	4907.60

कुवैत के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव

891. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत सरकार के साथ संयुक्त-उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा तथा क्रियान्वित किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री ए० सी० जार्ज**) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

नारियल जटा 'यार्न' के निर्यात व्यापार में वृद्धि करना

893. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान नारियल जटा 'यार्न' के निर्यात में कमी हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो नारियल जटा 'यार्न' के निर्यात व्यापार में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1970-71 तक कयर यार्न के निर्यात में गिरावट आई लेकिन बाद में उसकी स्थिति में सुधार हो गया । अप्रैल-अक्तूबर 1971 की अवधि के दौरान 3.32 करोड़ रुपए मूल्य के 14,472 मैट्रिक टन माल के निर्यात के मुकाबले में अप्रैल-अक्तूबर 1972 में कयर यार्न का निर्यात 17,392 मैट्रिक टन रहा जो 4.43 करोड़ रुपए मूल्य का था ।

(ख) क्यर बोर्ड ने क्यर यार्न का निर्यात बढ़ाने के लिए ये आवश्यक कदम उठाये हैं; क्वालिटी में सुधार, बटाई और रंग में एकरूपता को बनाये रखना तथा प्रचार कार्य की व्यवस्था करना ।

भारतीय चाय के बारे में आयरिश आयात-कर्ताओं से शिकायत

894. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय के आयरिश आयातकर्त्ताओं से भारत सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि चाय में अन्य किसी चीज की मिलावट थी; और

(ख) यदि हाँ, तो आयरलैंड को चाय के निर्यात में वृद्धि करने के लिए और शिकायतों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : भारतीय चाय के आयरिश आयातकों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें चाय में दूसरी चीजों की मिलावट का आरोप लगाया गया हो ।

आयरलैंड को चाय के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

(1) चाय उपभोक्ता के संवर्धन हेतु स्थानिक चाय व्यापारी वर्ग द्वारा स्थापित आयरिश चाय परिषद का भारत एकमात्र चाय उत्पादक सदस्य देश है । यह परिषद् डबलिन में एक भारत चाय केन्द्र चला रही है और साथ ही देश भर में भारतीय चाय को महत्व देते हुए अन्य प्रचार तथा जनसंपर्क कार्य भी करती है ।

(2) आयरिश चाय आयातकों के अनुरोध पर चाय बोर्ड चाय के व्यस्त मौसम के दौरान कलकत्ता से डबलिन के बीच नियमित रूप से हर महीने सीधे नौवहन का प्रबन्ध करने हेतु भारत की जहाजी कम्पनियों से समन्वय स्थापित करता है । कलकत्ता से डबलिन तक नियमित रूप से सीधे नौवहन की निर्बाध तथा बेहतर व्यवस्था हो जाने के परिणाम स्वरूप भारत से आयरलैंड को चाय के निर्यात 1970 में 48 लाख कि० ग्राम० से बढ़ कर 1971 में 56 लाख कि० ग्रा० हो गये ।

बिहार द्वारा शक्ति चालित करघों का कोटा बढ़ाने के लिए अनुरोध

895. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र से अपने राज्य के लिए शक्तिचालित करघों का कोटा बढ़ाने का बार-बार अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार ने कितनी वृद्धि की मांग की है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मांग को मान लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री ए० सी० जार्ज**) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा दिया गया ज्ञापन

श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों ने हाल ही में अपने चेयरमैन के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन-पत्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर कोई निर्णय लिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री ए० सी० जार्ज**) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

आयकर आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय में उच्च श्रेणी लिपिकों के रिक्त पद

897. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1972 से 30 जून, 1972 तक की अवधि के दौरान आयकर आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय में उच्च श्रेणी लिपिकों के 26 रिक्त पद थे;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः 19 फरवरी, 1972 और 3 जून, 1972 को कितने पद कार्मिक विभाग के केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल को अधिसूचित किए गये थे;

(ग) क्या इस आशय का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' अथवा स्वीकृति पत्र प्राप्त किया गया था कि उक्त सैल में उच्च श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में कोई फालतू कर्मचारी नहीं था; और

(घ) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए रिक्त पदों को आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव हैं; और यदि हां तो इस समय मामले की क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री के० आर० गणेश**) : (क) जी, हां। 30 जून 1972 को सीधी भरती के 26 रिक्त पद थे।

(ख) 19-5-1972 को (जिसे टाइप की गलती से 19-2-1972 दिखाया गया था) 22 रिक्त पद कार्मिक विभाग के केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल को अधिसूचित किये गये थे। 3 जून 1972 के पत्र का सम्बन्ध केवल रिक्त पदों के वर्गीकरण में संशोधन से था और उसके द्वारा कोई नया रिक्त पद अधिसूचित नहीं किया गया।

(ग) जी, हाँ। केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल से 22-2-1971 को उच्च श्रेणी लिपिक संवर्ग के 93 रिक्त पदों के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' लिया गया था लेकिन, बाद में केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल ने 34 व्यक्तियों के नाम भेजे हैं और उन सभी को इस विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक पद पर खपा लिया गया है।

(घ) जी, हाँ। आयकर आयुक्त, दिल्ली से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ में जिसमें 7 पदों को अनारक्षित करने को कहा गया है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिल्ली स्थित केन्द्रीय समाहर्ता, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती

898. श्री **ओंकार** लाल **बेरवा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जून, 1972 को या उससे पहले दिल्ली स्थित केन्द्रीय समाहर्ता, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिकों के कुछ पद रिक्त थे,

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिए उनमें से कितने पद आरक्षित थे;

(ग) क्या इन रिक्त पदों की सूचना कार्मिक विभाग के केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल को दी गई थी; और यदि हाँ, तो उन्हें अधिसूचित करने की तारीखों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अन्य माध्यमों से इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए सैल से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त किया गया था? और यदि हां, तो कब; और

(ङ) क्या 20 अक्तूबर, 1972 को निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती के लिए परीक्षा ली गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री **के० आर गणेश**) : (क) जी, हां ।

(ख) रिक्त पदों की संख्या—	44
अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	16
अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित	6

(ग) जी, हां । इन रिक्त पदों के सम्बन्ध में सैल को 11-2-72 तथा 12-4-72 को सूचित किया गया था ।

(घ) जी हां, यह 21-2-72 तथा 21-4-72 को प्राप्त किया गया था ।

(ङ) जी, हां ।

Uneconomic flights of Indian Airline's Planes

900. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Vayalar Ravi :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether more than half of the aeroplanes of the Indian Airlines have now become uneconomical for flight purposes; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) The profitability of an aircraft depends on a variety of factors including sectors on which it is used, load factors achieved, direct and indirect operating costs, and the fare structure. In this view it would not be realistic to make a generalised typewise assessment of profitability.

पर्यटन वित्त निगम का गठन

901. **श्री धर्मराव अफजल पुरकर :**
श्री अरविन्द नेताम :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान होटल विकास ऋण निधि को पर्यटन वित्त निगम में बदलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) होटलों तथा पर्यटन उद्योग के अन्य अंगीभूत उद्यमों (सेगमेंट्स) को ऋणों के वितरण के लिये एक "पर्यटन वित्त निगम" स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

मैसूर के गुलबर्गा जिलों के लिए मैसूर को वित्तीय सहायता

902 श्री धर्मराव अफजल पुरकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में गुलबर्गा में सूखे की स्थिति समाप्त होने तक प्रत्येक तालुक में पशुओं के लिये चारा बैंक खोलने तथा विकलांग बीमार और वृद्ध व्यक्तियों के लिये मकानों हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा मैसूर राज्य के उस क्षेत्र को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सूखे की स्थिति के संदर्भ में सहायता कार्यों की व्यवस्था करना मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रश्न में उल्लिखित इस प्रकार के प्रस्ताव के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ब्रिटिश और अमरीकन विमान कम्पनियों द्वारा अटलांटिक के पार विमान-किराये में कटौती किये जाने का एयर इन्डिया की लन्दन से न्यूयार्क तक की विमान सेवा पर प्रभाव

903. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 ब्रिटिश और एक अमरीकी विमान कम्पनियों द्वारा गत एक महीने से अटलांटिक पार (लन्दन-न्यूयार्क) विमान सेवा के लिये विमान-किराये में भारी कमी करने अर्थात् वर्तमान दरों की एक तिहाई तक कम करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ तो कम किये गये विमान किराये का एयर इण्डिया की लन्दन से न्यूयार्क तक की विमान सेवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एक ब्रिटिश और दूसरी अमरीकी दो सम्पूरक (सप्लिमेंटल) विमान कम्पनियों ने सरकारों से उपयुक्त अनुमोदन प्राप्त हो जाने की अवस्था में अप्रैल, 1973, से लन्दन से न्यूयार्क के लिये विशेष न्यून एक तरफे किराये आरम्भ करने के अपने आशय की घोषणा की है। दोनों विमान कम्पनियों के प्रार्थना-पत्रों को यू० एस० सिविल एयरोटाटिक्स बोर्ड का अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) अभी से प्रस्ताविक किरायों के प्रभाव का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दुर्लभ खनिजों के मूल्यों में वृद्धि

904. श्री **वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के तांबा, जिंक, सीसा, निकल आदि दुर्लभ खनिजों के मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० **जार्ज**) : (क) जी हाँ, वास्तविक प्रयोक्ता वर्ग के लिए सीसा तथा तांबे को छोड़कर ।

(ख) इन धातुओं की कीमत तिमाही आधार पर निर्धारित की जाती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप इनकी कीमतें तिमाही से तिमाही बदलती रहती हैं ।

सरकार की वितीय नीतियों की जाँच के लिए आयोग

905. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात संस्थान मंडल ने इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या गत कुछ वर्षों में सरकार की वित्त नीतियां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ऊंची लागत वाली अर्थ-व्यवस्था के लिये जिम्मेदार हैं, एक नया वित्त आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार ने 28 अगस्त, 1972 के 'हिन्दू' में प्रकाशित इस सम्बन्ध में दिए गये सुझावों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). सरकार का ध्यान 28-8-1972 के 'हिन्दू' में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जो नये वित्त आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में भारतीय निर्यात संस्थान मंडल के सुझाव के बारे में था । मण्डल की ओर से इस बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से वितीय सहायता

906. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत के योजनागत कार्यों के वित्त पोषण के लिए सहायता देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री **यशवन्तराव चव्हाण**) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ जो विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है आयोजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात की वित्त व्यवस्था के लिए पहले भी सहायता देता रहा है और अब भी बराबर दे रहा है ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ लम्बी अवधि के लिए नर्म शर्तों पर ऋण देता हैं । यह

संघ आयोजना में सम्मिलित प्रायोजनाओं के लिए भी वित्त की व्यवस्था करता है तथा अर्थ व्यवस्था के लिए आवश्यक परियोजना भिन्न कार्यों के लिए भी धन की व्यवस्था करता है।

एयर इण्डिया द्वारा इण्डियन एयरलाइन्स को बोइंग 707 विमान बेचे जाने का निर्णय

907. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इन्डिया ने इन्डियन एयरलाइन्स को बोइंग 707 विमान बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बोइंग विमान खरीदने के बाद इन्डियन एयरलाइंस की क्षमता में कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परन्तु, इन्डियन एयरलाइंस एयर इन्डिया के 707 बोइंग विमानों की कुछ धारिता (कपैसिटी) का 'चार्टर' आधार पर उपयोग कर रही है।

कलकत्ता से अगरतला को शाम की उड़ान बन्द करने के कारण यात्रियों को हुई कठिनाइयां

908. **श्री बीरेन दत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से अगरतला को शाम की उड़ान बन्द किए जाने के कारण दिल्ली कलकत्ता अगरतला के यात्रियों को कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या उड़ान के बन्द होने से त्रिपुरा के यात्रियों को भी अत्यधिक कठिनाई हो रही है; और

(ग) क्या सरकार अगरतला से कलकत्ता आने जाने वाली उड़ानों का इन्डियन एयरलाइन्स का पुराना कार्यक्रम फिर से चालू करने का विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख). इस कारण कुछ असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) इन्डियन एयरलाइन्स कलकत्ता और अगरतला के बीच एक अतिरिक्त विमान सेवा की व्यवस्था करने की बड़े इच्छुक हैं, तथा उन्हें आशा है कि शीघ्र ही यह व्यवस्था कर दी जाएगी।

निर्यात और आयात मूल्य

909. **श्री विजय मोदक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1960-61 से 1971-72 तक, वर्षवार, सही-सही कितने मूल्य का निर्यात और आयात हुआ ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष 1960-61 से 1971-72 के दौरान भारत के निर्यात (पुर्नर्निर्यात सहित) तथा आयात के मूल्य दर्शाने वाला विवरण ।

मूल्य करोड़ रुपये में

वर्ष	निर्यात (पुर्नर्निर्यात सहित)	आयात
1960-61	660	1140
1961-62	680	1107
1962-63	714	1136
1963-64	793	1223
1964-65	816	1349
1965-66	806	1409
1966-67*	1157	2078
1967-68	1199	2008
1968-69	1358	1909
1969-70	1413	1582
1970-71	1535	1634
1971-72	1607	1812

नोटः— वर्ष 1971-72 के आँकड़े अनन्तिम हैं तथा उनमें संशोधन किया जा सकता है ।

*1966-67 से आँकड़े अवमूल्यन पश्चात के रुपये में हैं । रुपये का अवमूल्यन 6 जून 1966 को हुआ था ।

राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन और निदेशकों की नियुक्ति

910. श्री सत्येन्द्र एन० सिन्हा :
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन की नियुक्ति तथा पूर्णकालिक निदेशकों के रिक्त पदों को भरने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(ख) ये पद कितने समय से रिक्त पड़े हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जैसे ही राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ वैसे ही, तुरंत, अन्तरिम उपाय के रूप में परियोजना तथा उपस्कर निगम के अध्यक्ष, श्री पी० सहाय को राज्य व्यापार निगम का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया । नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है । राज्य व्यापार निगम के दो निदेशकों के वे रिक्त स्थान अब भरे जा चुके हैं जो अगस्त, 1972 में अपने मूल काडर में लौट गये थे ।

सट्टेबाजों द्वारा स्टाक एक्सचेंजों का दुरुपयोग

911. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सट्टेबाजों द्वारा स्टाक एक्सचेंजों का दुरुपयोग किया जाना रोकने के लिए कुछ उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). जी, हां । शेयर बाजारों के कार्यचालन में सुधार करने के सरकार के कार्यक्रम के अन्तर्गत समय-समय पर विभिन्न उपाय किये गये हैं। इनके अन्तर्गत संस्था के मुख्य केन्द्रों में पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की व्यवस्था की गयी है जिनकी नियुक्ति, पद की शर्तें उसे हटाये जाने के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। इसका उद्देश्य व्यापारिक विनियमों के प्रशासन में स्वतन्त्रता प्राप्त करना और शेयर बाजारों में खरे व्यापार की सुनिश्चित व्यवस्था करना है। इसके अतिरिक्त शेयर बाजारों में कारबार के विशेषाधिकारों की अपेक्षाओं और प्रबन्धक मण्डल के चुनावों की सदस्यता की पात्रता को और कड़ा कर दिया गया है। इस वर्ष शेयर बाजारों को दी गई मान्यता की शर्तों द्वारा हाल ही में कुछ अतिरिक्त उपाय किये गये हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय मामलों में, सरकार की पूर्वानुमति के साथ, शेयर बाजारों के शासी निकायों द्वारा समितियां/उप-समितियाँ गठित करने के अधिकार की व्यवस्था है और शेयर बाजारों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सरकार द्वारा उनके सम्बद्ध शासी निकायों के लिए चुने गये सदस्यों में से नामित किये जाते हैं।

कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा दिया जाना

912. **श्री सत्यचरण बेसरा** :
श्री एम० कत्तामुतु :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का समाचार मिला है कि कुछ कम्पनियों ने भारत में राजनीतिक दलों को निर्धारित सीमा से अधिक चन्दे दिये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) निम्नांकित कम्पनियों, जिन्होंने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 293क का उलंघन करके राजनैतिक दलों अथवा राजनैतिक उद्देश्यों के लिए चन्दे दिये हैं, के नाम सरकार के नोटिस में आ गये है :—

(1) सीमेंट अलोकेशन एंड कोआर्डीनेशन आर्गनाइजेशन

(2) डोडसाल प्राईवेट लि०

(3) किर्लोस्कर आयल इन्जिन्स लि०

(4) किर्लोस्कर ब्रादर्स लि०

(5) मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लि०

(6) न्यू होरीजन शूगर मिल्स प्रा० लि०

(7) न्यू राजपुर मिल्स कं० लि०

(8) सदर्वैद्धणाला प्राईवेट लि०

(9) वजीर ग्लास वर्क्स लि०

(10) छत्तू राम होरिलराम प्राइवेट लि०

सीमेन्ट एलोकेशन एण्ड कार्डोनेशन आर्गनाइजेशन और उसके निदेशकों के विरुद्ध न्यायालय में एक परिवाद प्रस्तुत किया गया है। डोडसाल प्राइवेट लिमिटेड और निदेशकों के मामले में दोषसिद्ध पाया गया था। न्यू होरिजन शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड सदवैधशाला प्राइवेट लिमिटेड और वजीर ग्लास वर्क्स लिमिटेड के विरुद्ध धारा 293क(2) के अन्तर्गत कार्यवाही निर्देशित की गई है। अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में कार्यवाही परीक्षान्तर्गत है। कुछ अन्य कम्पनियों के भी राजनीतिक दलों को चन्दे दिये जाने की सूचना मिली है और उनके ब्यौरे सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

बंद पड़ी या समाप्त हो रही कपड़ा मिलों का नियन्त्रण अपने हाथ में लेना

913. **श्री सत्य चरण बेसरा** : क्या **विदेश** व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ऐसी कपड़ा मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है जो बन्द पड़ी हैं; या समाप्त होने वाली हैं और

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों की संख्या कितनी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री **ए०सी० जार्ज**) : (क) तथा (ख). सरकार ने संकटग्रस्त वस्त्र उपक्रम (प्रबंध ग्रहण करना) अध्यादेश, 1972 के अधीन 46 सूती वस्त्र मिलों का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है।

कलकत्ता क्लेम्स ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा दिया गया ज्ञापन

914. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता क्लेम्स ब्यूरो के कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन में सरकार से यह अनुरोध किया है कि उनके ब्यूरो को सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाये और उन्हें राष्ट्रीयकृत ढांचे में खपा लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री **के० आर० गणेश**) : (क) जी हां।

(ख) विविध बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक पर बहस के दौरान, वित्त मन्त्री ने यह आश्वासन दिया ही हुआ है कि कलकत्ता क्लेम्स ब्यूरो तथा इस किस्म के अन्य संगठनों के कर्मचारियों को खपा लिया जायेगा।

उड़ीसा में बकाया ऋणों की वसूली

915. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया की भद्रक (उड़ीसा) में स्थित शाखा को बकाया ऋणों की वसूली में कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो पहली सितम्बर, 1972 के बाद कितने लोगों पर ऋण बकाया था ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां, । भारतीय स्टेट बैंक की भद्रक शाखा (उड़ीसा राज्य) को ऋणकर्ताओं की बकाया रकम वसूल करने में कुछ कठिनाई हो रही है ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शा वैलेस कम्पनी, कलकत्ता

916. मौलावा इसहाक सम्भली :
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के इस समाचार में कोई तथ्य है कि लग्जमवर्ग की मोइरा इनवेस्मेंट्स कम्पनी ने शा वैलेंस कम्पनी, कलकत्ता के शेयर, कम्पनी के निदेशक मण्डल का पुनर्गठन करने के उद्देश्य से खरीद लिये है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में किये गये सौदे की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या कम्पनी विधि बोर्ड ने ऐसे किसी सौदे की अनुमति दी है ; और

(घ) यदि हां, यह अनुमति किन आधारों पर दी गई थी ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (4) के अन्तर्गत निरीक्षण, जिसका आदेश दे दिया गया है, के दौरान, शा वैलेस एण्ड कम्पनी में अंशों के हस्तांतरण की बाबत रिपोर्ट पर ध्यान दिया जायेगा ।

(ग) नहीं, श्री मान ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

फर्मों को विदेशों में खाते बन्द करने का रिजर्व बैंक का आदेश

917. मौलाना इसहाक सम्भली : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अनेक फर्मों को विदेशों में अपने खाते बन्द करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें विदेशों में अपने खाते बन्द करने के लिए कहा गया है और इस अनुदेश के क्या कारण हैं ; और

(ग) विदेशी बैंकों में इन फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा में रखे गये खातों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार भारतीय कम्पनियों/फर्मों के विदेशी सहयोगियों

को भारत में उपकरणों के आयात की वित्त-व्यवस्था करने के लिए विदेशों में सामान्य शेयरों की रकम बैंकों में रखने की अनुमति प्राप्त है। यह अनुमति, साधारणतया 36 महीनों से अधिक अवधि के लिए नहीं दी जाती जिसके अन्तर्गत सम्बद्ध पार्टियों को आयात सम्बन्धी कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो पार्टियां इस अवधि में आयात लाइसेन्स नहीं प्राप्त कर लेतीं अथवा अपेक्षाकृत कम मूल्यों के लाइसेन्स प्राप्त करती हैं, उन्हें विदेशी मुद्रा के खाते बन्द करने पड़ते हैं। निम्नलिखित 14 कम्पनियों को विदेशों में अपने-अपने विदेशी मुद्रा-खातों को बन्द करने के लिए कहा गया था:—

1. मैसर्स क्रोम्पटन ग्रीव्स लि० बम्बई
2. ,, फेरो कोटिंग्स कलर्स लि०, पश्चिम बंगाल
3. ,, प्रीसीजन टूलिंग सिस्टम लि०, मैसूर
4. ,, पोलीयोलेफिन्स इंडस्ट्रीज, बम्बई
5. ,, पीबको लि०, नयी दिल्ली
6. ,, सीलें (इंडिया) लि०. बम्बई
7. ,, ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट्स लि०, मद्रास
8. ,, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि० उत्तर प्रदेश
9. ,, यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०, नई दिल्ली
10. ,, विदर्भ फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० महाराष्ट्र
11. ,, हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, कलकत्ता
12. ,, मोदीपेन लि०, नयी दिल्ली
13. ,, मैसूर लैंप वर्क्स लि० बंगलौर
14. ,, अर्गेनन (इंडिया) लि०, कलकत्ता

2. भारतीय रिजर्व बैंक प्राप्य व्यावसायिक रकमों, शुल्कों, अभिदानों आदि के संग्रह के लिए विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति देता है और कारबार के आकार के आधार पर यह सिद्ध करना पड़ता है कि इन खातों को बनाये रखना न्यायोचित है। जब इस आधार पर ऐसा करना युक्तिसंगत न हो, तो पार्टियों को अपने खाते बन्द करने के लिए कह दिया जाता है। निम्नलिखित तीन पार्टियों को इस आधार पर अपने खाते बन्द करने के लिए कहा गया था:-

1. मैसर्स बम्बई गैस कम्पनी लि०, बम्बई
2. ,, गोन्सालवज एण्ड गोन्सालवज ऊटाकामण्ड (न्यायाभिकर्ताओं का एक फ़र्म)
3. ,. न्यू बुक कम्पनी प्राइवेट लि०, बम्बई

फटे पुराने कपडों के नाम पर ऊनी कपड़े आयात करके आयात लाइसेंसो का दुरुपयोग

918. मौलाना इसहाक सम्मली :
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी होजिरी के कुछ निर्यातकर्ताओं ने फटे पुराने कपड़ों के नाम पर ऊनी कपड़े आयात करके अपने आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग किया है ;

(ख) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने इस कथित फटे पुराने कपड़ों की बहुत सी गाँठें बम्बई की गोदियों में पकड़ी हैं ;

(ग) क्या ये गांठें विदेश व्यापार सचिव के कहने पर छोड़ी गई थीं ; और

(घ) यदि हां, तो विदेश व्यापार सचिव ने सीमाशुल्क विभाग को किस आधार पर इन्हें छोड़ने के लिए कहा था ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बम्बई गोदियों तथा साथ ही लुधियाना, अमृतसर तथा श्रीनगर आदि जैसे विभिन्न शहरों में भी अनेक गांठें पकड़ी/रोक ली गई हैं।

(ग) तथा (घ). विदेश व्यापार सचिव ने सुझाव दिया था कि पकड़े गये परिषणों को तभी छोड़ा जाए जब पहनने योग्य कपड़ों को फाड़ दिया जाये और उन्हें ऐसा कर दिया जाये जिससे उनका उपयोग परिधानों के रूप में न किया जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में मुद्रा सुधार के लिए अमरीकी प्रस्ताव

919. श्री प्रभुदास पटेल :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 सितम्बर, 1972 को वाशिंगटन में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वार्षिक सम्मेलन में मुद्रा सुधार के लिए तैयार की गई अमरीकी योजना भारत तथा अन्य विकासशील देशों के लिए चिंताजनक तथा घातक प्रतीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में अमरीकी प्रस्ताव के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण रहा ; और

(ग) सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में अमेरिका की स्थिति यह है कि व्यापार सम्बन्धी बातचीत 1973 में व्यापार तथा आयात-निर्यात शुल्क संबंधी सामान्य करार (जी० ए० टी० टी०) के तत्वावधान में बनाई गई योजना के अनुसार अलग से चलाई जा सकती है किन्तु 20 सदस्यों की समिति (कमेटी आफ ट्वेंटी) समायोजन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए व्यापार नीति सम्बन्धी उपायों द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका के बारे में सामान्य विषयों की जांच कर सकती है। विकास शील देशों का यह मत है कि व्यापार, मुद्रा तथा विकास-वित्त से सम्बन्धित विषयों पर अलग अलग विचार नहीं किया जाना चाहिए। इन मामलों पर 20 सदस्यों की समिति के सदस्यों द्वारा अभी और विचार किया जाना है।

निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में अनियमितताओं के मामले

920. श्री समर मुखर्जी : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सरकार की जानकारी में आये निर्यात प्रोत्साहनों में अनियमितताओं के मामलों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) इन मामलों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी कम्पनियों द्वारा देश से बाहर धन भेजना

921. श्री समर मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, अलग अलग पूंजीनिवेश पर लाभ, तकनीकी फीस, रायल्टी तथा अन्य प्रभारों के कारण विदेशी कम्पनियों ने कितनी धन-राशि इस देश से बाहर भेजी ;

(ख) क्या पहले के वर्षों की तुलना मे उपरोक्त राशि में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) इससे मुख्यत: किन देशों को लाभ पहुंचा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1968-69 से सितम्बर 1971 तक की अवधि में लाभों, लाभांशों, अधिकारशुल्कों, तकनीकी जानकारी और व्याज की अदायगियों के रूप में विदेशों को प्रेषित राशियों का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3725/72] विवरण में दिए गए आंकड़े ऐसी कम्पनियों के सम्बन्ध में हैं जिनमें विदेशी भागीदारिता और/अथवा सहयोग की व्यवस्था है।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उद्यमियों को दिया गया ऋण

922. श्री समर मुखर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में औद्योगिक वित्त निगम ने उद्यमियों को कितना ऋण दिया ;

(ख) बड़े व्यापार गृहों को कितना ऋण दिया गया ;

(ग) राज्यवार कितना रुपया दिया गया ; और

(घ) पिछड़े क्षेत्र के उद्योगों को कितनी सहायता दी गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सम्बन्ध में पिछले तीन लेखा वर्षों अर्थात 1969-70, 1970-71 और 1971-72 जुलाई से जून की अपेक्षित सूचना इस प्रकार है—

(लाख रुपयों में)

वर्ष के दौरान	**स्वीकृत ऋण (सकल)**		**वित्तीय ऋण**	
जुलाई-जून	सभी ऋणकर्ता	बड़े औद्योगिक घराने	सभी ऋणकर्ता	बड़े औद्योगिक घराने
1969-70	1570.08	487.17	1685.77	647.72
1970-71	3093.33	713.35	1628.19	458.82
1971-72	3567.78	523.78	2099.52	501.55

टिप्पणी—भुगतानों में पहले दी गई स्वीकृतियों के सम्बन्ध में किये गये भुगतान भी शामिल हैं।

(ग) और (घ). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3726/72]

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन

923. **श्री रोबिन सेन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यकरण की जाँच करने के लिए नियुक्त किये गये दल के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) क्या सरकार को उसका कोई अंतिम/अंतरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) :(क) तथा (ख) मूल्यांकन दल की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

केन्दू पत्ता व्यापार का राष्ट्रीयकरण

924. **श्री डी०के० पंडा :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में केन्दू पत्ता व्यापार के राष्ट्रीयकरण का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्णय के अनुसरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई है, ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी०जार्ज) (क) जीं नहीं। केन्दू पत्ता व्यापार सहित देश में किसी भी वन उत्पाद को राष्ट्रीयकरण करने का काम राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चाय व्यापार निगम का गठन तथा उसके कर्तव्य

925. **श्री डी० के०पंडा :**
डा०हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब चाय व्यापार निगम के गठन और ठीक ठीक कृत्यों के बारे में निर्णय लिया जा चुका है और यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या इस निगम ने कार्य आरम्भ कर दिया है, यदि हां तो कब से, और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस बात पर सरकार का ध्यान गया है कि श्रीलंका ने पहले ही ऐसा निगम बनाने का निर्णय किया है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश व्यापार मन्त्रालय उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड को 21.12.1971 को कलकत्ता में एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस का प्रबंध एक निदेशक- मंडल द्वारा किया जायेगा, जिसमें 3 गैर-सरकारी

तथा 6 सरकारी निदेशक शामिल होंगे। यह निगम, मुख्यतः भारत तथा विदेशों में चाय के विपणन से संबंधित वाणिज्यिक कार्य करेगा और उसका उद्देश्य चाय उद्योग को लाभ पहुंचाना और निर्यात आय बढ़ाना है।

(ख) जी हां। निगम के प्रबंधक-निदेशक की नियुक्ति कर दी गई है और उन्होंने 4 अक्तूबर, 1972 से कार्यभार सम्भाल लिया है।

(ग) श्रीलंका सरकार ने भी अपनी राष्ट्रीय चाय कम्पनी की स्थापना की है। एक भारत में तथा एक श्रीलंका में दो अलग-अलग राष्ट्रीय कम्पानयों की स्थापना नवम्बर, 1969 में कालम्बो में हुई दोनों देशों के संयुक्त कार्यकारी दलों की बैठक में की गई सिफारिश के अनुसरण में की गई है।

विदेशियों द्वारा होटल बिलों को विदेशी मुद्रा अदा करने की योजना

926. **श्री डी०के० पंडा**

श्री अरविन्द नेताम :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी योजना शुरू की है जिसमें विदेशियों द्वारा होटल बिलों को विदेशी मुद्रा में अदा करने पर विचार किया गया है, यदि हाँ, तो इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं और योजना शुरू करने के क्या उद्देश्य हैं।

(ख) क्या नई योजना के अन्तर्गत होटल में रहने वाले भारतीयों को उन लोगों से प्रतिशत धनराशि अधिक देनी होगी जो विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं

(ग) यदि हां, तो होटल बिलों की अदायगी के मामले में होटल में ठहरने वाले भारतीयों के साथ भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं; और

(घ) नई योजना पर होटल उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण०सिंह) : (क) पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा की आय में अधिकतम वृद्धि करने की दृष्टि से समाप्त होटलों से अनुरोध किया गया है कि वे 1 नबम्बर, 1972 से विदेशी पर्यटकों के होटल के बिलों का भुगतान केवल विदेशी मुद्रा में ही प्राप्त करें। भारतीय राष्ट्रिक तथा विदेशी राष्ट्रिकों के निम्नलिखित वर्ग अपने होटल टैरिफों का भुगतान भारतीय रुपये में कर सकते हैं :-

(1) भारत में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिक।

(2) भारत में राजनयिक मिशनों के प्रत्यायित राजनयज्ञ (एक्रेडिटेड डिप्लोमैट), विदेशी कर्मचारी तथा विदेशी सरकारी अतिथि (जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी भी सम्मिलित हैं)।

(3) भारत में नौकरी पर लगे विदेशी राष्ट्रिक।

(4) बलगारिया, चैकोस्लोवाकिया जर्मन संघीय गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, रूमानिया, यू०एस०एस०आर० तथा यूगोस्लावाकिया के राष्ट्रिक।

(5) आई०ए०टी०ए० के सदस्य एयरलाइनों के कर्मचारी जिसमें उनके उड़ान कार्मिक, उनके पारगामी यात्री तथा उनके इण्टरलाइन यात्री सम्मिलिति हैं (जिन्हें आई०ए०टी०ए० विनियमों के अंतर्गत ऐसी एयरलाइनों के खर्चे पर स्थान दिया जाना होता है)।

(6) नौ परिवहन कम्पनियों के कर्मचारी जो पर्यटन विभाग अथवा भारत सरकार के उपयुक्त मंत्रालय द्वारा भारतीय रुपये में भुगतान करने के लिए विशेश रूप से प्राधिकार हैं।

(7) भारत आने के लिये आमन्त्रित विदेशी राष्ट्रिक जो भारत सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार, अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के किसी विभाग, अथवा सरकार द्वारा अपने स्वामित्व में लिये हुए अथवा उसके द्वारा नियन्त्रित अथवा प्रबंधित किसी अन्य प्राधिकरण या कम्पनी, अथवा भारत से निर्यात किये जाने योग्य किसी सामान के निर्माण अथवा व्यापार में लगी किसी अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के अतिथियों के रूप में ठहरे हों।

(8) नेपाल सिक्किम तथा भूटान के राष्ट्रिक।

(9) कोई व्यक्ति जिसकी ओर से किसी भारतीय संगठन अथवा कम्पनी ने उपयुक्त सरकारी विभाग अथवा मंत्रालय से आतिथ्य-सेवा की विशेष अनुमति प्राप्त की हुई हैं।

(ख) और (ग) : इस स्कीम के अन्तर्गत पहले यह व्यवस्था की गई थी कि फिलहाल 60/-रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अथवा इससे अधिक किराये वाले समस्त होटलों को अपने किरायों में, यदि भारतीय राष्ट्रिकों तथा ऊपर निर्दिष्ट 1 से 9 तक के छूट-प्राप्त वर्गों के विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा भारतीय रुपये में भुगतान किया जाता है, 33-1/3 प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिये। परन्तु भारतीय होटल तथा रेस्टोरैंन्ट संस्था के संघ द्वारा किए गए एक विशेष अभ्यावेदन पर सरकार थोड़ी अवधि के लिए रुपए के रूप में लिए जाने वाले किरायों की वृद्धि को स्थापित करने पर सहमत हो गई जिससे कि प्रतिवेदन पर विस्तृत विचार किया जा सके तथा सघ द्वारा अपने तर्क के समर्थन में और सामग्री प्रस्तुत की जा सके।

(घ) सरकार को होटल उद्योग से आश्वासन प्राप्त हुए हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी राष्ट्रिक अपने होटल के बिलों का भुगतान विदेशी मुद्रा में करते हैं, हर सम्भव प्रयत्न किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष मुद्रा विनिमय सुविधाएं प्रदान की जाती है।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से मोटे कपड़े का वितरण

928. श्री डी० के० पन्डा :
श्री नागेश्वर राव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटे कपड़े को उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए कुल कितने मोटे कपड़े की आवश्यकता है; और

(ग) उचित दर दुकानों को मोटे कपड़े की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) नई योजना, जो 1-11-1972 से लागू हुई के अनुसार, सरकार ने नियन्त्रित किस्मों का मोटा तथा लोअर मीडियम

कपड़ा, मिलों की अपनी खुदरा दुकानों, सुपर बाजारों, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से सम्बद्ध उचित मूल्य की दुकानों तथा राज्य सरकारों द्वारा खोली गई उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित करने का विनिश्चय किया है ।

(ख) नियन्त्रित कपड़े का प्रति तिमाही लगभग 10 करोड़ मीटर का सम्पूर्ण उत्पादन उपर बताये गये माध्यमों के द्वारा, वितरित किया जाता है ।

(ग) प्रत्येक राज्य को नियन्त्रित कपड़ा आबंटित किया जाता है और उसके बाद राज्य सरकार ऊपर बताये गये स्रोतों के माध्यम से उपभोक्ताओं को इन कपड़ों के वितरण का प्रबन्ध करती है ।

ऊनी वस्त्रों के चोरी छिपे किये गये निर्यात की जांच

929. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क विभाग को ऊनी वस्त्रों का "पुराने वस्त्रों" के रूप में चोरी से निर्यात किए जाने की 1971 से जानकारी होने तथा बहुत-सा माल रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी उसने उन्हें सीमाशुल्क अधिनियम के अनुसार काट कर पहनने लायक नहीं किया था;

(ख) क्या विदेश व्यापार मंत्रालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सीमाशुल्क अधिकारियों ने पकड़े हुए माल को निर्यातकों द्वारा इस प्रकार के बांड पर हस्ताक्षर करने पर छोड़ दिया था कि वे स्वयं इन्हें बेकार कर देंगे ।

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम, सीमाशुल्क विभाग और कपड़ा आयुक्त द्वारा संयुक्त जाँच का सुझाव सीमाशुल्क विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो सीमाशुल्क विभाग द्वारा यह रुख अपनाये जाने का क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं । हमें बताया गया है कि सीमाशुल्क विभाग ने इस्तेमाल किये जाने योग्य कपड़ों के आयात के पकड़े गये किसी भी मामले को कपड़ों की काट-छाट की कार्यवाही किये बिना नहीं छोड़ा । 1971 के आरम्भ से ही बम्बई सीमाशुल्क अधिकारियों ने लगभग 60 खेपों में भेजे गये माल का पता लगाया और उनमें से छः ऊन खेपों को छोड़कर जिन्हें लुधियाना में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों की देख रेख में इस्तेमाल नहीं किये जाने योग्य बनाया गया, शेष सभी खेपों को या तो गोदियों पर ही अथवा बाद में बम्बई में सीमाशुल्क अधिकारियों की देखरेख में इस्तेमाल नहीं किये जाने योग्य बनाया गया ।

(ख) जब्त किया गया कोई भी माल, स्वयं आयात कर्ताओं द्वारा कपड़ों की काट-छांट करने के लिये, बन्ध-पत्र पर नहीं छोड़ा गया । मई 1972 और जुलाई 1972 में विदेश व्यापार मंत्रालय ने, कपड़ों की काट-छांट करने के बाद, उन्हें छोड़ने का सुझाव दिया था । परन्तु गोदियों में ही काट-छांट की कार्यवाही करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए और 1961 से चली आ रही कार्याविधि को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त बन्ध-पत्र प्राप्त करने के बाद, सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों की देखरेख में कारखानों में काट-छांट करने की अनुमति दी गई थी । यह बात विधिवत् विदेश मंत्रालय के ध्यान में लायी गई थी ।

(ग) तथा (घ) चिथड़ों की खेपों के संयुक्त निरीक्षण के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा

सीमाशुल्क समाहर्ता बम्बई को दिया गया सुझाव स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि चिथड़ों और पहनने योग्य कपड़ों के बीच के अन्तर का पता लगाने के लिये विशेष ज्ञान की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि इस प्रकार की कार्यवाही से खेपों की निकासी में केवल विलम्ब ही होता। इस के अतिरिक्त सीमाशुल्क विभाग को तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध थी।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा तांबे के आयात और बिक्री पर अर्जित लाभ

930. श्री **नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा ताँबे के आयात और बिक्री पर अब कमाया जा रहा लाभ गत दो वर्षों में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 22.1 प्रतिशत हो गया है;

(ख) गत दो वर्षों में हमें आयातित ताँबा किस भाव पड़ा और इस अवधि में वास्तविक उपभोक्ताओं से कितना मूल्य वसूल किया गया; और

(ग) क्या उपयुक्त लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में लाभ की मात्रा दुर्लभ सामग्री आदेश में उल्लिखित लाभ की सीमा के अनुसार है और यदि लाभ उससे अधिक है, तो लघु उद्योगों को हानि पहुँचा कर लाभ बढ़ाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मूल्य नीति को युक्तियुक्त बनाने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3727/72] जहाज से उतरने पर लागत और बिक्री कीमत के बीच के लाभ की मात्रा दुर्लभ माल आदेश के अन्तर्गत निहित लाभ की मात्रा के अनुरूप है। ऐसा वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए नहीं है जो या तो निर्यात नहीं करते या अपने उत्पादन के 10% से कम निर्यात करते हैं। इस प्रकार के वास्तविक प्रयोक्ता आयातित कच्चे माल तथा संघटकों के आबंटन के मामले में अधिमान्य व्यवहार के पात्र नहीं हैं।

विमानों को खींच कर ले जाने के लिए खरीदे गये ट्रेक्मा ट्रैक्टरों को विभिन्न हवाई अड्डों पर पड़े पड़े जंग लगना

931. श्री **नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों को खींच कर ले जाने के लिए खरीदे गए 26.90 लाख रुपए के मूल्य के (जिसमें 15.90 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल है) ट्रेक्मा ट्रैक्टरों को विभिन्न हवाई अड्डों पर पड़े-पड़े जंग लग रही है;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है;

(ग) कितने ट्रेक्मा ट्रैक्टर खरीदे गए और प्रत्येक की क्षमता क्या है; और

(घ) भारत में बने ट्रैक्टरों से ट्रेक्मा ट्रैक्टरों को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एक को छोड़ कर अन्य सभी ट्रैक्टर सेवायोग्य स्थिति में हैं। इस एक ट्रैक्टर की मरम्मत हो रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) सात। कर्षश-दण्ड (ड्रा बार) के साथ खींच कर ले जा सकने की क्षमता 8800 कि० ग्रा० है।

(घ) इण्डियन एयरलाइन्स के अनुसार जब ये खरीदे गये थे उस समय इतनी कर्षण क्षमता वाले भारत निर्मित ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं थे।

कम्पनियों द्वारा लाभांश का वितरण

932. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत तीन वर्षों में कम्पनी अधिनियम में उल्लिखित सविहित अवधि में लाभांश का वितरण नहीं किया; और

(ख) दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) सूचना संग्रहीत की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

बुलगारिया के साथ यूरिया आयात करने के लिये दीर्घावधि करार

933. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में यूरिया आयात करने के लिए बुलगारिया के साथ दीर्घावधि करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० ने 1973 से 1975 तक तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली कीमतों के आधार पर 100,000 मे० टन से बढ़ते हुए 200,000 मे० टन तक यूरिया के आयात के लिए मैसर्स चिमीमपोर्ट, बुल्गारिया से एक करार किया है।

उर्वरक सम्बन्धी भारत-कुवैत व्यापार समझौता

934. **श्री अरविंद नेताम :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कुवैत ने उर्वरक सम्बन्धी किसी समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) कुवैती व्यापार प्रतिनिधिमण्डल की अभी हाल की यात्रा के दौरान कुवैत सरकार के साथ ऐसा कोई व्यापार करार नहीं किया गया। हां, दोनों देशों के बीच व्यापारिक तथा आर्थिक मामलों पर विस्तारपूर्वक चर्चा अवश्य हुई और उसमें, कुवैत से भारत को उर्वरकों की दीर्घावधि आधार पर सप्लाई की चर्चा भी शामिल थी।

स्विजरलैंड की सरकार से ऋण

935. **श्री पीलू मोदी** :क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटजरलैंड की सरकार ने हाल में भारत को आसान शर्तों पर ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) किस-किस प्रयोजन के लिए ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) भारत को स्विस सरकार से आसान शर्तों वाले ऋण का कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि द्विपक्षीय सहायता की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुये, यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) उपर्युक्त (क) को दृष्टिगत रखते हुये यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत के उपाय करने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता

936. **श्री झारखंडे राय :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य आयोजित करने के लिए चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार की तथा कितनी केन्द्रीय सहायता माँगी गई थी है;

(ख) प्रत्येक राज्य को अब तक किस प्रकार की तथा कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या इस प्रकार की शिकायतें की गयी हैं कि धन की कमी के कारण कई क्षेत्रों में किए गए राहत कार्य बहुत अपर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों को दी जा रही सहायता की मात्रा में वृद्धि करेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3728/72]

(ग) और (घ) राज्य सरकार के आवेदन पर, स्थिति तथा केन्द्रीय सहायता के लिए पहले निर्धारित की गयी व्यय की अधिकतम सीमा की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय-दल भेजे जाते हैं।

ऊनी कपड़ों का अवैध आयात

937. श्री **के० सूर्यनारायण :**
श्री **सी० जनार्दनन :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने बेईमान व्यापारियों को करोड़ों रुपये की जरसियां और सूट, जो पुराने ऊनी कपड़ों के रूप में अवैध रूप से आयात किये गये थे, छोड़ दिये थे;

(ख) यदि हां, तो कितनी गाँठों के ग्रायात की अनुमति दी गई थी; उनमें से कितनी गांठें भारत में पहुँची थी और व्यापारियों द्वारा ले ली गई थी; कितनी गाँठें अभी नहीं उठाई गई और कितनी गाँठें अभी समुद्र के रास्ते से ग्रा रही हैं;

(ग) उनमें से कितनी गाँठों को सीमा शुल्क विभाग द्वारा देश में प्रवेश स्थान पर तथा गन्तव्य स्थानों पर जब्त किया गया है और इनमें से अब कितनी गाँठों को छोड़ दिया गया है और किन शर्तों पर; और

(घ) क्या पूरे मामले की जाँच करने का कोई प्रस्ताव है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयातकों से लगभग 14,372 गाँठें, व्यापारियों से लगभग 2390 गाँठें पकड़ी जा चुकी हैं और अनुमानतः 6000 गांठें सीमाशुल्क, बम्बई में निकासी के लिए पड़ी हुई हैं। जुलाई 1971 से अब तक, उन्होंने चीथड़ों के रूप में लगभग 4.45 करोड़ रुपये मूल्य की खेपों की निकासी की है और इसी अवधि के दौरान, 20 लाख रुपये मूल्य की खेपों की निकासी काट-फाड़ कर या काटने-फाड़ने की शर्त पर की।

(घ) जी हाँ। इस सम्पूर्ण मामले को, विस्तृत जाँच पड़ताल के लिए, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का विनिश्चय किया गया है।

दिल्ली में फिल्म वितरकों और सिनेमा मालिकों की ओर आयकर की बकाया धनराशि

938. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या वित्त मंत्री दिल्ली में फिल्म वितरकों और सिनेमा मालिकों की ओर आयकर की बकाया धनराशि के बारे में 28 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4388 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रत्येक फिल्म वितरक तथा सिनेमा मालिक की ओर आयकर की बड़ी बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए इस बीच कौन से प्रभावकारी उपाय किये गए हैं और इस प्रकार कितनी राशि वसूल की गयी है ; और

(ख) कई लाख रुपयों की कर की बकाया राशि का भुगतान न करने पर सिनेमा मालिकों के लइसेंसों को रद्द करने तथा भू-राजस्व के रूप में इन बकाया राशियों को वसूल करने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) दिल्ली में प्रत्येक सिनेमा मालिक तथा फिल्म वितरक की तरफ आयकर की बकाया को वसूल करने के लिए किए गये प्रभावी उपायों तथा इस प्रकार वसूल की गयी रकम के बारे में सूचना अनुबंध में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3729/72]

(ख) अनुबंध में दी गई सूचना से यह पता चलेगा कि किये गये विभिन्न उपायों के परिणामत: 1 अप्रैल 1972 और 1 नवम्बर, 1972 के बीच करों की बकाया बहुत अधिक वसूल/कम हो गई है। कानून के अन्तर्गत आयकर विभाग के पास ऐसी शक्तियां नहीं हैं कि वह कर चूक-कर्त्ताओं के सिनेमा लाइसेंसों को रद्द कर सके।

किये गये उपायों के परिणामत: 49 मामलों में कर की मांग पूर्णरूप से कम हो गई है अथवा वसूल हो गई है और 11 मामलों में आंशिक रूप से कम अथवा वसूल हो गई है। शेष 29 मामलों में माँग के विरुद्ध अपील की गई है अथवा विभिन्न उपाय करके माँग की वसूली का कार्य जारी है।

Arrears of Taxes Against Industrial Houses

939. Dr. Laxminarain Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of Income-tax outstanding against the 20 biggest industrial houses in the country during the last three years, year-wise; and

(b) the amounts recovered in each case and the steps being taken to recover the remaining amount ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K.R, Ganesh) : (a) & (b) The requisite information regarding the top twenty assessees on the basis of the latest assessment completed during the financial year 1971-72, is being collected and will be laid on the Table of the Houce as early as possible.

Capital Structure of Maruti Company Limited

940. Dr. Laxminarain Pandeya : Will the Minister of Company Affairs be pleased to state the total paid up capital and assets of M/s. Maruti Company Limited ?

The Minister of Company Affairs (Sheri K.V. Raghunatha reddy) : As per the latest return of allotment of shares dated 7.8.72 filed with the Registrar of companies, the paid-up capital of M/s. Maruti Ltd. was Rs. 60.89 Lakhs. The company was registered under the Companies Act, 1956 on 4.6.71 and its first Balance Sheet is not yet due. Audited figures about the value of the total assets of the company are, therefore. not available.

"However, according to the abstract of receipts and payments upto 31.12.1971, filed by the company as part of the statutory report under section 165 of the Companies Act the following items of payments would appear to represent the assets of the Company as on 31.12.1971.

Capital Expenditure		
Building under construction		
(including materials at site)	5,67,216.07	
Plant, machinery & equipment.	2,08,999.88	
Motor vehicles	20,690.99	
Furniture, Fixtures and		
Office Equipment	14,726.11	
Loose Tools	14,517.28	
Electric Fittings	2,073.60	8,28,223.93
Other Items		
Security Deposit	12,650.00	
Advances		
For purchase of land	3,53,289.00	
To staff	13,108.00	
Others	3,68,719.05	7,35,116.05
Cash in Hand		4,073.43
Cash with Scheduled Banks		
On current accounts :	7,09,525.58	
"margin money a/c :	1,69,500.00	8,79,025.58"

विदेशों से वित्तीय सहायता

941. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में विदेशों से कितनी सहायता प्राप्त होने की आशा है ;

(ख) क्या विदेशों से सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उन विदेशों के नाम क्या हैं और प्रत्येक से कितनी सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्री (श्री **यशवन्तराव चव्हाण**) : (क) जून,1972 की अपनी बैठक में भारत सहायता संघ के सदस्यों ने यह नोट किया है कि 1972-73 के वर्ष के लिए परियोजना-भिन्न सहायता के लिए, जिसमें ऋण-राहत भी शामिल है, लगभग 70 करोड़ डालर और परियोजनागत सहायता के लिए 55 करोड़ डालर के वचनों की आवश्यकता होगी। अधिकाँश सदस्यों ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में, आवश्यक स्वीकृतियों के मिलने पर, अपने-अपने अंशदान के बारे में भी सूचित किया। चालू वर्ष में सहायता संघ से भिन्न देशों के साथ किसी नये करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गए, लेकिन इन देशों से विशेषकर पूर्वी यूरोप के देशों से, पहले से हस्ताक्षरित करारों के अनुसार सहायता मिल रही है जिसे देश के विकास कार्यक्रम के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : निम्नलिखित देशों के साथ कुल 49-076 करोड़ डालर की रकम के लिए सहायता करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं :—

देश का नाम	रकम लाख अमरीकी डालरों में
1. आस्ट्रिया	24.0
2. बेल्जियम	50.0
3. कनाडा	469.0
4. डेनमार्क	57.0
5. फ्राँस	370,0
6. नीदरलैंड	210.0
7. स्वीडन	528.0
8. ब्रिटेन	1070.0
9. संयुक्त राज्य अमेरिका (निर्यात आयात बैंक)	219.0
10. अन्तर्राष्ट्रीत विकास संघ	1910.0
	4907.0

कुवेत से व्यापार प्रतिनिधि मंडल

942. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कुवैत से कोई व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भारत आया था और उसने उनसे व्यापार सम्बन्धी बातचीत की थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ख) क्या उस बातचीत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भी आया था और यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) परमश्रेष्ठ खालिद सुलेमान अल अडसानी, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक कुवैती व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 29 सितम्बर से 6 अक्तूबर 1972 तक भारत का दौरा किया था। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिये और मार्गों का पता लगाने के लिए विस्तार से बातचीत की। इन वार्ताओं में दोनों देशों के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में कुवैत में एक उर्वरक संयत्र स्थापित करने की सम्भाव्यता पर भी बातचीत की गई थी, यद्यपि अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं। इस सम्बन्ध में आगे बातचीत की जायेगी।

विदेशों में भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण

943. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों की समुद्र पार स्थित शाखाओं के कार्यकरण के बारे में अध्ययन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार ने शाखा और मुख्य कार्यालय के पारस्परिक सम्बन्धों, इन शाखाओं की लाभकारिता में सुधार करने के क्षेत्र और भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन देने में उनकी भूमिका के संदर्भ में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सिंगापुर और हांगकांग स्थित शाखाओं के कार्य चालन का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने नवम्बर 1971 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसकी सिफारिशें सम्बद्ध बैंकों द्वारा अपनाये जाने के लिये परामर्शदात्री स्वरूप की हैं। इनका सम्बन्ध अधिक शक्ति प्रदान करने, मुख्य कार्यालय द्वारा निरीक्षण और लेखा परीक्षा करने, वाणिज्यिक आधार पर स्थानीय व्यवस्था को बढ़ाने के उपाय करने आदि जैसे मामलों से है।

सरकार ने 20 सिफारिशों में से सामान्यतया 18 सिफारिशों को पृष्ठांकित किया है और क्रियान्वयन के लिये बैंक उन पर कारंवाई कर रहे हैं। बाकी 2 सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्ता के दिल्ली कार्यालय में अपर डिवीजन क्लर्कों और स्टेनोग्राफरों के रिक्त पद

944. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्ता के दिल्ली कार्यालय में इस समय अपर डिवीजन क्लर्कों और स्टेनोग्राफरों के पदो की स्वीकृत संख्या वर्तमान संख्या और रिक्त पदों की संख्या कितनी कितनी है,

(ख) चालू वर्ष में 31 जुलाई, 1972 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए कितने पद रक्षित किये गये।

(ग) क्या इन रिक्तियों की सूचना कार्मिक विभाग के केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल को दी गई थी और यदि हां, तो किस तारीख को, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या इस सैल द्वारा रकम देकर रिक्त पदों को भरा गया था, यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में कितने पद भरे गये, और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या अन्य श्रोतों से ये रिक्त पद भरने के लिए इस सैल से अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किये गये थे और यदि हाँ, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) स्थिति निम्नानुसार है—

संवर्ग	स्वीकृत संख्या	वर्तमान संख्या	रिक्त स्थान
उच्च श्रेणी लिपिक	218	206	12
आशुलिपिक	37	31	6

(ख) उच्च श्रेणी लिपिक के पद के लिए चयन नहीं किया जाता तथा इसे वरीयता एवं क्षमता के आधार पर निम्न श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति द्वारा ही भरा जाता है। इस ग्रेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं है।

चालू वर्ष में 31 जुलाई, 1972 तक आशुलिपिक के ग्रेड में एक एक पद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित था।

(ग) जी, हां। आशुलिपिकों के ग्रेड के रिक्त स्थानों के संबंध में केन्द्रीय (अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग) सैल को 1 फरवरी, 1972 को सूचित किया गया था, किन्तु उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड के रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में सैल को, जैसा कि पहले कहा गया है, सूचना नहीं दी गई थी, इन्हें निम्न श्रेणी लिपिक के ग्रेड से पदोन्नति करके ही भरा जाना था।

(घ) जी, नहीं। नामांकित करने के लिए सैल के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था।

(ङ) आशुलिपिकों के रिक्त स्थानों को अन्य जरियों से भरने के लिए सैल से 7 फरवरी, 1972 तथा 30 जुलाई, 1972 को "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त कर लिये गये थे।

वर्धित यूरोपीय साझा बाजार को निर्यात बढ़ाने के लिये वर्तमान निर्यात संवर्धन नीतियों में परिवर्तन

945. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार जनवरी, 1972 में बनने वाले वर्धित यूरोपीय साझा बाजार को निर्यात बढ़ाने तथा अधिक निर्यात की सुविधा देने हेतु वर्तमान निर्यात सम्वर्धन नीतियों में कुछ परिवर्तन करने का है।

(ख) यदि हां, तो परिवर्तन करने से पूर्व किन मुख्य बातों पर विचार किया जायेगा, और

(ग) वर्तमान न सम्वर्धन नीतियों में किस प्रकार का समायोजन किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) हमारे उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों में अपेक्षाकृत अधिक स्थान बनाने के उद्देश्य से, इस मंत्रालय की निर्यात संवर्धन नीतियों की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है। यूरोपीय साझा बाजार के विस्तार के परिणामस्वरूप, हमारी निर्यात संवर्धन नीतियों में कोई भी विशेष परिवर्तन करने का विचार नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हुई तो उचित समय पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

सोवियत संघ द्वारा चप्पलें खरीदना पुनः आरम्भ करना

946. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री पुरुषोतम काकोडकर :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने, जिसने 1966 में भारत से चप्पलों (सेंडलों) का आयात बन्द कर दिया था, इन्हें खरीदना पुनः आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) उस समय क्रयादेश मंसूख करने के क्या कारण थे; और

(ग) अब मिले पूरे क्रयादेश का क्या मूल्य है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम, भारत से सोवियत संघ को चप्पलों की सप्लाई करने हेतु प्रत्येक वर्ष सोवियत संघ के साथ बातचीत करता रहा है। किन्तु 1966 से अब तक कोई निर्यात नहीं किया जा सका क्योंकि बढ़िया क्वालिटी की चप्पलों के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित कीमतें बहुत कम थीं। तथापि, 1973 के दौरान सोवियत संघ को चप्पलों के निर्यात हेतु बातचीत चल रही है।

राज्य व्यापार निगम के कार्य करण पर जांच समिति का निष्कर्ष

947: **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पुरुषोतम काकोडकर :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को भारी हानि हो रही है;

(ख) क्या गत पाँच महीनों में राज्य व्यापार निगम के निर्यात में 14 प्रतिशत की और आयात में 3 प्रतिशत की कमी हुई है;

(ग) क्या अधिकांश देशों ने, जिनसे क्रयादेश प्राप्त हुए थे, वस्तुओं की किस्म खराब होने के कारण उन्हें रद्द कर दिया है और यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने वस्तुओं को रद्द किया है और इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है;

(घ) राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण में सुधार करने और उसे मुनाफे वाला उपक्रम बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की जाँच करने के लिये एक जांच समिति बनाई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य व्यापार निगम के निर्यातों में अप्रैल से अक्तूबर, 72 के बीच पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए निर्यातों की तुलना में 4४.9% की वृद्धि हुई। तथापि, आयातों में 3.7% की गिरावट आई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) राज्य व्यापार निगम एक कमाने वाला सयुत्थान है। फिर भी राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण में और अधिक सुधार करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(1) व्यवसाय में वृद्धि होने पर भी ऊपरी व्यय को नहीं बढ़ने दिया गया है।

(2) कार्यकारी पूंजी, विशेषतया स्टाक तथा देनदारों पर कड़ा नियंत्रण, जिससे ब्याज प्रभारों की बचत होती है।

(3) निधियों का इष्ठतम उपयोग करने के लिए बेहतर रोकड़ प्रबंध।

(ङ) जी हां। राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण का एक द्रुत सर्वेक्षण करने के लिए और जिन उद्देश्यों को लेकर निगम की स्थापना की गई थी वे किस हद तक पूरे हुए है जिस दिशा में संगठन को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, उसका आकलन करने के लिए और निगम के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए मार्गोपायों के सम्बन्ध में अपने सुझाव देने के प्रयोजनार्थ एक मूल्यांकन दल की स्थापना की गई है। हल का प्रतिवेदन तैयार हो रहा है।

दिल्ली स्थित अयोध्या मिल के प्रबन्ध की जांच

948. **श्री सरजू पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबंधाधीन दिल्ली स्थित अयोध्या मिल में कुप्रबंध की जांच के लिये एक विभागीय जांच समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) क्या अयोध्या मिल कर्मचारी कार्यवाही समिति (संघर्ष समिति) ने इस मिल के मामलों की जांच की मांग करते हुए एक ज्ञापन पेश किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का विवरण क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). संयुक्त संघर्ष समिति सहित विभिन्न श्रमिक संघों से हाल में एक संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अजुध्या टेक्सटाइल मिल्स लि०, दिल्ली द्वारा निधियों के दुरुपयोग आदि के विषय में अभिकथन हैं और मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए स्थायी निदेशक बोर्डों का गठन

949. **श्री सरजू पाण्डे** :
श्री सतपाल कपूर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये स्थायी निदेशक बोर्ड का गठन अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के लिये स्थायी बोर्डों के गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन बोर्डों का गठन कब तक किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 7 (3) के अन्तर्गत, 18 जुलाई, 1970 को गठित राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रथम निदेशक बोर्ड काम कर रहे हैं। ये बोर्ड तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1970 के खण्ड 3 के अनुसरण में नये निदेशक बोर्डों का गठन नहीं कर दिया जायगा। आशा है कि नये बोर्डों का गठन शीघ्र ही होगा।

जीवन बीमा निगम द्वारा सूखा-ग्रस्त राज्यों को वित्तीय सहायता

950. श्री **सरजू पाण्डे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूखे की समस्या को हल करने के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या ऐसी, कोई सहायता राज्यों को दी जा चुकी है ?

वित्त मंत्री (श्री **यशवन्तराव चव्हाण**) (क) से (ग). राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम की नियमित योजनाएं हैं और निगम द्वारा निवेश प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में तैयार किये गये बजट के अनुसार किये जाते हैं। फिर भी, यदि कभी बड़ी भारी प्राकृतिक विपत्तियां आ जाती हैं तो निगम उस विपत्ति द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को कम करने के निमित्त, राज्य सरकारों को, अपनी वर्तमान योजनाओं में से किसी भी एक के अन्तर्गत प्रयोजनीय तदर्थ वित्तीय सहायता, उस निमित पर्याप्त धन उपलब्ध होने की हालत में देता है। जैसे इस प्रकार की सहायता, महाराष्ट्र में कॉयना और गुजरात में भड़ौच में भूकम्प से हुई तबाही के सम्बन्ध में तथा उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में बाढ़ों के सम्बन्ध में मंजूर की गई थी। हाल ही में, इस वर्ष सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए जीवन बीमा निगम ने आँध्र प्रदेश सरकार को एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है।

सूडान, संयुक्त अरब गणराज्य और पूर्वी योरोपीय देशों को टायरों का निर्यात करने की सम्भावना

951. श्री सरजू पाण्डे : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान, संयुक्त अरब गणराज्य और पूर्वी योरोपीय देशों को टायरों का निर्यात करने की अच्छी सम्भावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो सूडान, संयुक्त अरब गणराज्य और पूर्वी योरोपीय देशों को टायरों का निर्यात करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) यदि हर प्रकार से सोचा जाये तो पूर्व यूरोपीय देशों को टायरों का निर्यात करने की अच्छी गुंजाइश है यद्यपि मिश्र का अरब गणराज्य और सूडान में इसका बाजार सीमित है।

(ख) टायरों के निर्यात पर आयात प्रतिपूर्ति और नकद सहायता देने के अतिरिक्त इन देशों के साथ व्यापार करारों में विशिष्ट उपबन्ध करने का प्रयास किया जाता है।

Reorganisation of Engineering Services in the opium Factory, Ghazipur

952. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a meeting of the Managing Committee of Ghazipur Opium Factory was held during July, 1972 in regard to reorganisation of Engineering Services of the said Factory; and

(b) if so, the decisions taken at the said meetting ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) A meetting of the Committee of Management, Government Opium & Alkaloid works Undertaking was held on 22nd July, 1972. One of the subjects discussed was in regard to the reorganisation of the Engineering Services of the Government Opium & Alkaloid Works, Ghazipur;

(b) The Committee which was already examining in detail the organisational set-up for the new Alkaloid factory, Neemuch decided to await the finalisation of these proposals so that similar scales of pay for comparable posts at Ghazipur factory could also be considered wherever possible. This would provide for uniformity and interchangeability of officers.

वर्ष 1939 का भारत-इंगलैण्ड व्यापार करार

953. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 1939 के भारत-इंगलैंड व्यापार करार की कतिपय धाराओं को बनाये रखने के लिए इंगलैंड की सरकार से पेशकश की है अथवा अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी हां। ब्रिटेन, जोकि भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है, के साथ संतोषजनक व्यापार संबंध करने की वांछनीयता को दृष्टि में रखते हुए।

सितम्बर, 1972 में जापान एयरलाइन्स के 'डी०सी०-8 विमान' का जूहू में आपाती अवतरण

954. **श्री जगन्नाथ मिश्र:**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1972 में जापान एयरलाइन्स के 'डी०सी-8 विमान' ने जूहू में आपाती अवतरण किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो दुर्घटना की न्यायिक जांच न करवाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 24 सितम्बर, 1972, को प्रातः जापान एयरलाइन्स का एक डी०सी-8 विमान बम्बई में सांताक्रूज के अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र की बजाय जूहू पर उतरा। मामले की जाँच की जा रही है।

(ख) सरकार ने अनुभव किया कि इस विषय में जांच वायुयान नियम, 1937, के नियम 71 के अन्तर्गत उपयुक्त रहेगी।

जूतों के निर्यात का अधिग्रहण

956. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री के० मालन्ना :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जूतों के निर्यात को अपने हाथ में लेने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है; और

(ग) इसे कब तक सरकार अपने हाथ में ले लेगी ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) से (ग). 14 नवम्बर, 1972 से सभी प्रकार के जूतों का निर्यात भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया है।

हस्तशिल्प सामग्री के बारे में विदेशों में सर्वेक्षण

957. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हस्तशिल्प सामग्री के बारे में विदेशी मंडियां खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए उत्तरी अमरीका तथा पश्चिम यूरोप के बाजारों में हस्तशिल्प की कुछ चुनी हुई वस्तुओं के बाजार सर्वेक्षण करने का विचार है।

इण्डियन एयरलाइन्स की असन्तोषजनक उड़ान-सारणी

958. श्री वायालार रवि : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में विमानों की कमी तथा पर्याप्त हवाई अड्डा सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान-सारणी असन्तोषजनक है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों को अधिक सन्तोषजनक तथा लाभकर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स की अनुसूचित उड़ानों का परिचालन प्रातः 6-00 बजे तथा सायं 10-00 बजे के बीच होता है।

कारपारेशन कितनी धारिता (कपैसिटी) की व्यवस्था कर सकती है यह उपलब्ध विमानों की संख्या पर निर्भर रहता है। यह सही है कि इन्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं पर निकट भूतकाल में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप जनता को काफी असुविधा हुई। ऐसा कई कारणों से हुआ जिनमें कर्मचारियों के कई वर्गों द्वारा किये गये आन्दोलन भी सम्मिलित हैं जोकि उनके वेतन सम्बन्धी वार्ताओं से सम्बन्धित थे। अब स्थिति में सुधार हो गया है।

Weavers rendered jobless due to non-availability of yarn

959. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether lakhs of weavers in various cities of Bihar and Uttar Prádesh have been rendered jobless on account of the non availability of yarn; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken to remove their un-employment and the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

Decline in price of raw Jute

960. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Indrajit Gupta :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Jute Growers are facing grave economic crisis as a result of fall in jute prices ;

(b) whether the jute growers are not even getting the price fixed by Government; and

(c) if so, the action taken or proPosed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) & (b) No such reports have been received. As a matter of fact, jute prices have been ruling above the minima statutorily fixed by Government.

(c) Does not arise.

प्रचार डिवीजन का पर्यटन विकास निगम को हस्तान्तरण

961. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के प्रचार डिवीजन को पर्यटन विकास निगम हस्तान्तरित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस निर्णय से पर्यटन मंत्रालय के दो विभागों के बीच गंभीर समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन प्रचार साहित्य के उत्पादन तथा वितरण को भारत पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है। प्रचार प्रभाग के अन्य कार्य पर्यटन विभाग में ही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त उच्च पद

962. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बहुत से उच्च पद रिक्त पड़े हैं और यदि हाँ, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकारी उद्यमों में कुछ उच्च पद खाली पड़े हैं। जिन उपक्रमों में ये पद रिक्त हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) कभी-कभी, निम्न कारणों से ऐसे पदों को भरने में कुछ समय लग जाता है:-

(i) मंत्रालयों ने व्यक्ति चुन लिये हैं जो कार्य की देखभाल कर भी रहे हैं किन्तु उनकी नियमित नियुक्ति अपेक्षित प्रक्रिया के पूरी न होने के कारण की जानी बाकी है। ऐसे मामलों में जब कोई तकनीकी पद खाली होता है तो प्रबन्ध सम्बन्धी रिक्तता नहीं होती।

(ii) कुछ उच्च विशेषज्ञता वाले पदों के लिए योग्य व्यक्ति खोजने में कभी-कभी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(iii) कुछ नई कम्पनियों में, रिक्त पदों को कार्यरत कर्मचारियों में से ही भरने के लिए उपयुक्त उत्तराधिकारियों की योजनाएं बनाने में भी कठिनाई हो सकती है।

(iv) कुछ स्थान नये सिरे से बनाए गए पदों के कारण रिक्त हैं।

(v) ऐसे महत्वपूर्ण पदों को भरने में काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इस बीच कार्य में बाधा न आने देने के लिए अस्थायी प्रबन्ध किये गये हैं।

विवरण

सरकारी उद्यमों के नाम जिनमें उच्च पद (अर्थात वे पद जिन पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है) रिक्त हैं। (1-11-19ˉ2 तक की स्थिति)।

1. भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
2. खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड
3. चाय व्यापार निगम लि०
4. भारतीय जूट निगम लि०
5. निर्यात ऋण और प्रत्याभूति निगम लि०
6. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०
7. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०
8. हैवी इंजीनियरिंग निगम लि०
9. हिन्दुस्तान स्टील लि०

10. भारतीय तेल निगम लि०
11. पाइराईट्स फासफेट्स एण्ड केमिकल्स लि०
12. भारतीय उर्वरक निगम लि०
13. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०
14. हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०
15. कोचीन शिपयार्ड लि०
16. शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
17. हिन्दुस्तान कापर लि०
18. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि०
19. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०
20. पुनर्वास उद्योग निगम लि०

एशियाई व्यापार मेला, 1972 में आमंत्रित और भाग लेने वाले देश

963. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्रालय द्वारा आयोजित किए गए एशियाई व्यापार मेला 1972 में भाग लेने के लिए कितने देश आमंत्रित किए गए और किन किन देशों ने वास्तव में भाग लिया है ;

(ख) मेले का प्रबन्ध करने में सरकार द्वारा वस्तुतः कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ग) इस मेले से देश को क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) भाग लेने के लिए 124 देशों को आमन्त्रित किया गया था। छियालीस देशों (नाम अनुबध-1 में दिए गए हैं) ने एशियाई व्यापार मेला, 1972 में वास्तव में भाग लिया है। विदेशी सरकारों के अलावा (1) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (अंकटाड़) तथा (2) एशियाई तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग भी मेले में भाग ले रहे हैं।

17 विदेशी सरकारों के अलावा, विदेशी वाणिज्यिक फर्में मेले में भाग ले रही हैं।

मेले के आयोजन पर मेला प्राधिकारी, विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा लगभग 5.83 करोड़ रु० खर्च किए जाने की सम्भावना है। खर्च की सही राशि का पता तभी चलेगा जब मेले की समाप्ति के बाद सभी बिलों आदि की अदायगियों के बारे में अन्तिम निर्णय कर दिया जायेगा। 31 अक्तूबर, 1972 की स्थिति के अनुसार वास्तव में सही व्यय 3.95 करोड़ रु० था।

मेले के फलस्वरूप भारत को जिन लाभों की आशा है वे विविध प्रकार के हैं। उनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं:—

(1) इस मेले से, जिसका कि मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों विशेषतः वे देश जो एशिया में हैं, के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग का संवर्धन करना और एशिया में नये विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन देना है, भारत का सही स्वरूप प्रस्तुत करने और भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हलके तथा भारी इंजीनियरी, लघु तथा बड़े उद्योगों, रसायन तथा उर्वरकों, लोहा तथा इस्पात,

वैमानिकी, जहाज निर्माण और पावर तथा परमाणु ऊर्जा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है उसे अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य को दिखाने के लिए अच्छा अवसर मिलेगा ।

(2) मेले से अद्भूत होने वाले प्रत्यक्ष व्यापारिक कार्यकलापों का आकलन मेले के समाप्ति के बाद ही किया जा सकता है। तथापि, मेले के प्रथम सप्ताह में ही पश्चिम जर्मनी, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियन संघ जैसे देशों से सज्जा सामग्री, साइकिल पुर्जों, अहाता खींचने सम्बन्धी संघटकों, गुड़ियाओं, सिले-सिलाए परिधानों आदि जैसी मदों के लिए निर्यात आदेश बुक किये गये हैं। यह आशा की जाती है कि मेले से 50 करोड़ रुपये का कुल निर्यात व्यापार मिल सकेगा।

(3) ये आय विदेशी मुद्रा के रूप में अप्रत्यक्ष आय हैं जो कि इसमे भाग लेने वाले विदेशियों द्वारा मेले में भाग लेने के सम्बन्ध में देश में ही खर्च की जायेगी।

(4) इस मेले से, अन्य देशों में हुई प्रौद्योगिकीय प्रगति का भारत में प्रदर्शन हो सका है और इसने भारतीय उद्योगपतियों, प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों आदि को नये तकनीक, तरीके, मूलकृति आदि सीखने और अपनाने के लिये एक अवसर प्रदान किया है।

(5) मेले से नये क्रेता-विक्रेता संपर्क स्थापित होंगे और इससे आन्तरिक व्यापार का संवर्धन उत्तरोत्तर आयात प्रतिस्थापन, और विभिन्न क्षेत्रों का आर्थिक एकीकरण होगा ।

उन देशों के नाम जिन्होंने वास्तव में तीसरे एशियाई व्यापार मेला 1972 में भाग लिया

1. अफगानिस्तान
2. आस्ट्रेलिया
3. आस्ट्रिया
4. बंगला देश
5. बेल्जियम
6. भूटान
7. ब्राजील
8. बल्गारिया
9. बर्मा
10. कनाडा
11. साइप्रस
12. चेकोस्लोवाकिया
13. जर्मन संघीय गणराज्य
14. फिजी
15. फ्रांस
16. जर्मन लोक तन्त्रीय गणराज्य
17. गिनी
18. हंगरी
19. इंडोनेशिया
20. इराक
21. इटली
22. जापान
23. कीनिया
24. कुवैत
25. लिबीया
26. मलयेशिया
27. मारिसस
28. मंगोलिया
29. नेपाल
30. न्यूजीलैंड
31. ओमन
32. पीरू
33. फिलिपिन्स
34. पोलैण्ड
35. कोरिया गणराज्य
36. रोमानिया
37. स्पेन
38. श्री लंका
39. सूडान
40. स्वीडन
41. तंजानिया
42. थाइलैंड
43. टर्की
44. सोवियत संघ
45. यूगोस्लाविया
46. जम्बिया

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से दुर्विनियोग किए गये विदेशी मुद्रा के परमिट

964. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री सतपाल कपूर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से दुर्विनियोग किये गए विदेशी मुद्रा के परमिटों के आधार पर हाल ही में 70 लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जाँच की गई हैं तथा अपराधियों को पकड़ा गया है; और

(ग) भविष्य में ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) प्रवर्तन अधिकारियों के नोटिस में कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें नकली परमिटों के आधार पर विदेशी मुद्रा ली गई थी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इन मामलों की जांच की जा रही है ।

(ग) भविष्य में दुरुपयोग को रोकने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा दिये जाने की प्रणाली को दोषरहित बनाने के उपाय किये जा रहे हैं ।

इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के कार्यकरण में कथित दोष

965. श्री **एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री नागेश्वर राव :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय फिल्म्स निर्माता परिषद से इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के कार्यकरण में विभिन्न कमियों को बताने वाला अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) यदि हां, तो क्या अभ्यावेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) उक्त अभ्यावेदन पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री **ए०सी० जार्ज**) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) इस प्रकार के अभ्यावेदन की प्रतियां सभा पटल पर रखने की प्रथा नहीं है । तथापि अभ्यावेदन में कही गई बातों की जांच की जा रही है ।

पुराने करेंसी नोटों का परिचालन

966. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने और गन्दे करेंसी नोट, विशेषकर कम मूल्य के जिनको कि नष्ट किया जाना चाहिए, देश में अभी भी परिचालन में है और स्टेट बैंक आफ इण्डिया जैसे प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक उनको अभी भी जारी कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको वापिस लेने तथा उनके स्थान पर नये अथवा अच्छे करैंसी नोटों को चलाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बात यह नहीं है कि कम मूल्य के करैंसी नोट, जो नष्ट किए जाने योग्य होते हैं, भारतीय स्टेट बैंक सहित प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी किये जाते हैं, किन्तु यह सही है कि देश में मैले नोटों का परिचालन बराबर जारी है ।

(ख) इस देश में जिस तेजी के साथ करैंसी नोट एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं वह बहुत अधिक है और नये छपे नोट मुख्यत: इसी कारण कुछ ही महीनों की अवधि में मैले और गन्दे हो जाते हैं । इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक की नये नोट छापने की क्षमता भी सीमित है और वह पिछले कुछ समय से करैंसी नोटों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा है :

(ग) चलन में आ रहे मैले नोटों की समस्या को, इस समय देवास में स्थापित किये जा रहे नये बैंक नोट प्रैस में अगले वर्ष उत्पादन शुरू होने के बाद ही हल किया जा सकता है । जब तक नये प्रैस का निर्माण नहीं हो जाता तब तक नासिक में स्थित करैंसी नोट प्रैस की क्षमता अतिरिक्त कर्मचारियों द्वारा तथा काम के घण्टों में वृद्धि करके बढ़ायी गयी है और आशा है कि तेज गति वाली तथा करैंसी नोट छापने की आधुनिक तथा नवीनतम मशीनें लगाकर प्रैस की क्षमता को और आगे बढ़ाया जायेगा जिसके लिए एक स्विस फर्म के साथ संविदा किया जा चुका है । इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक तथा उसके अभिकरण, जैसे भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं तथा उसके सहायक बैंक भी जिनके पास करेंसी चैस्ट की व्यवस्था है, नये छपे नोटों की उपलब्धता की सीमा तक मैले नोटों को बदलने की पर्याप्त और उदार सुविधायें प्रदान कर रहे हैं । रिजर्व बैंक का सदा यही तरीका रहा है कि सारे देश में बैंकों को कुछ नोट नये दिये जाएं और कुछ ऐसे पुराने नोट दिये जाएं जो चलन में रहने की स्थिति में होते हैं । जो नोट मैले हो जाते हैं और चलन में रखने के योग्य नहीं रहते उन्हें लोगों को दुबारा जारी नहीं किया जाता बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार नष्ट कर दिया जाता है ।

अतिरिक्त अन्तरिम राहत के भुगतान से सम्बन्धित वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा असन्तोष व्यक्त किया जाना

967. श्री **रण बहादुर सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त अन्तरिम राहत के भुगतान के बारे में तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने अपना असन्तोष व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय मे राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुछ संस्थाओं से इस आशय की कुछ दरख्वास्तें मिली हैं ।

(ख) यह अतिरिक्त अन्तरिम राहत तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार

मंजूरी की गयी है जो उनकी तृतीय अन्तरिम रिपोर्ट में निहित हैं और जिन्हें सरकार ने पूर्णतः स्वीकार कर लिया है।

इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष द्वारा पदत्याग

970. **श्री सोम चन्द सोलंकी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष ने निगम की कर्मचारियों से सम्बन्धित नीतियों के संबंध में सरकार से मतभेद होने के कारण पदत्याग कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उनके पदत्याग के लिए क्या अन्य कारण दिये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल जटा के निर्यात में गिरावट

971. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान नारियल जटा के रेशों के निर्यात में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी राशि के नारियल जटा के रेशों का निर्यात किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970-71 में कयर रेशे के निर्यात में गिरावट आई थी लेकिन तत्पश्चात् स्थिति में सुधार हुआ है। अप्रैल-अक्तूबर, 1971 के दौरान, 3.32 करोड़ रु० मूल्य के 14,472 मै० टन कयर रेशे के निर्यात की तुलना में, अप्रैल-अक्तूबर, 1972 में 4.43 करोड़ रु० मूल्य का 17,372 मै० टन कयर रेशे का निर्यात हुआ।

(ख) कयर रेशे के निर्यातों में कमी के ये कारण रहे हैं: संश्लिष्ट तथा अन्य प्रति उत्पादों के आ जाने के कारण पश्चिम यूरोपीय देशों में कयर रेशे के उपयोग में गिरावट और ब्रिटेन तथा कुछ अन्य देशों में हाप खेती के लिए कयर रेशे की कम मात्रा में खपत।

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान निर्यातित कयर रेशों की मात्रा और मूल्य निम्नलिखित थे :

	मात्रा (मै० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)
1969-70	37,738	819.12
1970-71	33,440	766.36
1971-72	30,642	722.42

दिल्ली स्थित भारतीय रुई निगम के कार्यालय में भर्ती

972. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम ने अपने कार्यालयों को दिल्ली में स्थानान्तरित करने के

पश्चात गत तीन महीनों में अनेक व्यक्तियों को भर्ती कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो भर्ती किये गये व्यक्तियों के नाम पते आदि क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रुई निगम के दिल्ली कार्यालय में गत तीन महीनों के दौरान भर्ती किये गये व्यक्तियों के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :—

नाम	पद नाम	आयु	अर्हता
श्री शफी अहमद शाह	सहायक प्रबन्धक	$27\frac{1}{2}$	बी०ए० (आनर्स, एम०ए०)
श्री जगदीश चन्द्र	लेखा अधिकारी	$26\frac{1}{2}$	बी०काम०, एल०एल०बी० ए०सी०ए०
श्री वेद प्रकाश	सहायक	39	बी०ए०, डिप (काआप)
श्री राम कुमार	लेखा सहायक	27	बी० काम०
श्री पी०सी० सचदेव	वरिष्ठ आशुलिपिक	33	एम०ए० (इकानोमिक्स)
श्री बी०पी०एस० गांधी	उच्च श्रेणी लिपिक	22	बी०एस०सी०
श्रीमती चन्द्रप्रभा	स्वागत अधिकारी	32	एम०ए०
कुमारी बेला सक्सेना	निम्न श्रेणी लिपिक	22	बी०ए०
श्री डी०बी० माथुर	निम्न श्रेणी लिपिक	23	बी०ए०
श्री प्रेम सिंह	स्टाफ-कार चालक	26	मिडल
श्री जरनैल सिंह	स्टाफ-कार चालक	45	आर्मी (2 वर्ग)

इन के अतिरिक्त, उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न क्रय केन्द्रों में नियुक्त किये जाने हेतु 95 काटन सैलेक्टर तथा 82 जिनिंग तथा प्रैसिंग लिपिकों को भी निगम ने नियुक्त किया है।

रूई निगम के कार्यालय को पंजाब से दिल्ली स्थानान्तरित करना

973. **श्री के० मालन्ना : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुई निगम के कार्यालय को पंजाब से दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारत के उत्तरी राज्यों से रुई की खरीद भारतीय रुई निगम के माध्यम से करने का है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में रुई खरीदने के कार्यों पर प्रभावशाली ढंग से निगरानी तथा नियन्त्रण रखने की दृष्टि से रुई निगम के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय भटिण्डा से देहली स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(ग) रुई निगम ने उत्तरी भारत के रुई उगाने वाले राज्यों में रुई की खरीद पहले ही शुरू कर दी है।

विदेशों में भेजे गये व्यापार शिष्टमंडल

974. **श्री के० मालन्ना : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के दौरान सरकार द्वारा विदेशों में कितने व्यापार शिष्टमंडल भेजे गए;

(ख) प्रत्येक व्यापार शिष्ट मण्डल ने किन-किन देशों की यात्रा की;

(ग) प्रत्येक शिष्ट मण्डल के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) इनसे क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सख्या एल०टी० 3730/72]

विदेशों के लिए मंजूर किए गए तथा स्थापित किये गये संयुक्त उपक्रम

975. **श्री के० मालन्ना :**

श्री सी०टी० दण्डपाणि :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों (नामों के सहित) में स्थापित किये जाने के लिए गत वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितने संयुक्त उपक्रमों को मंजूरी दी गई और कितने वास्तव में स्थापित किये गये;

(ख) संयुक्त उपक्रमों की मुख्य उत्पादन मदें क्या हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप इन देशों में भारतीय वस्तुओं के निर्यात का किस सीमा तक विकास हुआ है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० **सी० जार्ज**) : (क) 1971-72 के दौरान मारिशस, नाइजीरिया, ईरान, इण्डोनेशिया, मलेशिया, फिजी, आस्ट्रेलिया, जापान तथा कनाडा में 22 संयुक्त उद्यम प्रस्थापनाएं लगाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। इनमें से मलेशिया में एक उद्यम ने वर्ष के दौरान उत्पादन भी शुरू कर दिया है।

(ख) प्रस्तावित उद्यमों में ये मदें शामिल हैं : सीमेन्ट, वस्त्र, सिलेसिलाए वस्त्र, इस्पात की वस्तुएं, पाइप तथा ट्यूबें, ताड़ का तेल केफ्रेक्शेनेशन, साबुन, मोटर गाड़ी की जंजीरें, चीनी आदि।

(ग) भारतीय माल के निर्यातों के विकास पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

काला धन बाहर निकालने के लिए कानपुर में छापे

976. श्री **श्यामनन्दन मिश्र : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल के पश्चात् कानपुर में मारे गये छापों में एक करोड़ रुपये के मूल्य का काला धन पकड़ा गया है; और

(ख) काला धन रखने वाली पार्टियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अप्रैल, 1972 से कानपुर में आयकर बिभाग द्वारा ली गई तलाशियों में 8.20 लाख रुपये की नकदी और अन्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गईं।

(ख) जिन निर्धारितियों के मामलों में तलाशियां ली गयीं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

श्री निर्मल कुमार, कानपुर
श्री लाल चन्द, कानपुर
श्री अमर सिंह, कानपुर
शंकर राइस मिल्स कानपुर
अमर राइस मिल्स, कानपुर
श्री सुरेन्द्र कुमार
श्री योगेन्द्र कुमार, कानपुर
श्री रज्जन बाबा (रज्जन लाल मिश्र न्यास, कानपुर)
श्री रज्जन लाल मिश्र, कानपुर
श्री राम गोपाल, कानपुर
मैसर्स दुर्गा प्रसाद बसन्त लाल कानपुर
श्री कृष्ण सरोगी, कानपुर
श्री केदार नाथ बैजनाथ, कानपुर
श्री ओम प्रकाश सोमानी, कानपुर
श्री शंकर ट्रेडिंग कं०, कानपुर
श्री खेम चन्द, कानपुर
श्री सदन मोहन, कानपुर
श्री पुत्ती लाल, कानपुर
श्री मुन्ना लाल, कानपुर

केरल को दिये गये ऋण को बट्टे-खाते में डालना

977. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि अनुत्पादक योजनाओं पर राज्य को दिये गये ऋण को बट्टे खाते में डाला जाय;

(ख) इस ऋण की कुल कितनी राशि राज्य पर बकाया है; और

(ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को दिये गये ऋणों की वापसी अदायगी का प्रश्न छठे वित्त आयोग को भेज दिया गया है।

विवरण

31 मार्च 1972 को केरल सरकार के विरुद्ध बकाया केन्द्रीय ऋण

		(करोड़ रुपये)
1.	राज्यीय आयोजना के लिए इकट्ठे ऋण	64.65
2.	विशेष ऋण सहायता	46.12

3.	दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में सहायता के लिए ऋण	6.97
4.	अल्प बचत संग्रह के हिस्से के लिए ऋण	13.84
5.	कृषि उत्पादन और सहायक योजनाओं के लिए ऋण	11.71
6.	मुख्य सिंचाई और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं के लिए ऋण	25.19
7.	विविध विकास प्रयोजनों के लिए ऋण	59.49
8.	आवासन योजनाओं के लिए ऋण	2.33
9.	जलपूर्ति और जल-निकासी योजनाओं के लिए ऋण	8.01
10.	पुनर्वास योजनाओं के लिए ऋण	0.49
11.	उर्वरकों, बीजों, कीटनाशक औषधियों आदि की खरीद के लिए अल्पावधिक ऋण	0.03
12.	अन्य ऋण	26.59
	जोड़	265.42

फटे पुराने ऊनी वस्त्रों के आयात पर प्रतिबन्ध

978. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हाजरी' निर्माताओं द्वारा फटे-पुराने ऊनी वस्त्रों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० **जार्ज**) : (क) तथा (ख) जी हां, 11-5-1972 से हौजरी निर्यात के बदले में प्रतिपूर्ति के रूप में ऊनी चीथड़ों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। प्रतिबन्ध इसलिए लगाया गया है क्योंकि हौजरी के उत्पादन के लिए ऊनी चीथड़े सामान्य कच्चा माल नहीं है।

राज्यों में बाढ़ तथा तूफान के कारण उत्पन्न स्थिति का मूल्यांकन करने वाले अध्ययन दल के प्रतिवेदन

979. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:**
श्री सरजू पाडेय :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में बाढ़ तथा तूफान के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न राज्यों को भेजे गए केन्द्रीय अध्ययन दलों ने अपने प्रतिवेदन पेश कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रतिवेदन का मुख्य-मुख्य विवरण क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशि की सहायता दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री **के०आर० गणेश**) : (क) से (ग) राज्य का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल राज्य सरकार के अधिकारियों से विस्तृत वार्ता करते हैं और प्रभावित क्षेत्रों का

भी दौरा करते हैं। इससे उन्हें मौके पर जाकर स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार के मूल्यांकन से अध्ययन दल द्वारा विभिन्न सहायता कार्यों के लिए तय की गई व्यय की अधिकतम सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

2. केन्द्रीय दलों द्वारा जिन राज्यों का दौरा किया गया है और उनकी सिफारिश पर निर्धारित की गई व्यय की अधिकतम सीमा की जानकारी देने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1972-73 के दौरान बाढ़ सहायता कार्यों पर व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	राज्य द्वारा अनुमानित	अधिकतम स्वीकृत सीमा	दी गई केन्द्रीय सहायता		
			ऋण	अनुदान	जोड़
असम	22.00	4.72	—	—	—
केरल	2.05	1.17	0.50	—	0.50
मध्य प्रदेश	दी नहीं गई	—	—	—	—
उड़ीसा	20.34	14 66	4.00	—	4.00+
राजस्थान	7.14	4.39	—	—	—
उत्तर प्रदेश	2.00	1.07	—	—	—
पश्चिमी बंगाल	30.62	7.07	2.00	—	2.00+

+सूखा सहायता कार्यों के व्यय के लिए सहायता शामिल है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार के किसानों को सहायता

980. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में डीजल पम्पिंग सेटों को लगाने में किसानों को सहायता देने के लिए बिहार सरकार और राष्ट्रीयकृत बैंकों के मध्य क्या-क्या शर्तें तय हुई हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

राज्य सरकार के अधिकारियों और वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों के बीच 16 सितम्बर, 1972 को हुई एक बैठक में मार्च, 1973 के अन्त तक जोरदार कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में किसानों द्वारा डीजल या बिजली से चलने वाले पम्पसेटों की खरीद के लिए वित्त पोषण करने के सम्बन्ध में सहमति हो गई थी।

2. खण्ड विकास अधिकारी भावी ऋणकर्ताओं का परिचय बैंकों से करायेंगे और ऋण सम्बन्धी आवेदन प्रपत्रों को पूरा कराने में उनकी सहायता करेंगे। बैंक ऋणकर्ताओं का चुनाव करेंगे और स्वीकृति से पहले की आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद उनके आवेदनपत्रों पर कार्रवाई करेंगे।

3. यह योजना प्राथमिक रूप से $2\frac{1}{2}$ और $7\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि वाले किसानों के लिए होगी। $7\frac{1}{2}$ एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर बैंकों की सामान्य शर्तें लागू होंगी।

4. $2\frac{1}{2}$ से 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों के लिए ऋण की रकम 3500/- रुपये होगी और इसमें पम्पों की लागत, बिक्री कर आदि की रकम शामिल होगी। 5 और $7\frac{1}{2}$ एकड़ के बीच की भूमि वाले किसानों के मामले मे बिक्री कर आदि की अदायगी ऋणकर्ताओं द्वारा की जाएगी। $2\frac{1}{2}$ से 5 एकड़ तक भूमि वाले किसानों के मार्ग में किसी (अन्तरधन) मार्जिन पर जोर नहीं दिया जाएगा बशर्ते कि उन्होंने ऋण की कम से कम 10 प्रतिशत रकम का निवेश कुएं, पम्प पर, चबूतरे आदि की लागत के रूप में किया हो।

5. जहां तक जमानत का सम्बन्ध है, पम्प सैट को दृष्टि-बन्धक रखने के अलावा किसानों को दो गारन्टीदाता या 5 व्यक्तियों द्वारा जो स्वयं ऋणकर्ता भी हो सकते हैं सामूहिक गारन्टी देनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें एक शपथ पत्र या खण्ड-विकास अधिकारी का एक प्रमाणपत्र देना पड़ेगा कि आवेदनपत्र में उल्लिखित भूमि खेती के लिए ऋणकर्ता के कब्जे में है। ऋणकर्ताओं को बैंकों द्वारा फसल-ऋण भी दिए जाएंगे। इन ऋणों की वापसी अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में की जाएगी जो ऋणकर्ता की आयवृद्धि और ऋण लौटाने की क्षमता पर निर्भर होगी। पहली किस्त पम्पसैट लग जाने के बाद पहली कटाई की फसल से देय होगी।

मोटे कपड़े (कार्स क्लाथ) के वितरण को सरकारी अधिकार में लेना

981. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटे कपड़े (कार्स क्लाथ) के वितरण को अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो कपड़े के वितरण का क्या तरीका है; और

(ग) छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) (क) : सरकार ने 1-11-1972 से नियंत्रित किस्मों के मोटे तथा लोअर मीडियम कपड़े के वितरण को अपने हाथ में ले लिया है।

(ख) नियंत्रित कपड़े के वितरण की नई योजना के अन्तर्गत, नियंत्रित कपड़े को समस्त उत्पादन की बिक्री, मिलों की अपनी खुदरा दुकानों, सुपर बाजारों, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से सम्बद्ध उचित कीमत वाली दुकानों तथा राज्य सरकारों द्वारा खोली गई उचित कीमत वाली दुकानों के माध्यम से की जाएगी।

(ग) उचित कीमत वाली दुकानों के माध्यम से जितना नियंत्रित कपड़ा बेचा जाता है वह मिल क्षेत्र में उत्पादित समस्त सूती कपड़े का लगभग 10 प्रतिशत भाग होता है शेष कपड़ा तथा साथ ही विकेन्द्रित क्षेत्र द्वारा उत्पादित कपड़ा सामान्य व्यापारिक माध्यमों से वितरण के लिए उपलब्ध है। अतः इस योजना से लघु तथा मध्यम वर्ग के व्यापारियों पर कुप्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने के बारे में तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

982. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत दिये जाने के बारे में वेतन आयोग की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय दी गई अंतरिम राहत गत अवसर पर दी गई राहत से कम है;

(ग) क्या 575 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अंतरिम राहत नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) 500.00 रुपये से नीचे की वेतन श्रेणियों के लिये तीसरी अन्तरिम राहत की दरें वे ही हैं जो दूसरी अन्तरिम राहत की थी। 500.00 रु० से 575.00 रु० तक की वेतन श्रेणी के लिये गत अवसर पर स्वीकृत की गई 15.00 रुपये की दर के मुकाबले दर को 10.00 रु० तक सीमित रखा गया है।

(ग) और (घ) ऐसा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया है। एतत्सम्बन्धी कारण तीसरी अन्तरिम रिपोर्ट के पैराग्राफ 5 में निहित हैं, जिसकी प्रतियां सभापटल पर रखी जा चुकी हैं।

मैसर्स मर्करी ट्रेवल्ल द्वारा विदेश ट्रेवल्स एजेंसियो से, भारत में विदेशी पर्यटकों के पर्यटन सम्बन्धी प्रबंध के लिए प्राप्त की गई राशि

983. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मैसर्ज मर्करी ट्रेवल्स पर भारत में विदेशी पर्यटकों के लिए ऐसे पर्यटन सम्बन्धी प्रबन्ध करने का आरोप लगाया गया था, जिनके लिए राशि की अदायगी विदेशी ट्रेवल एजेंसियों से भारत में, रुपए में, काला बाजार स्रोतों के माध्यम से प्राप्त की गई थी;

(ख) क्या नई दिल्ली में ओबराय इन्टर-कान्टनेन्टल होटल में उक्त कम्पनी के कार्यालय की तथा उक्त कम्पनी से सम्बद्ध कुछ व्यक्तियों के घरों की तलाशी ली गई थी तथा कुछ अवैध कागजात पकड़े गये थे;

(ग) यदि हां, तो इस मामले सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों तथा अन्य पार्टियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जाँच पड़ताल के उपरान्त, प्रवर्तन निदेशक (डायरेक्टर आफ एनफोर्समेन्ट) द्वारा अधिनिर्णयन कार्यवाही (एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स) की गई। उसने कम्पनी और उसके प्रबन्ध-निदेशक दोनों पर संयुक्त रूप से अपने 18-7-72 के आदेश द्वारा 5,00,000/- रुपए का कुल जुर्माना लगाया।

(घ) 5,00,000/- रुपए का जुर्माना कम्पनी और उसके प्रबन्ध निदेशक श्री जी०के० खन्ना

पर संयुक्त रूप से लगाया गया। इस कम्पनी के एक अन्य कर्मचारी श्री सोम मधोक के विरूद्ध लगाये गए आरोप समाप्त कर दिए गए क्योंकि उसकी अधिनिर्णयन कार्यवाही के दौरान ही मृत्यु हो गई।

(ड.) मैसर्ज मर्करी ट्रेवल्स और श्री जी०के० खन्ना ने फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन एविलेट बोर्ड को एक अपील दायर कर दी है। अन्तिम अपील का निपटान हो जाने के बाद ही उपयुक्त कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।

निर्यातों की वृद्धि दर

984. **श्री ज्योतिमर्य बसु : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान देश से कुल कितने मूल्य का निर्यात हुआ;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात में वृद्धि की दर कितनी रही;

(ग) क्या मंत्रालय के अनुसार चालू वर्ष के प्रथम चार मास के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात 14 प्रतिशत (सही आंकड़ों में 73 करोड़ रुपये) अधिक रहा, और

(घ) यदि हां, तो बंगला देश में माल के निर्यात के कारण निर्यात के मूल्य में इस वृद्धि का कितना अंश हैं तथा इस 73 करोड़ रुपये के निर्यात में इस अवधि के दौरान सीमा-पार भेजे गये खाद्यानों, सूती कपड़े तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का कितना अंश है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970-71 में 1535.2 करोड़ रु० तथा 1971-72 में 1606.6 करोड़ रु०

(ख) पिछले वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 1970-71 में 8.6 प्रतिशत तथा 1971-72 में 4.7 प्रतिशत।

(ग) जी, हां।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

भारत और बंगला देश के मध्य सीमान्त व्यापार स्थगित करने का निर्णय

985. श्री के० बालदण्डायुतम : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश ने दोनों देशों के बीच होने वाले सीमान्त व्यापार को स्थगित करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). भारत और बंगला देश के बीच हुए व्यापार करार के क्रियान्वयन का पुनरीक्षण करने हेतु दोनों देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक 5 से 8 अक्तूबर, 1972 तक ढाका में हुई। इन वार्ताओं के दौरान, भारत ने बंगला देश की इस बात को मान लिया कि जब तक स्थायी तौर पर सीमा का नियंत्रण स्थापित न हो जाए और प्रशासन सम्पूर्ण सीमा पर अर्थपूर्ण रोकथाम करने के लायक न हो जाये तब तक के लिए सीमा व्यापार के प्रबन्ध को स्थगित कर दिया जाए।

विदेशी पर्यटकों द्वारा होटल के बिलों का विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए प्रबंध

987 **श्री राम सहाय पांडेय :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कुछ ऐसे प्रबन्ध किए हैं जिससे विदेशी पर्यटक अपने होटलों के बिलों का भुगतान विदेशी मुद्रा में कर सकें;

(ख) देश में और अधिक विदेशी मुद्रा की बचत करने में ये प्रबन्ध कितने सहायक सिद्ध होंगे; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि विदेशी मुद्रा लेने वाले होटल तथा अन्य संगठन इसे अपने अपने लाभ का साधन न बना लें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत में समस्त होटलों से अनुरोध किया गया है कि वे 1 नवम्बर, 1972 से विदेशी पर्यटकों से (कुछों को छोड़कर) होटल के बिलों का भुगतान केवल विदेशी मुद्रा में ही लेवें ।

(ख) क्योंकि अब विदेशी पर्यटकों से अपने होटल के बिलों का भुगतान विदेशी मुद्रा में करने को कहा जाता है, आशा की जाती है कि इस माध्यम से होने वाले विदेशी मुद्रा के क्षरण (लीकेज) में बहुत कमी हो जाएगी ।

(ग) विदेशी मुद्रा एकत्रित करने वाले होटलों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा परिवर्तन लाइसेंस दिये जा रहे हैं तथा वे उन सामान्य जाँचों एवं नियंत्रणों के अधीन होंगे जोकि देश में सभी लाइसेंस प्राप्त मुद्रा परिवर्तन करने वालों पर लागू होते हैं ।

बैंकिंग आयोग की सिफारिशें

988. **श्री राम सहाय पांडेय :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बैंकों के पुनर्गठन हेतु बैंकिंग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या मुख्य निर्णय किये गये है; और

(ग) क्या बैंकों को सशक्त बनाने के लिये कोई कार्यवाही आरम्भ की गयी है और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

989. **श्री राम सहाय पांडेय :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष और कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1973 में भारत में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) : जी, नहीं ! भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में जनवरी-सितम्बर, 1972 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3731/72]

विदेशों से वित्तीय सहायता

990. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए कितनी विदेशी सहायता प्राप्त होने की आशा है; और

(ख) अपेक्षित विदेशी सहायता के बिना ही विकास कार्यक्रमों की क्रियान्वित के पुन-निर्धारण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत सहायता संघ ने जून, 1972 की बैठक में यह स्वीकार किया था कि भारत को 1972-73 के लिए लगभग 70 करोड़ अमरीकी डालर की परियोजना भिन्न सहायता तथा लगभग 55 करोड़ अमरीकी डालर की परियोजनागत सहायता के वचनों की आवश्यकता होगी। सहायता संघ के कुछ सदस्य देशों में अब तक कुल 49.076 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता के करार किये गये हैं। सहायता संघ से भिन्न देशों के साथ चालू वर्ष में नये करारों पर हस्ताक्षर नहीं किये गये, किन्तु इन देशों से, विशेषतः पूर्वी यूरोप के देशों से मिलने वाली सहायता का, जो पहले से हस्ताक्षरित करारों के अन्तर्गत प्राप्त हो रही है, देश के विकास कार्यक्रम के लि.. बराबर उपयोग किया जा रहा है।

(ख) इरादा यह है कि निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था की जाए ताकि सहायता में होने वाली कोई भी कमी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर बुरा प्रभाव न डाल सके।

अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिये भारत-बंगला देश व्यापार करार का पुनरीक्षण

991. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और बंगला देश की सीमा पर हो रहे अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए भारत-बंगला देश व्यापार करार का हाल ही में पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों को सुधारने के लिए इस करार में कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो करार में क्या नये प्रावधान किये गए हैं और भविष्य में व्यापार में सुधार करने में ये कहां तक सहायक सिद्ध होंगे ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) भारत बंगला देश के बीच हुए व्यापार करार को क्रियान्वयन का पुनरीक्षण करने हेतु दोनों देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक 5 से 8 अक्तूबर, 1972 तक ढाका में हुई। इन वार्ताओं के दौरान भारत ने बंगला देश की यह बात मान ली है कि जब तक सीमा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण स्थापित न हो जाये और प्रशासन सम्पूर्ण सीमा पर अर्थपूर्ण रोकथाम करने के लायक न हो जाये तब तक के लिए सीमा व्यापार के प्रबन्ध को स्थगित कर दिया जाये।

मिश्र के व्यापार प्रतिनिधिमण्डल की भारत यात्रा

992 श्री **बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या मिश्र के व्यापार प्रतिनिधिमन्डल ने हाल में भारत की यात्रा की थी,

(ख) क्या व्यापार सम्बन्धी कोई समझौता किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में **उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (ग) मिस्री, अरब गणराज्य का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल 30 सितम्बर, 1972 को समाप्त हुए पहले वाले व्यापार प्रबन्ध के स्थान पर एक नए भारत-मिश्री अरब गणराज्य व्यापार प्रबन्ध के संबंध में वार्ताएं करने के लिए 16 सितम्बर, 1972 से 25 सितम्बर, 1972 तक भारत आया था। जो नया व्यापार प्रबन्ध किया गया है वह 1 अक्टूबर, 1972 से शुरू होकर एक वर्ष के लिए है। इस प्रबन्ध में यह व्यवस्था है कि भारत लगभग 31.7 करोड़ रु० मूल्य का माल निर्यात करेगा जिसके बदले उसी मूल्य का आयात (मुख्य रूप से रुई) मिश्री अरब गणराज्य से करेगा। नये व्यापार प्रबन्ध में भारतीय निर्यातकों के साथ की गई लगभग 9.00 करोड़ रु० मूल्य की संविदायें भी शामिल की गई हैं जो गत व्यापार योजना के दौरान पूरी नहीं की जा सकीं थीं।

2. नये व्यापार प्रबन्ध की एक विशेषता यह है कि मिश्री अरब गणराज्य पहली बार इस बात के लिए सहमत हुआ है कि भारतीय निर्यातकों को व्यापार योजना की सीमा के बाहर मुक्त विदेशी मुद्रा के बदले मिश्र की आवश्यकताओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति होगी।

केरल में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को क्रियान्वित करने वाली काजू फैक्ट्रियों की सूची

993. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के काजू निगम ने केरल सरकार को उन फैक्ट्रियों की सूची देने को कहा है जो न्यूनतम मंजूरी अधिनियम पर अपील कर रही है;

(ख) क्या सरकार को सूची प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां तो सूची में किन किन के नाम हैं,

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केरल सरकार ने अनुरोध किया था कि आयातित कच्चे काजुओं का आवंटन केवल उन कारखानों को करना चाहिए

जो कानूनी मंजूरी विनियमों को पूरा करें। सुझाव को सम्भव सीमा तक कार्यान्वित करने की सम्भाव्यता की जांच करने के लिए, भारतीय काज् निगम ने केरल सरकार से ऐसे कारखानों की सूची भेजने का अनुरोध किया है, जिसके प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कालीकट में कोडूपुर हवाई अड्डे का पूरा होना

994. **श्री एम० के कृष्णन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कालीकट में कोड्पुर हवाई अड्डे के लिए भूमि अर्जित करके केन्द्रीय सरकार को दे दी है और यदि हां, तो कब;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को स्मरण कराया है कि वह शीघ्र भूमि अर्जित करे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हवाई अड्डे के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) कालीकट की आवश्यकतापूर्ति के लिए करीपुर में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि नागर विमानन के महानिदेशक ने अप्रैल 1971 में ले ली थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 111 लाख रुपये के एक व्यय अनुमान पर कार्यवाही की जा रही है। हवाई अड्डे के निर्माण-कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से लगभग 3 वर्ष के अन्दर तैयार हो जाने की आशा है।

कोचीन पतन पर बेकार पड़ा काजू

995. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोचीन पत्तन पर कई टन काजू बेकार पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). एक देश विशेष के सम्बन्ध में चालू वर्ष के लिए व्यापार योजना की स्वीकृत व्यवस्थाओं से अधिक माल हो जाने के कारण जहाजों में लदान के लिए प्राप्त कुछ माल एर्नाकुलम में रोक लिए जाने की सूचना मिली है। मामले की जांच की जा रही है।

ऐयर इण्डिया द्वारा आंग्ल-फ्रैन्च अतिस्वन विमान कानकार्ड-002 की खरीद

996. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री वेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया का विचार अपने बेड़े के लिए कुछ आंग्ल-फ्रेन्च विमान कानकार्ड 002 खरीदने का है;

(ख) यदि हाँ, तो देश के हवाई अड्डों पर इस प्रकार के विमानों को उतारने-चढ़ाने के लिए विमानों की लागत के अतिरिक्त उपकरणों तथा अन्य सुविधाओं के उपलब्ध करने पर कितना धन व्यय होने की संभावना है; और

(ग) एयर इंडिया को 'जम्बो' विमानों से जो अनुभव हुआ है, उसको देखते हुए तथा यातायात को देखते हुए क्या इन विमानों को लेना उचित है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) यद्यपि एयर इण्डिया ने दो कानकार्ड विमानों के लिए वितरण स्थिति (डिलीवरी पोजीशन) आरक्षित करा रखी है, इनको वस्तुतः खरीदने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। निर्माताओं ने विमान अथवा संबद्ध उपकरणों की कीमत के बारे में अभी कोई सूचना नहीं दी है।

दिल्ली के नारंग बैंक के विरूद्ध जांच

997. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक की आसूचना शाखा द्वारा हाल में जांच किये जाने के दौरान पता लगा है कि दिल्ली का नारंग बैंक स्टाफ एक्सचेंज से (गैर-कानूनी तथा अनधिकृत) सौदे कर रहा है; और

(ख) क्या नारंग बैंक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संकटग्रस्त मिलों के मजदूरों को बोनस

998. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के मजदूरों को बोनस देने का है जिनका नियंत्रण सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितना बोनस दिया जायेगा; और

(ग) क्या बोनस मिलों के बन्द हो जाने की तिथि के भूतलक्षी प्रभाव से दिया जायेगा ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) मामला अभी विचाराधीन है।

कोचीन में सिविल हवाई अड्डे का तैयार हो जाना

999. श्री **ए० के० गोपालन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में सिविल हवाई अड्डे की व्यवहार्यता सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा हो गया है और उनके मन्त्रालय को प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा; और

(ग) कार्य पूरा करने सम्बंधी समय-सीमा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). एडाक्कुट्टूवयाल स्थल की उपयुक्तता का अन्तिम रूप से मूल्यांकन करने तथा अभिन्यास (ले-आउट) का निर्णय करने के लिए नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा एक स्थल चयन मंडल का गठन किया जा रहा है, जिसमें नागर विमानन विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नौसेना तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। मंडल के विचारणीय विषयों में आस-पास में उपलब्ध किसी अन्य स्थल की जांच करना भी सम्मिलित है। निर्णय के लिये समय-अनुसूची अन्तिम निर्णय लिए जाने के पश्चात ही यथोचित समय पर तैयार की जाएगी।

फर्मों द्वारा कम राशि के और अधिक राशि के बीजक बनाना

1000. श्री रेणुपद दास :

श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कम राशि के बीजक बनाने या अधिक राशि के बीजक बनाने के कारण गत तीन वर्षों में कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मैसूर में सोना पकड़े जाने के बारे मे 23 जुलाई 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5725 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

Correction of Answer to USQ No 5725 dated 23-7-1972 re. Seizure of Gold in Mysore

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दी गयी सूचना की आगे जांच पड़ताल करने पर उसे गलत पाया गया। एतदनुसार, उक्त सूचना को निम्न प्रकार से सही कर दिया जाये :—

(ख) प्रत्येक मामले में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

1968-69 5 मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी। 36 मामलों में प्रत्येक मामले में एक-एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था तथा एक मामले में 2 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

1969-70 10 मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी। 15 मामलों में प्रत्येक में एक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था तथा 3 मामलों में प्रत्येक में दो-दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

1970-71 10 मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी। 42 मामलों में एक-एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था। 7 मामलों में प्रत्येक में दो-दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

के स्थान पर

(ख) प्रत्येक मामले में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

1968-69 11 मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी थी । 35 मामलों में, प्रत्येक मामले में एक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था और 2 मामलों में, प्रत्येक में दो-दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

1969-70 दो मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी थी । 15 मामलों में प्रत्येक मामले में एक-एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था और तीन मामलों में, प्रत्येक मामले में दो दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

1970-71 12 मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी थी । 42 मामलों में, प्रत्येक मामले में एक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था और 7 मामलों में दो-दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

पढ़ा जाये

भूल-सुधार करने में हुई देरी के कारणो के बारे में एक विवरण पत्र भी संलग्न है ।

विवरण

उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर, जिसमें भूल-सुधार करना आवश्यक हो गया हैं, तस्कर-आयात किये गये सोने के सिलसिले में पिछले तीन वर्षों में मैसूर राज्य में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित है । गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का विवरण प्रत्येक मामले में अलग-अगल दिया जाना था । केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ता बंगलौर द्वारा शुरू में जो सूचना भेजी गयी थी और जिसके आधार पर लोक सभा को उत्तर दिया गया था, वह समाहर्ता द्वारा गलत पायी गयी और उसने एक संशोधित विवरण पत्र भेजा । चूंकि इससे, लोक सभा को पहले ही दिये गये उत्तर में भूल-सुधार करना आवश्यक हो गया था, इसलिये समाहर्ता को इस बारे में निश्चित रूप से यह कहने को लिखा गया कि उसके द्वारा भेजी गयी संशोधित रिपोर्ट सभी पहलुओं से सही है । समाहर्ता को कहा गया था कि वह स्पष्ट करे कि यह गलती कैसे हुई और यह बताये कि इस गलती के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ।

लोक सभा को दिये गये उत्तर में भूल-सुधार करने में हुई देरी का कारण यह है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्ता बंगलौर के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ा जिसमें उससे कहा गया था कि वह बहुत सारे मामलों से सम्बन्धित असंगतियों का समाधान करे और गलतियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध उसके द्वारा की गयी कार्यवाही का ठीक-ठीक पता लगाये और इस बात का ध्यान रखे कि इस प्रकार की गलतियां फिर से नहीं की जाती है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of urgent Public impotrance

दिल्ली विश्वविद्यालय का बन्द किया जाना

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : Sir. I Call the attention of the Minister of Education and Social welfare to the following matter of urgent Public importance and request that he may make a statement there on :

"Closure of Delhi University on account fo Violence in University Campus"

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : श्रीमन्, हमें अभी तक वक्तव्य की प्रति नहीं मिली है। जब तक हमें वक्तव्य की प्रति न मिल जाये हम प्रश्न किस प्रकार पूछ सकते हैं।

श्री सेझियान [कुम्बकोणम : ध्यानाकर्षण वक्तव्य की प्रतियां समय पर नहीं दी जा रही है। यह प्रक्रिया के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : सदैव ही ऐसा किया जाना आवश्यक नहीं है। पिछली बार मैंने इस विषय को स्पष्ट किया था।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सरकार को परम्परा का पालन करना चाहिये। उसके पास पर्याप्त समय होता है।

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : वक्तव्य की प्रतियाँ साइक्लोस्टाइल की जा रही हैं। मुझे खेद है कि इस में विलम्ब हो गया है क्योंकि इसके लिये बहुत से लोगों से परामर्श करना पड़ा है जो हमारे मंत्रालय के नहीं है। मुझे इस विषय पर दिल्ली प्रशासन तथा गृह मंत्रालय से बातचीत करनी पड़ी है।

श्री समरगुह : मंत्री महोदय को हमें भी विचार करने के लिये समय देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह अपना वक्तव्य स्पष्ट रूप में धीरे धीरे तथा समझा कर पढ़ें।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमने जो ध्यानकर्षण प्रस्ताव दिया था उसमें विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस के प्रवेश के विरुद्ध शिकायत की गई थी। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से यह दृष्टि-कोण व्यक्त होता है कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा की अवहेलना करना चाहते हैं, पुलिस के प्रवेश की नहीं। ध्यानकर्षण प्रस्ताव की भाषा बदलने से पहले सदस्यों से परामर्श किया जाना चाहिये अन्यथा इसका तात्पर्य वह नहीं होगा जो सदस्य चाहता हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्थागित कर सकता हूं। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं है। श्री जगन्नाथ मिश्र जिनका सूची में पहला नाम है, के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की भाषा यही है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे पता है नोटिस में वही भाषा है जो पहले सदस्य ने प्रयुक्त की है।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : 14 नवम्बर को दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली इंजीनियरी कालेज के लगभग 400/500 विद्यार्थी पुराने सचिवालय में, प्रदर्शन हेतु मुख्य कार्यकारी पार्षद के कार्यालय की ओर गए। मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने कार्यालय में नहीं थे तथा विद्यार्थियों को मुख्य प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया गया। उन्होंने लोहे के फाटक को जोर से धक्का देकर तोड़ डाला और मुख्य कार्यकारी पार्षद के कार्यालय के कमरों की ओर तेजी से बढ़े। कार्यालय के कमरों में घुसकर, उन्होंने कर्मचारियों के साथ हाथा-पाई की और सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने हस्तक्षेप करके कार्यालयों से विद्यार्थियों को हटाया। आठ विद्यार्थियों को तो घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाकी के विद्यार्थी भाग खड़े हुए। इस मुठभेड़ में कुछ पुलिस अधिकारियों और कुछ विद्यार्थियों को भी चोटें आईं।

विद्यार्थियों ने, पुराने सचिवालय से बचकर भाग निकलकर, माल रोड पर दो या तीन बसों पर पथराव किया और फिर विश्वविद्यालय परिसर की ओर गए। उनको यह सूचित किया

गया कि कुलपति और समकुलपति अपने-अपने कार्यालय में नहीं हैं, किन्तु मुख्य द्वार को तोड़कर और प्रवेश द्वार पर तैनात चौकीदारों के साथ मारपीट करके, वे, कुलपति और सम-कुलपति के कार्यालय में घुस गये। उन्होंने, कुलपति और सम-कुलपति के कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय के अन्य कार्यालयों में तोड़-फोड़ की। उन्होंने कार्यालयों की खिड़कियों के शीशे और फर्नीचर को तोड़ा तथा उपस्कर को और संस्था को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कुलपति और समकुलपति के कार्यालयों से सामान तथा टाइपराइट मशीनें उठाकर बाहर फेंक दीं। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों से भी हाथापाई की।

इसी सिलसिले में दूसरे दिन 15 नवम्बर, को विद्यार्थियों के एक जत्थे ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यालयों पर दोबारा हमला किया तथा कुलपति तथा समकुलपति के कार्यालयों को काफी मात्रा में क्षति पहुंचाई। क्योंकि परिसर में कोई पुलिस तैनात नहीं की गई थी इसलिए विध्वसंकों को पूरी स्वतन्त्रता मिली। कार्यालयों को जितनी भी ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुँचा सकते थे क्षतिग्रस्त करने के बाद वे कुलपति के निवास स्थान की ओर चल दिये। कुलपति ने यह अनुरोध किया कि पिछले दिन की घटना की पुनरावृति को रोकने के लिए पुलिस को फौरन परिसर (केम्पस) में पहुँच जाना चाहिए। इससे पहले की पुलिस वहाँ पहुंचे उत्तेजित भीड़ कुलपति के निवास स्थान पर पहुंच गई थी और उसने वहां पर पथराव करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने अश्रु गैस के 10 गोले छोड़े। इस भगदड़ में उत्तेजित भीड़ ने मानवविज्ञान विभाग के समीप दिल्ली दुग्ध योजना की एक गाड़ी को आग लगाने का प्रयास किया। इस गाड़ी का अपहरण कुछ विद्यार्थियों द्वारा मोरिस नगर से किया गया था। विद्यार्थियों का यह प्रयास पुलिस द्वारा विफल कर दिया गया। परन्तु विद्यार्थियों ने किसी तरह कुछ बोतलों का प्रबन्ध किया जो उन्होंने पुलिस तथा भवन पर फेंकी। इस स्थान पर भी अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ा था। चार विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये थे।

उसी दिन, कुछ विद्यार्थी अलीपुर रोड से एक बस अपहरण करके लाये और जब वे उसे स्वयं चला रहे थे तब वह तिमारपुर चौराहे के समीप ताँगे से टकरा गई। घोड़े की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ताँगे में सवार तीन महिलायें गम्भीर रूप से जख्मी हो गई और उनमें से एक की अस्पताल में मृत्यु हो गई।

कुलपति ने स्थिति की पूरी जाँच करने के लिए और विश्वविद्यालय के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की दृष्टि से 16 नवम्बर से तीन दिनों के लिए विश्वविद्यालय बंद करने का आदेश दिया है।

सरकार को इन घटनाओं से गहरी चिन्ता है। इस विषय पर दो मत नहीं हो सकते कि जहाँ सार्वजनिक व्यवस्था की बिना हिचक भंग करने की घटना हो वहाँ कानून को अपनी कार्यवाई करनी चाहिए। विद्यार्थियों के एक छोटे और गैरजिम्मेदार वर्ग को शैक्षिक वर्ग के जीवन में गड़बड़ पैदा करने, जो आम विद्यार्थी वर्ग के अहित में हो अथवा आम जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए।

सरकार इस सदन के सभी वर्गों, जनमत के नेताओं और अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की महासभा का सहयोग न केवल ऐसी हिंसक कार्यवाहियों की निश्चित रूप से निन्दा करने में चाहती है अपितु ऐसे वातावरण का निर्माण करने के लिए भी चाहती है जिससे विश्वविद्यालय पुनः खोला जा सके और ज्ञान के प्रसार और अनुसरण में बिना किसी बाधा के अपना ध्यान लगा सके।

Shri Jagannath Mishra : I have carefully gone through the Statement and have found it very disgusting. The Hon. Minister should have analysed the psychology of the students, teachers and of the people which is as active factor behind these mass agitations. He should also have suggested the ways to check it.

Today students unrest is taking the form of Violence. We are worried at this state of affairs. It seems vary strange when we find the Government a silent Spectator to agitations at the initial stage. The result is that the students get excited and agitations become violent the relations between students and teachers as well as the pattern of education contribute to the causes of these agitations. The procedure of appointing teachers is faulty and they are not properly paid. The result is that the realy able people do not joint the education line. We find our education devoid of moral values. May I know from the Hon. Minister whether in view of this, he is prepared to have a 'Parents-Teachers' Association ? I think such an association would be helpful in checking these agitations.

May I know whether he would like to make arrangements for taking immediate remedial measures whenever the student community raises a demand; whether he would like to change the selection pattern of the teachers; whether he would make arrangements to see that during holidays the students and teachers devote themselves to their studies and teaching ?

Functioning of students unions is far from satisfactory. Efforts should be made to see that a student does not hold one post in the unions for more than one year.

May I know what action, Hon. Minister proposes to take to check such incidents which have caused closure of Delhi University and what is the reaction of the Government to the demands raised by the representatives of the students ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि छात्र अशान्ति के पीछे कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कारणों का विश्लेषण किया जाना चाहिये। इस मामले पर विश्वविद्यालय तथा सरकार दोनों ही के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के कार्यकरण में परिवर्तन हो। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने भी कुछ निर्देश दिये हैं और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच बातचीत चल रही है। शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने के लिए हमें विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी साथ लेना होगा।

माननीय सदस्य ने मुख्य रूप से यह बात कही है कि जब छात्र कोई मांग करते हैं तो इस सम्बन्ध में तुरन्त ही कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि हिंसात्मक गतिविधियां तथा अनुशासनहीनता न फैले। सामान्यतया सरकार का भी यही रवैया रहता है कि मांगों पर तुरन्त विचार किया जाये।

यह कहना उचित नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वही लोग अध्ययन कार्य में नियुक्त होते हैं जिन्हें अन्यत्र किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिलता। यहां पर कई बड़े योग्य शिक्षक हैं जिन्होंने यहाँ आकर अपनी योग्यता प्रदर्शित की है और जो विश्वविद्यालय तथा कालिजों में स्वेच्छा से आये हैं।

श्री समर गुह : आज भारत में ही नहीं, विश्व पर्यन्त युवकों तथा छात्रों की समस्याओं से निपटना कठिन हो रहा है। केवल दिल्ली तक ही यह सीमित हो, ऐसी बात नहीं है। हाल ही में, आसाम में क्या हुआ ? वहाँ 40 दिन तक ऐसी घटनायें चलती रहीं। स्थिति से निपटने के लिए मुख्य मंत्री को सावधान तथा सतर्क होना पड़ा। उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ स्थिति का सामना किया।

यहां छात्रों ने यह मांग की थी कि इंजीनियरिंग कालज तथा आर्ट कालिज दिल्ली दोनों को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना चाहिये। दूसरे, सेवा से निकाले

गये प्रोफेसरों को फिर से सेवा में लिया जाये तीसरे, विश्वविद्यालय प्रांगण से बाहर पुस्तकालय होना चाहिये। उनकी चौथी मांग यह थी कि प्री-मैडिकल पाठ्यक्रम के प्रथम श्रेणी के सभी छात्रों को निश्चित रूप से एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में दाखले दिये जायें। इन मांगों में मुझे कोई चीज अनुचित दिखाई नहीं पड़ती।

यह कहा गया है कि ये दोनों कालिज दिल्ली प्रशासन के अन्तगत आते हैं, दिल्ली विश्व-विद्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं। क्या यह सच नहीं है कि ये दोनों कालिज दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं? यदि इन कालिजों में कोई घटना घटनी है तो क्या उस मामले की ओर ध्यान देना दिल्ली विश्व विद्यालय का दायित्व नहीं है?

उपकुलपति ने छात्रों के प्रतिनिधियों से भेंट करने, उनसे बातचीत करने से इन्कार कर दिया था। मंत्री महोदय ने हिंसात्मक घटनाओं से पहले के तथ्यों का उद्‌घाटन नहीं किया है। छात्रों को उपकुलपति से बातचीत करने, उसके समक्ष अपनी समस्यायें रखने का पूरा अधिकार है परन्तु उपकुलपति ने उनसे बातचीत करना, उनसे मिलना ही पसन्द नहीं किया। उपकुलपति अपने कार्यालय से बच निकले तथा पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस बुला ली गई। शिक्षा संस्थानों का प्रांगण पवित्र होना है। पश्चिम बंगाल में कठिनाई के समय भी जब वहां नक्सलवादी आतंक छाया हुआ था, सभी व्यक्तियों ने सभी शिक्षकों ने शिक्षा संस्थानों के पवित्र प्रांगण में पुलिस प्रवेश का विरोध किया था और कहा था कि पुलिस को विश्वविद्यालय के प्रांगण की पवित्रता भंग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। परन्तु दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ऐसा करना चाहते थे। एक उपकुलपति में गरिमा तथा उदारता जैसे पैत्रिक गुण होने चाहियें। जिसमें ये गुण नहीं है वह उपकुलपति होने योग्य नहीं है। वास्तव में इस संकट के जन्म-दाता ये उपकुलपति महोदय ही हैं क्योंकि इन्होंने छात्रों से मिलना उनसे बातचीत करना पसन्द नहीं किया। पिछली बार भी जब शिक्षक वर्ग हड़ताल पर था इन्हीं उपकुलपति महोदय की ढीटता के कारण संकट पैदा हुआ था। जब विधेयक पारित हुआ था तब शिक्षकों की सभी मांगे स्वीकार कर ली गई थीं। यदि ये मांगे उपकुलपति द्वारा पहले ही स्वीकार कर ली जातीं, तो दिल्ली में शिक्षकों की हड़ताल न होती।

'इन्डियन एक्सप्रेस' में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि उपकुलपति तथा प्रो-वाइसचाँसलर को सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के बातावरण को सामान्य बनाने के लिए प्रत्येक ऐसी कार्यवाही करने की खुली छूट दी है जो वे उचित समझें। उपकुलपति ने छात्रों की समस्या को कानून और व्यवस्था की समस्या समझा। उसने कठोर कार्यवाही करने की धमकी दी। छात्रों की गिरफ्तारियाँ की जाने लगीं। उपकुलपति के व्यवहार को देखते हुये, मेरे विचार से वह पुलिस अधीक्षक होने चाहिये, विश्वविद्यालय के उपकुलपति नहीं।

अपनी कठोर कार्यवाहियों का औचित्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच नक्सलवादी षडयंत्र की बात फैलायी। नक्सलवादी साहित्य और षडयंत्र की बात अभी सामने आयी है जबकि उपकुलपति को छात्रों के विरुद्ध निष्कासन आदेश जैस कठोर कार्यवाहियां करनी हैं। डा० त्रिगुण सेन, सत्येन बोस भी तो उपकुलपति रहे हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय ढंग से छात्रों की समस्याओं को सुलझाते थे, उनकी शिकायतों पर ध्यान देते थे।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में छात्रों द्वारा भाग लेने की बात सरकार ने स्वीकार की है। सदन में इस बात की घोषणा की गई है परन्तु छात्रों द्वारा भाग लेने के सिद्धाँत को क्रियान्वित करने के

लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है । यदि विभिन्न शिक्षा संस्थानों में इसे कार्यरूप दिया होता तो छात्र आन्दोलन से सम्बन्धित 80 प्रतिशत समस्यायें स्वयं छात्रों द्वारा ही तय कर ली गयी होतीं । परन्तु इस दिशा में सरकार ने कोई कदम ही नहीं उठाया ।

क्या सरकार विश्वविद्यालय प्राँगण से तुरन्त पुलिस वापस बुलाने के लिए उपकुलपति को सलाह देगी । दूसरे, क्या सरकार इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करायेगी ? तीसरे, क्या सरकार उपकुलपति को छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए सहमत करेगी ?

विश्वविद्यालय की घटनाओं को देखते हुए मन्त्री महोदय को प्रोफेसर होने के नाते तथा शिक्षा मन्त्री होने के नाते, घटनास्थल पर जाना चाहिये था । दिल्ली में उपस्थित होते हुए वह वहां जा सकते थे । वह विश्वविद्यालय में क्यों नहीं गये और शिक्षकों तथा छात्रों से बातचीत क्यों नहीं की ?

प्रो० एस० नुरूल हसन :—माननीय सदस्य ने यह बात उठायी है कि उपकुलपति ने छात्रों के प्रतिनिधियों से उनकी मांगों के विषय में बात चीत करने से इन्कार कर दिया । वास्तव में मामले की सचाई यह है कि 14 तारीख को उपकुलपति दिल्ली में थे भी नहीं । अत: उपकुलपति द्वारा बातचीत करने से इन्कार किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

दूसरे, जहाँ तक पुलिस को वापस बुलाने की बात है, जब तक विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा जन सम्पत्ति के नष्ट किये जाने का भय है, जब तक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पीटे जाने का भय है, उपकुलपति को पुलिस का संरक्षण बनाये रखने का पूरा अधिकार है ।

यह ठीक है कि एक शिक्षक में पैत्रिक भावना होनी चाहिये । परन्तु आज की नयी पीढ़ी के छात्र अपने को वयस्क समझते हैं । अतः जहां तक छात्रों की माँगों का सम्बन्ध है वे माँगें छात्रों की मांगें कम हैं, शिक्षकों की अधिक और उन पर ध्यान दिया जा रहा है और जो सम्भव है वह उनके लिए किया जायेगा ।

शिक्षकों के मामले पर यथोचित विचार किया जायेगा लेकिन इस मामले को 14 और 15 तरीख को घटी घटनाओं से नहीं जोड़ा जाना चाहिए ।

श्री समर गुह (कन्टाई): मैंने पुलिस की वापसी, न्यायिक जांच, आदि के बारे में तीन-चार प्रश्न पूछे थे । मन्त्री महोदय ने उनका उत्तर नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल एक प्रश्न पूछने का अधिकार है उन्होंने तीन प्रश्नों का उत्तर दे दिया ।

प्रो० एस० नुरूल हसन : जैसा कि माननीय सदस्य को विदित ही है कि न्यायिक जांच से शिक्षा मन्त्री का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I want to know whether the Government has tried to know the causes of disturbances in Delhi University for the last few days ? It is but natural for the Students to get excited on seeing the police on the campus. 1 want to know whether the hon. Minister will have a meeting with the opposition leaders to solve the situation ? I am of the view that the Students should not indulge so much in politics. This problem can not he solved unless there are good relations between the Students and the Teachers.

The grades of the teachers are very low. Therefore, they are not able to pay full attention towards the Students.

It is pity that thirty two medical Students who staged a 'dharna' in front of Shri Uma Shankar's residence were sent to Jail.

The Government should hold an enquiry in to the incidents of "Guru Govind Singh" College. Students have been charged rupees ten thousand as fee and rupees ten thousand as donation. There are 211 Students in that College.

Investigation should be made in to the State of things in the Delhi University. Government should have immediate negotiations with the students.

Nothing has been stated about the Compansation to be paid to two sister who were killed in an accident when the student hijacked a bus. The problem of buses is very grave and it is not surprising if the students burnt the buses or threw stones on them. A Committee should be Constituted to look in to the in a dequacy of the bus service.

It is not a political matter. A Parliamentary Committee should be appinted to look in to affairs of Delhi University. We shuld be above politics in this matter. The Government should have negotiations with the students and try to establish peace in the University. It should open the University soon. The Parliamentary Committee should look into this matter and pinpoint the power behind the disturbances in the Campus. The Government should make proper arrangement for the buses for students.

Prof. S. Nurul Hasan : The Union elections conducted the University were not in the interest of the students. Every effort is being made for negotiating settlement between the Delhi University teachers and students and Government. I fully agree with the hon. member that we should create a feeling among the student that they are also responsible for taking decisions.

The capitation fee charged by some medical Colleges is not proper. The University Commission has also made it clear that no assistance will be given to those Collegs who will Charge Capitation fee.

I also agree with the hon. Minister that politics should not be brought in this matter. We should Condemn such incidents. I am of the view that it would be too better if the University it self solves this problem.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : It would have been better if the hon. Minister had narrated the Causes of student's unrest in his statement. On the One hand the hon. Minister makes a statement that there is shortage of doctors in the Country and on the other hand students getting first class do not get admission in the medical Colleges and they have to offer 'dharna' for thirty two days. The Government is responsible for not making adequate arrangement for their admission. They have been agitating since last July. In November, they have been told that the student who had not got admission in B.S.C may get admission in medical colleges. It is Shameful.

It is true that it is not possible to get all the students admitted in medical Colleges. It is pity that students getting first Class are not able to get admission in the Madical Collages. Their future is in the dark. The hon Minister has not stated what steps have been taken in this regard.

Engineering College has been closed for the last three months. I want to know what steps have been taken in this matter ? Will the College remain close for an indefinite period ?

The number of buses should be increased in order to tackle the transport problem of Delhi. The Government should consider this problem seriously and try to find its solution.

The matter of participation o the students in the university affairs must be decided. Nowadays students cannot tolerate injustice. The students cannot and should not keep quiet

in case students getting first class do not get admission in medical colleges. The problems of the students should be solved.

There is no body behind students unrest. We must find out some solution to this problem.

Mr. Speaker : It can be said that you are not a father.

Shri Jagannathrao Joshi : If the vice Chancellor takes police help in maintaining law and order, took the students will be estoranged ? Even if vice Chancellor is killed, It would have solutary effect on the student.

This police was formed by the British. Their duty is to check the anti-social-elements. They have no business on the campus. The problem can not be solved unless the vice chancellor sits with the students. The police should not be allowed to Lathi-Charge the students. The students, who were arrested on the 14th and 15th should be released and if there are any cases againt any of them these should be withdrawn.

They have suggested for a Parliamentary committe. I suggest that the representatvies of parent bodies, students and those of education Ministry should sit together to find out a solution of the problem.

प्रो० एस० नूरुल हसन : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने हिंसा की कार्यवाहियों की निन्दा नहीं की है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : हम किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की शिक्षा का सर्वथा विरोध करते हैं।

प्रो० एस० नूरुल हसन : आपका धन्यवाद। मैडिकल कालेजों में प्रवेश के बारे में मेरा निवेदन है कि देश में विभिन्न स्थानों में मैडिकल कालेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं अथवा पूर्व परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही छात्रों को प्रवेश मिलता है। कालेजों में स्थान इतने कम हैं कि प्रथम श्रेणी के सभी छात्रों को मैडिकल कालेजों में प्रवेश मिल सके। मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय स्रोतों को ध्यान में रखते हुए स्थान बढ़ाएगा।

इंजीनियरिंग छात्रों की कठिनाइयाँ दूर करने के लिये मैं दिल्ली प्रशासन से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हूं और मुझे आशा है कि उनकी कठिनाईयाँ शीघ्र ही दूर हो जाएंगी दिल्ली प्रशासन सभी मामलों में सम्बद्ध पक्षों से वार्ता के लिये उद्यत है।

परिवहन की समस्या के बारे में मैं परिवहन मंत्री से विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि वह इस समस्या पर ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय : इन समस्याओं का सम्बन्ध गृह मंत्री तथा परिवहन मंत्री से है जो कि मंत्री महोदय के दोनों ओर बैठे हैं।

प्रो० एस० नूरुल हसन : उसके सम्बन्ध में मैं अपनी अपर्याप्त जानकारी से कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता।

जहां तक छात्रों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेने का प्रश्न है गजेन्द्र गडकर समिति ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किये थे जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति मिल चुकी है। मैं समझता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय स्वतः ही छात्रों के विभिन्न निकाय स्थापित करेगा। उनकी कठिनाई यह है कि छात्र उक्त समिति की सिफारिशों से पूर्णतः सहमत नहीं हैं। अतएव इस मामले का समाधान विश्वविद्यालय को अपनी ही प्रक्रिया द्वारा करना पड़ेगा।

माननीय सदस्य ने कहा कि उप-कुलपति को पिटने और मरने के लिए तैयार रहना चाहिए और ऐसी एक ही घटना का छात्रों पर ऐच्छित प्रभाव पड़ेगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यह गांधी जी का सिद्धान्त है।

प्रो० एस०नुरुल हसन : हमारे सम्मुख यादवपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का उदाहरण है। उसके पश्चात् हिंसा की कार्यवाहियां समाप्त नहीं हुईं।

श्री **समर गुह** : उनकी हत्या छात्रों का सामना करते हुए नहीं हुई थी अपितु एक दो घातकों ने उसकी हत्या की थी।

श्री **जगन्नाथराव जोशी** : उस मामले का सम्बन्ध नक्सलवादी उपद्रवों से था।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं इस मांग से सहमत नहीं हो सकता।

Mr. Speaker : Please appoint both of them as vice-Chancellors.

प्रो० एस० नुरुल हसन : माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनके विरुद्ध मामले वापस ले लिए जायें और उन्हें छोड़ दिया जाये। मैं चाहता हूं कि आप लोग उन हिंसापूर्ण कृत्यों का स्मरण करें जिससे जान और माल की हानि हुई है अथवा लोगों को चोटें लगी हैं। ऐसे मामलों में पुलिस को कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी।

मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी भी दिशा में छात्रों से वार्ता जारी रहनी चाहिए जिससे की विश्वविद्यालय में शीघ्र सामान्य जीवन लाया जा सके।

Shri Jagannathrao Joshi : The students of Medical colleges were assured by the Vice Chancellor. Chief Excutive Councilors and the study team deputed by the cabinet. All of them assured the students but betrayed.

Shri M.C. Daga (Pali) Before condemning the students have some inprospection. All educationalists are new taking up politics. Today there is importance for them in educational sphere. Even after 25 years of freedom the future of student community is in the dark. They have spoiled their youth and today they are unable to get employment. Your educationalists cannot discuss the matters with the students.

There was trouble in Delhi and the Vice-chancellors called in the police. Today there is discontentment everywhere.

We have been hearing for the last 20 years that there would be revolution in education. When trouble arose in Delhi it would have been better if the Vice chancellors to had investigated the couses of trouble,

The violant actions of the students are the responsibility of the society. It is the responsibilty of the state which has build up such students even after 25 years of indipendence. The fect is that most of the talented people today want to go to fields other than education.

The trouble arose on 14th November, the birthday of Jawahar Lal Nehru. None of the educationalist cared look into the couses of trouble.

I have myself been a teacher and I know the values of the education. It is the education which builds the nation. Today the capitalist owners of the factories get respect, where as the teachers do not.

Today the students cannot take up right steps because their future is in the dark. It is the responsibility of the education Minister to improve the chances of the future generation by vigourously effecting change in the educational structure.

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि शिक्षा पद्धति में और समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है।

———

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

मद्रास हवाई अड्डे पर संसद सदस्य (श्री के० मनोहरन) पर कथित आक्रमण

अध्यक्ष महोदय : कल उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने पहले के मामलों का अध्ययन किया है। पहले हम यही पद्धति अपनाते आये हैं कि किन्ही व्यक्तियों, विभागों अथवा सरकारी कर्मचारियों और अन्य सम्मानित व्यक्तियों के मामले संबन्धित राज्यों अथवा विभागों को सौंपे जायें और तत्पश्चात वह सूचना सभा के समक्ष रखी जाती है। इसके बाद यह सभा या तो इन मामलों को विशेषाधिकार समिति को सौंप देती है अथवा इन पर अपना निर्णय लेती है। इस मामले पर भी यदि हम चाहें तो पुरानी पद्धति अपना सकते हैं और यदि सभा चाहे तो हम इसे समिति को भी सौंप सकते हैं। श्री मनोहरन ने मन्त्रियों अथवा मुख्य मन्त्री को मामले भेजने का विरोध किया है।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : कल मेरे द्वारा इस मामले का सभा में उठाये जाने के बाद श्री वाजपेयी, श्री एच० एम० पटेल जैसे वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि यह उचित रीति से नहीं रखा गया है। उनके सुझावों का आदर करते हुए मैं नया प्रस्ताव रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि बाद का भाग हटा दिया गया है।

श्री के० मनोहरन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार के उल्लंघन के निम्नलिखित मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

15 नवम्बर को जब मैं संसद के वर्तमान सत्र में भाग लेने हेतु दिल्ली के लिए अपनी यात्रा आरम्भ करने के लिए मीनाम्बक्कम हवाई अड्डे पर पहुंचा तो श्री पंचाक्टारम और श्री अहाईमुत्तू के नेतृत्व में लगभग 20-30 व्यक्तियों ने मुझे गले से पकड़ लिया और मुझे से हाथापाई की। उनका उद्देश्य मुझे शारीरिक तौर पर संसद के सत्र में भाग लेने से वंचित रखना था। यद्यपि हवाई अड्डे पर पुलिस उपस्थिति थी परन्तु वे मेरी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ी। वे व्यक्ति जिन्होंने मेरा अपमान किया है विशेषाधिकार भंग करने के दोषी हैं और इसलिए सरकार को उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मुझे राजनीतिक दृष्टि से तथा व्यक्तिगत रूप मे भी सदस्य के साथ पूर्ण सहानुभूति है। परन्तु जब तक हमें यह नहीं बताया जाता कि किन विशेष व्यक्तियों ने माननीय सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार किया है, हमारे लिये कार्यवाही करना कठिन है। मैं इस प्रस्ताव से कुछ भी नहीं समझ पाया हूं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : हमारी कुछ भी राजनीतिक मान्यताएं हों, किसी भी संसद सदस्य को हिंसापूर्ण तरीके से संसदीय उत्तरदायित्वों से रोका नहीं जाना चाहिए।

मैं श्री मुखर्जी के इस विचार से सहमत हूँ कि विशेषधिकार समिति के पास पूरे तथ्य आने चाहिए। इसलिये मामले का राज्य सरकारों को भेजे जाने की अब तक की परिपाटी को अपनाया जाना चाहिये मैं चाहता हूं कि इस बारे में समुचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): On your suggestion the member has deleted the pention calling for refenece to chief Minister. If the cheit Minister is not in the picture, police officers and other officers arenot in the picture, then against when the privilege motion is intended.

Mr. Speaker : To persons.

Shri Atal Behari Vajpayee : Then this is against the citizens.

Mr. Speaker : It is not so.

Shri Atal Behari Vajpayee : The police was there. Whether the police on the Administration took some action or not may be in vestigated and then only the matter may be referred to the privileges Committel.

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री मधु लिमये, श्री त्रिदिब चौधरी और स्वतंत्र दल के एक और सदस्य के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था ।

श्री मनोरन के साथ हुए ऐसे व्यवहार की मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि ने निन्दा की है ।

समिति को सामान्य नागरिकों को समन करना पड़ेगा । समिति वहां जा कर कैसे जांच कर सकती है ? मेरा सुझाव है कि पूरा सदन इस घटना की निन्दा करे । मैं समझता हूँ कि श्री मनोहरन अपने प्रस्ताव की जटिलता को ध्यान में रखते हुए इस सुझाव को स्वीकार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में माननीय सदस्य किसी अन्य कार्य से नहीं बल्कि संसद के अधिवेशन में भाग लेने के लिए आ रहे थे । आपने जो इसकी उपेक्षा करने का सुझाव दिया है वह खतरनाक है । मैं इस सुझाव से सहमत हूँ कि चूंकि मुख्य मंत्री ने भी इस बारे में दुःख प्रकट किया है हम इस बारे में क्यों न राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करें मैं राज्य सरकार से इस बारे में चार अथवा पाँच दिन में प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध करूंगा ।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : मैंने उन व्यक्तियों के नाम सही उल्लखित किये हैं जिन्होंने मुझ पर हमला किया था । अब यह विशेषाधिकार समिति का कर्त्तव्य है कि वह इस मामले की जाँच करे और इस मामले में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने के अनुरोध की वजाय इस मामले का हल ढूंढ निकाले । मुझे प्रसन्नता है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने भी मुझ पर किये गये हमले की भर्त्सना की है ।

यद्यपि उनके लिए मेरे हृदय में बहुत सम्मान हैं फिर भी मैं चाहूँगा कि इस मामले पर निर्णय विशेषाधिकार समिति के माध्यम से सभा द्वारा किया जाना चाहिए । यदि मुझे सदन ही से संरक्षण नहीं मिलेगा तो मुझे और कहाँ से संरक्षण मिलेगा ? यह बहुत गम्भीर मामला है । अतः मैं अनुरोध करूंगा कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिये । मुझे आशा है कि सभा को इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंटुका) : विशेषाधिकार प्रस्ताव में दो व्यक्तियों का नाम लिया गया है और यह कहा गया है कि हवाई अड्डे पर पुलिस उपस्थित थी लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं की । यदि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया तो विशेषाधिकार समिति क्या कार्यवाही करेगी ? अतः इस मामले में यही उचित होगा कि राज्य सरकार से उक्त घटना की जांच करने और उससे इस बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाये । यह विशेषाधिकार समिति का कर्त्तव्य है कि वह इस बात का निर्णय करे कि उक्त प्रतिवेदन पक्षपात पूर्ण है अथवा उचित है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : राज्य सरकार का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिये और फिर उस पर सदन में चर्चा की जानी चाहिये । और उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस बारे में एक बात पर दृढ़ रहना चाहिए । मैं राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त कर सदन को दूंगा । हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय के माध्यम से जानकारी एकत्र करेंगे । पहले भी हम इस प्रक्रिया का अनुसरण करते आये हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, आपात संकट (माल) बीमा (तीसरा संशोधन) योजना आदि और अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र प्रस्तुत करता हूँ :

(1) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या का०आ० 573 (ड.) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी 3716/72]

(2) आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात् संकट (माल) बीमा (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या का०आ० 588 (ड.) में प्रकाशित हुई थी।

(3) आपात् संकट (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात् संकट (उपक्रम) बीमा (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या का०आ० 589 (ड.) में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 3700/72]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क शुल्क-वापसी (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1015 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3714/72]

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र दिनाँक 16 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1134 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1319 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3701/72]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 1021, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सा० का० नि० 1022, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 1082 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सा० का० नि० 415(ड.), जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 1157, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 23 सितम्बर, 1972 मे प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० का० नि० 1158, और 1159, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा०का०नि० 1285, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० का० नि० 1286, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 7 अक्तूबर, 1962 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3702/72]

(नौ) सा० का० नि० 1354, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 28 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० का० नि० 456(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3714/72]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 390(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा०का०नि० 1016, जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा०का०नि० 1018 और 1020, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा०का०नि० 1019, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 26 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा०का०नि० 1079, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा०का०नि० 1080, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 1081, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० का० नि० 1097, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 3701/72]

उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के अधीन अधिसूचना और केन्द्रीय रेशम बोर्ड का वर्ष 1971-72 का प्रतिवेदन

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राय साहेब रेखचन्द गोपालदास मोहता स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, अकोला के प्रबन्ध के बारे में का० आ० 584(ङ.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 3699/72]

(दो) स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स लिमिटेड, इन्दौर, के प्रबन्ध के बारे में का० आ० 590(०), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3717/72]

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12क धारा 12क के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 3698/72]

प्रत्यक्ष करों की बकाया धनराशि के बारे में 18 अगस्त 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 261 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. No. 261 Dt. 18TH AUGUST 1972 RE. ARREARS OF DIRECT TAXES

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं (एक) प्रत्यक्ष करों की बकाया राशि के बारे में श्री सी० के० चन्द्रप्पन और श्री ईश्वर चौधरी के तारांकित प्रश्न संख्या 261 के 13 अगस्त, 1972 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3718/72]

फारमोसा के साथ व्यापार सम्बन्धों के बारे में 8 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. No. 123 DT. 8TH AUGUST 1972 RE. TRADE RELATIONS WITH FORMOSA

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं (एक) फारमोसा के साथ व्यापार सम्बन्धों के बारे में श्री समर गुह और श्री ईश्वर चौधरी के तारांकित प्रश्न संख्या 123 के 8 अगस्त, 1972 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने और (दो) उत्तर देने में हुए विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3718/72]

सभा का कार्य

LIST OF BUSSINESS

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : मैं आपकी अनुमति से मंगलवार 21, नवम्बर, 1972 को आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :—

1. आज की कार्य सूची से शेष सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार करना

(2) इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 1972 को संयुक्त समिति को सौपने के प्रस्ताव पर विचार

(3) (क) खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार तथा पास करना

(ख) विमानवहन विधेयक, 1972 पर विचार तथा पास करना

(4) (क) वर्ष 1972-73 के लिए अनुदानों की अनुपूरक माँगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान

(ख) वर्ष 1970-71 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान

(5). गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने पर भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 12वें प्रतिवेदन पर चर्चा

श्री **समर गुह** (कन्टाई) : भारत में अमरीकी गुप्तचर एजेन्सी की गतिविधियों के बारे में सभा में चर्चा किए जाने का अनेक सदस्यों ने अनुरोध किया है। यह भी कहा गया है कि आसाम के दंगों के पीछे भी अमरीकी गुप्तचर एजेन्सी का हाथ था और मन्त्री महोदय भी इस बात से किसी सीमा तक सहमत थे। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी ऐसी ही टिप्पणी की है। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये। हमें अमरीकी गुप्तचर एजेंटों को पकड़ना चाहिए और उनकी गतिविधियों को सबको बताना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसमें राज्य का सम्मान निहित है। यदि विदेशी एजेन्ट देश में आतंक फैला रहे है तो यह देश के लिए बहुत ही अपमान-जनक बात है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर सदन में आगामी सप्ताह चर्चा की जानी चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं इस मामले में श्री समर गुह से पूर्णतया सहमत हूँ। इस मामले पर आगामी सप्ताह सदन में चर्चा की जानी चाहिए।

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर): मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि भारत में अमरीकी गुप्तचर एजेन्सी की गतिविधियों के बारे में सदन में चर्चा की जानी चाहिये। सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और उसके पहलुओं के बारे में अध्ययन कर रही है। सरकार को एकाधिकार प्रक्रिया पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक सभा में लाना चाहिए। क्या सरकार मुल्की नियम सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में कोई वक्तव्य देगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं मुल्की नियमों के बारे में कुछ प्रस्ताव स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इस बारे में शंका है कि हमें इन्हें स्वीकार करने का अधिकार हैं अथवा नहीं।

श्री राज बहादुर : जहां तक अखबारी कागज नियन्त्रण आदेश का सम्बन्ध है मैं सम्बद्ध मन्त्री से इस बारे में वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा।

मुल्की नियमों के बारे में आप पहले ही उल्लेख कर चुके हैं।

अमरीकी गुप्तचर एजेन्सी की गतिविधियों के बारे में सरकार के लिए और अधिक कहना सम्भव नहीं होगा।

अमरीकी गुप्तचर एजेन्सी की गतिविधियों के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिये। इस विषय पर चर्चा करने से सरकार बहुत कठिनाई की स्थिति में पड़ जायेगी अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय पर सभा में चर्चा करने के लिए जोर न दें।

श्री समर गुह : यह आश्चर्य है कि मन्त्री और सत्तारूढ़ दल के सदस्य सदन में और सदन के बाहर अमरीकी गुप्तचर एजेन्सी पर आरोप लगाते रहे हैं लेकिन अब वह कहते हैं कि उन्हें इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याहन् भोजन के लिये 3 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fifteen of the clock

लोक सभा मध्याहन् भोजन के पश्चात् तीन बजकर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then re-assembled after lunch at Four minutes past fifteen of the clock

{**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए}
{**Mr. Speaker** *in the Chair*}

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : EIGHTEENTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILL AND RESOLUTIONS

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 18वें प्रतिवेदर्न से, जो 15 नवम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के 18वें प्रतिवेदन से, जो 15 नवम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

कम्पनी (संशोधन) विधेयक
COMPANIES (AMENDMENT) BILL
(धारा 226 और 619 का संशोधन)

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(अनुच्छेद 22, 32 आदि का संशोधन)

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

पुस्तकों तथा समाचार पत्रों का परिदान (लोक ग्रन्थालय) संशोधन विधेयक क बारे में
Re. Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Amendment Bill

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : आपकी अनुमति से मैं पुस्तकों तथा समाचार पत्रों का परिदान (लोक ग्रन्थालय) संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

खान (संशोधन) विधेयक
MINES (AMENDMENT) BILL

(धारा 12, 64 आदि का संशोधन)

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खान अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि खान अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री रामनारायण शर्मा (धनबाद) : मैं विधेयक का विरोध करना चाहता हूं। ये खंड पहले ही संयुक्त समिति के विचाराधीन है। यह विधेयक संयुक्त समिति के सामने प्रस्तुत विधेयक के समान है। इस आधार पर मैं विधेयक का विरोध करता हूं। यह नियम 67 के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में स्पष्ट होना चाहूंगा और यह भी चाहूँगा कि मन्त्री महोदय इस बारे में अपने विचार प्रकट करें मैंने इसलिए कहा है कि उक्त विधेयक अब पुरःस्थापित किया जाता है। अब प्रश्न यह है

"कि खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक–
COIR INDUSTRY (AMENDMENT) BILL

(धारा 10,20 आदि का संशोधन)

श्री एस०सी सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion Was Adopted

श्री एस०सी० सामन्त : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक
DELHI RENT CONTROL (AMENDMENT) BILL

(धारा 2 का संशोधन)

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Delhi Rent Control Act, 1958

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Shashi Bhushan : I introduce the Bill.

गो–वध रोक विधेयक

PREVENTION OF COW SLAUGHTER BILL

उपाध्यक्ष महोदय : हम श्री भारत सिंह चौहान द्वारा सितम्बर, 1972 को प्रस्तुत निम्न-लिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा आरम्भ करते हैं :—

"भारत में गोवध रोक सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये"

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Sir, I opposed this Bill and sombody has to threatened to Kill me.

श्री एस०एम० बनर्जी : ये मेरी पार्टी के सवाल हैं। यह बड़ा गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय यह महत्वपूर्ण है, मैं इस बारे में सहमत हूँ; परन्तु मैं सदन की प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना चाहता हूं। इस समय हम एक विशेष विधेयक पर बहस कर रहे हैं। अगर आपका व्यवस्था सम्बन्धी कोई प्रश्न हो, तो मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूं।

श्री एस०एम बनर्जी : आप कृपया एक मिनट तो मेरी बात सुन लें। मेरे मित्र श्री झारखण्डे राय ने इस विधेयक का विरोध किया था, इसके परिणामस्वरूप 6 अक्तूबर, 1972 को उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार है :—

"Jharkhande,

You should be ashamed that you had uttered. Certain words with your dirty tongue on the Bill to ban cow slaughter moved by Hon'ble Shri B.S. Chouhan in Lok Sabha. **You are the greatest enemy of Hindu religion.** You should feel ashamed that you drink the milk of mother Cow. A filthy blood is running in your veins.

I swear by mother cow. "I would kill your family mambers and all your dear relatives to pieces and through theie pieces at the feet of mother cow. I would subject you to an unheard of tarture." you can not even think that you have to pay a very heavy price for your words. The person who is the enemy of Hindu religion woud get the same punishment you are going to get.

On the advice of other friends you are warned to move a Bill for banning the cow sloughter in Lok Sabha immediately and if cow slaughter is banned immediately you would be spared, otherwise you know I am the citizen of a country, whose citizen honible Shri Udham Singh had shot dead General O' Dyer in the laters own country, you are only in India.

Chairman, Khuni Gan Hatya Audolan.

इस की मूल प्रति लिफाफे सहित गृह मन्त्री, श्री मिर्धा को भेज दी गई है। पत्र की एक प्रति अध्यक्ष महोदय को भेज दी गई है। विधेयक पर भाषण करने के लिए अगर किसी सदस्य को इस प्रकार से धमकी दी जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे पूरा संरक्षण दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का पत्र लिखना एक गम्भीर बात है। पत्र जांच के लिए और संरक्षण हेतु गृह मन्त्रालय को भेज दिया है।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : At quarter to 12 on the 14 th instant, I was warned through a telephone call that if I do not take steps to get such a bill passed, I would be shot dead.

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि सदस्य ने इसका उल्लेख किया है और रिकार्ड में यह दर्ज हो चुका है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि मामले में क्या किया जा सकता है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आज हम एक वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं। कुछ व्यक्ति हमारा ध्यान बंटाकर हमें अन्धविश्वास के युग में ले जाना चाहते हैं, वे देश को 4000 वर्ष पूर्व के युग में ले जाना चाहते हैं, वे यह दिखाना चाहते हैं कि अकेले वे व्यक्ति ही देश में गोरक्षक हैं।

1935 में पशुओं की संख्या 25 करोड़ थी, 1962 में इनकी संख्या 45% बढ़ गई थी। अब इनकी संख्या फिर से 25 करोड़ हो गई है। अच्छे और उपयोगी जानवरों की हत्या नहीं की जा रही, बेकार जानवरों को ही कसाईखानों में भेजा जा रहा है। हमारी जनसंख्या 2.3% की दर से बढ़ रही है और इस शताब्दी के अन्त तक वह बढ़कर 100 करोड़ तक पहुँच जाने की सम्भावना है। इस साल सूखे के कारण आंध्र प्रदेश में 50% जानवर मर चुके हैं और अगर पर्याप्त सहायता नहीं दी गई' तो बाकी जानवर भी मर जायेंगे। इसलिए कुछ लोगों की प्रसन्नता के लिए अनुपयोगी पशुओं की संख्या में वृद्धि नहीं की जा सकती। जैसा कि पं० नेहरू कहा करते थे, इस देश में पहली, दूसरी, 10 वीं, 15 वीं, 19 वीं और 20 वीं, शताब्दी के लोग रहते हैं।

कुछ लोग इस प्रकार का विधेयक लाकर राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन वे इसमें सफल नहीं होंगे। राजनीति में धर्म मिलाने से उन्हें करारी हार खानी पड़ी। मैं प्रस्तावक से अनुरोध करता हूं कि वह अपना विधेयक वापस ले लें, जिससे वह मतदान में पराजित न हो जाये।

Dr. Govind Das (Jabalpur) : I heartily support this Bill. It is very surprising that cow, slaughter is continning in this country even after 25 years of our independence. It is said that communal Hindus want ban on cow slaughter. Gandhiji or Vinobaji, could not be called communalists. The ban on cow slaughter is a question of cultural and economic development.

It is a fact of history that there was a ban on cow slaughter even duing the period of Mughul emperors. So far as Government is concerned, it has accepted the policy of ban on cow Slaughter and it had appointed a committee to examine all the matters. It was expected that a report would be submitted within a period of six months, but no report has been submitted so far. We have come to know that the chairman of the committee, Shri Sarkar was resigned. The Government would remove all the obstacles in the functioning of the committee and should appoint a new chairman in his place.

The supreme court was also held that cow and calves should not be slaughtered, but bulls might be slaughtered. The Government should at least implement the Supreme court's decision.

Previously Congress was not in power in some of the states, but now it has vast majority in Lok Sabha and Rajya Sabha and also in almost all the States. Now the Government should bring forword a legislation on this matter to amend the cosititution. We have already amended it many times.

I was a member of the constituant Assembly and then I had suggested that there should be a provision of referendum in our constitution, but it was not provided for in the constitution. If the Government want to know the opinion of the masses, it may hold an opinion poll. The vast majority of Hindus as well as Muslims in favour of a ban on cow shoughter.

I would like to advise all the Congress Members that no whip has been issued over this issue and they are free to vote for or against the Bill. I wholehearted support this Bill and they should also vote for it without thinking who has moved the Bill.

If we want to produce more foodgrains, we would need bulls for farming and cowdung as manure. The cow milk is good for health. Erom cultural and economic point of view, complete ban on cow slaughter is absolutely necessary.

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : श्री भारत सिह चौहान द्वारा पेश किये गये गोवध विरोध विधेयक का मैं समर्थन करने की स्थिति में नहीं हूं। विधेयक का विरोध करने के कुछ ठोस कारण हैं।

हमारे देश की जनसंख्या 55 करोड़ है। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब लोगों को घास भी खाने को न मिले। बढ़ती हुई महंगाई का कारण सरकार तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या बताती है। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है, मगर फिर भी वे जनता को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं।

पशुओं की आबादी मनुष्यों की आबादी की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रही है। दिल्ली की गलियों में काफी संख्या में आवारा घूमते हुए पशु इसका साक्षात प्रमाण हैं। दिल्ली की सड़क दुर्घटनाओं का एक कारण ये आवारा घूमते हुए पशु भी हैं।

वर्ष 1966 में हमारे देश में 17.61 करोड़ रुपये मूल्य के पशु थे। इस समय उनकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपये है। इस समय देश में 50 पशु विकास परियोजनायें हैं और प्रत्येक परियोजना में 1,00,000 गायों की देखभाल की जाती है। चौथी योजना के दौरान 37 ऐसे केन्द्र चालू किये जाने हैं। इसके अलावा 6 पशु नस्ल सुधार केन्द्र हैं और 510 गाय खण्ड हैं। अगर हम चाहते हैं कि उपर्युक्त परियोजनायें सफल हों, तो हमें इस विधेयक का समर्थन नहीं करना चाहिए।

विश्व के किसी भी देश में गोपूजा आदि का अन्ध विश्वास नहीं है। पश्चिमी देशों के अधिकांश व्यक्ति यह समझते हैं कि भारतीय गाय, सर्प और वृक्षआदि की पूजा करते हैं। अगर हम यह विधेयक पारित करते हैं, तो हम अपने अंधविश्वास को कानूनी संरक्षण देते हैं। हम सारे विश्व में हंसी के पात्र बनेंगे। हमारा लक्ष्य तो अच्छी नस्ल की दुधारू गायों की रक्षा करना होना चाहिए।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : We should feel ashamed that cow slaughter has not been banned even after twenty five years of independence. Even the Father of the nation, Gandhiji had given preference to cow, protection to freedom at a later date.

According to 'Shatpath Brahman' cow is better than a water fall cow could be taken to any other country whereas waterfall could not be. It is a historical fact that when columbas had gone to America for the second time, he had taken with him 40 Cows and two bulls. Now there are millions of cows and calves.

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated versio nbased on English translation of the speach delivered in Tamil.

It is argued that it is a Scientific age and an age of Progress and therefore a ban on cow slaughter is uncalied for in such an age. I would like to know whether we do not see with our eye, listen with our ears, take food with our mouth or smell with our nose. 'Then, how is it unscientific or retrograde to protect the cow ?

It is also said as to what should be done with the useless animals. Even if a cow does not yield milk, its urine and cow dung is useful as manure. Now if ceiling on land holdings is being imposed, bulls would be required for farming. Small farmers can not afford to have tractors for 8 or 10 acres of land.

A vast majority of Indian population has a feeling of respect for cow. The Government should not ignore that fecling. Some of the Members have stated that some people want to make a political capital out of this movement. But why does Government give a chance to them to make political gains ?

Recently, I had written a letter to the Minister of Agriculture. He has replied that he would write to those of the States where no such legislation has been passed. I request that he would remove the discontent of the masses.

Shri Ramji Ram (Akberpur) : I rise to oppose this Bill. I want to know from the hon. members who has introduced the Bill as to whether they are real cow worshippers ? It is well known that real cow worshippers are not those who take to loudly about the mother cow, but those untouchables who carry the dead cow on their shoulders. In fact untouchables are real protectors of Hindu religion.

Religious sentiments have been added to the cow protection. I am also not against cow protection. But how is it that no such religious sentiments arise at the miserable slight of 15 crores of untouchables of our cuntry ? Why have not the propagators and supporters of cow protection offerd Satyagraha over the atrocities committed on the Harijans.

This house should think over the issue with a most unpresudicial manner. It may not be possible to get Harijan votes by using such tactics. Shri Vajpayee should realise the feelings being expressed thorough my speech. You should first finish the social and religious slavery in the country and then talk of cow protection. You can talk about incident at the kingsway camp but you have nothing to say about the Harijan boy who was subjected to death by burnning after spinkling oil.

With these words, I strongly oppose the Bill.

Shri Som Chand Solanki (Gannhinagar): It is not proper to link the condition of cow with the untouchables as is done by the hon members just now. It makes no sense to hold the cow responsible for the plight of Harijans. It is not proper to slaughter the cow both from economic and religious point of view. It is not good to oppose this resolution simple because it was moved by a member from opposition party.

{ **उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए }
{ **Mr. Depty Speakers** *in the chair* }

People of the country are aware of the reason behind opposing this motion. The Government should examine the issue thoroughly, accept the resolution and stop the cow slauguter.

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए निश्चित समय समाप्त हो गया है । सदन क्या चाहता है ?

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ाइये ।

अध्यक्ष महोदय : कितना ? (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : एक घंटा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आधा घंटा पर्याप्त होगा।

Shri Atal Bihari Vajpapee (Gwalior) : Makers of the constitution had in view the preservation and unproving the breeds and prohibiting the slaughter of cows as laid down under article 48 of the constitution.

The question is whether the state fulfils the duties entrusted under the coustitution. The question is neither religious nor communal. The demand to ban cow slaughter is being termed as political and communal.

It is not proper to orgue that the numbers of cattles will increase incase unprofitable cattles are not slaughtered. Question is as to what should be done with the unprofitable cattles. The Government has framed laws for the unprofitable cattle houres can be constructed for such cattle.

Government has set up a committee on banning the cow slaughter but there is a controversy in the committee on this question. Government should came out with clear policy announcement over the issue and decide in priciple the question of banning the cow slaughter.

The question of Harijan welfare is different one and their condition should be ameliorated. The issue of atrocities committed on Harijans should not be linked with the issue under discussion.

Shri Shambhu Nath (Saidpur) : Divergent views have been expressed over the question of banning cow slaughter. Those who want the country to develop should face the challange of such elements who want the ban on cow-slaughter purely on religious and commural grounds. The congress government is responsible for the circumstances which led to the flouristing of communal organisations like R. S. S.

Our society had been a hot-bed of exploitation at the hands of Brahmins and businessmen. Brahmins and cow also figured prominently in the religious and death ceremonies of Hindus. After all does the cow bring salvation ? If this is the case for banning cow slaughter, then we will oppose it to the last.

Nobody can ignore its economic aspect. Those who demand ban on cow slaughter should first come forward to protect the life of cows which do not yeild milk and use found woundring here and there and than talk of banning the cow slaughter.

Only those caws which give milk should be protected. Only businessmen, Brahmins or rich people send their cows to the slaughter houses. So for as it economic aspect is cancerned, nobody in our country will dispute the protection of cow breed but at the same time nobody should object the slaughter of uneconomic cows.

Shri Ramkanwar (Tork) : I support this resolution. The ruling party had been winning the election and ruling the country on the symbal of cow. It is strange that the same party is cpposing the ban on cow slaughter.

So many scheduled caste members have been returned to this house by the people and the raeson for their winning the election is not that they were explaited by the brahmins and businessmen. I can say that no untauchable will like the continuance of cow slaughter with these words I support the Bill.

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : We should think over the issue of banning cow slaughter with a cold mind. Our country is suffering from economic disparities The Communalists and capitalists in our country are responsible for creating such economic disparities. If there is a will and we think that cow is a profitable animal, then we can frame laws to ban its slaughter. All the issues are solved on party and political considerations.

It is said that injustice is done to the Harijans. We should not mind about what our hon. members from the harijan community said about the ban on cow staughter we should attend to the difficulties of harijans. All of us sitting here should come together and solve this issue.

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : Both the supporters and opponents of the Bill have advanced their arguments. Cow slaughter is not a communal issue. This is an economic issue connected with the development of the country. Our constitution has recognised special position of cows. As a result of constitutional provision, 11 States have prohibited cow slaughter. These are a few States which have not done it so far. The Government of India want to implement the Directive Principles and have written to those States which have not yet imposed the ban.

The cow Protection Committee which had been re-organised is seized of the matter. This committee is going to meet in December to consider this matter. It is hoped that the committee will submit its report by 31st March, 1972.

Cow protection fulls within the jurisdiction of the states. Parliament have therefore, no legislative jurisdiction to enact a law on this subject. In case we pass this Bill it will be struck down by the Court of law. Government is not against the spirit of the Bill. The Mover, may therfore, withdraw the Bill.

Shri Bharat Singh Chawhan (Dhar): So many arguments were advanced against the Bill by those who opposed it. Even the scientist have agreed that-caw slaughter should be banned in aagriculturists country like India. From a economic point of veiw also. Cow pro. tection is of great importance to us. It is really regretable that we have not been able to find a solution to the problem of cow slaughter even during 25 years of our independence. It may be pointed out that there is no political motive in bringing forward this Bill. All of us should mak determined efforts to get the caw slaughter banned. The Bill should be passed.

उपाध्यक्ष महोदय : विचार करने के प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व मैं यह बताना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने मुझे सूचित किया है कि यह विधेयक सदन की विधायी क्षमता से बाहर है। इसके पारित हो जाने के उपरान्त भी इसे न्यायालय द्वारा खारिज किया जा सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो कोई बात नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु यह बात उन्हें विधेयक के पुर: स्थापन के समय बतानी चाहिये थी। यह आपत्ति उसी समय उठायी जानी चाहिये थी। परन्तु यदि हमने इस पर विचार करके पहले गल्ती की है तो इसमें कोई कारण नहीं हम अब उसे न सुधारें। इसलिए इस प्रस्ताव को मतदान के लिए रखने के साथ ही मैं यह अनुरोध करूंगा कि मंत्री महोदय के इन विचारों को भी ध्यान में रखा जाये। प्रश्न यह है :

"कि भारत में गोवध पर रोक लगाने के विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	**11**	Ayes 11
विपक्ष में	73	Noes 73

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 240 और प्रथम अनुसूची का संशोधन)

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

संविधान के अनुच्छेद 240, धारा (1) की उप-धारा (क) में "अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों" शब्दो के स्थान पर "शहीद और स्वराज्य द्वीप" शब्दों को रखा जाये।

संविधान की प्रथम अनुसूची में "II संघ राज्य क्षेत्र" शीर्षक के अन्तर्गत "5. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह" आंकड़ों तथा शब्दों के स्थान पर "5. शहीद और निकोबार द्वीप समूह" आंकड़े तथा शब्द प्रति स्थापित किए जाये ।

ऊपर से देखने पर तो यह विधेयक बहुत ही साधारण मात्र दिखाई देता है । परन्तु वस्तुत: यह बहुत ही अर्थपूर्ण है । विधेयक का मुख्य उद्देश्य अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों का पुन: नामकरण करना है । इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है । इसी कारण यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । 1857 के स्वाधीनता संग्राम के तत्काल पश्चात अंग्रेजों ने इस जेल के रूप में इस्तेमाल किया था । बाद के स्वाधीनता संग्राम में भी अनेक देश-भक्तों तथा राजनैतिक बन्दियों को यहां जेल में जीवन काटना पड़ा ।

आज हम स्वाधीनता की रजत जयन्ती मना रहे हैं परन्तु फिर भी यह हैरानी की बात है कि देश पर अपना जीवन न्यौछावर करने वालों की पावन स्मृति में इन द्वीपों के नाम बदलने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

लोक मान्य तिलक, वरीन्द्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, लाला लाजपतराय, वी० डी० सावरकर तथा कई अन्य महापुरुषों का अन्डमान द्वीपसमूहों से सम्बन्ध रहा है ।

{ **श्री सेझियान** पीठासीन हुए }
{ **Shri Sezhiyan** *in the Chair* }

हमारा यह भी सतत प्रयास रहा है कि उपनिवेशवाद के अवशेषों को समाप्त किया जाए । विदेशी शक्ति ने देश की महान आत्माओं को यहाँ पर जेल में भेजा और उन्होंने यहां पर एकान्त में अपना जीवन व्यतीत किया । इन्हीं स्वतन्त्रता सेनानियों के पवित्र त्याग तथा बलिदान के परिणामस्वरूप हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । अत: इनका नाम बदला जाना अति आवश्यक है ।

आज देश में भारी परिवर्तन हो रहे है । अत: इन परिस्थितियों में इन द्वीपों के नाम परिवर्तन का महत्व और भी अधिक हो जाता है । द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नेता जी सुभाष चन्द्र बोस इन द्वीपों पर उतरे थे तो सबसे पहले उन्होंने यह घोषणा की थी कि स्वतन्त्रता सेनानियों की पुण्य स्मृति में इन द्वीपों का नाम बदल कर शहीद और स्वराज्य द्वीप रख रहे हैं । इस विधेयक में भी यही व्यवस्था की गई है ।

स्वाधीनता संग्राम के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीपों की जेल में जीवन व्यतीत करने वाले सेनानियों और नेता जी सुभाष बोस की पावन स्मृति में इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज्य द्वीप रखा जाना चाहिए ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को 21 मई, 1973 तक जनमत संग्रह के उद्देश्य से परिचालित किया जाए ।"

यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इस प्रकार का विधेयक सदन के सन्मुख लाया गया हैं। स्थानों का नाम परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। अतः इस नाम परिवर्तन में कोई कठिनाई नहीं होगी।

आज देश भर में नगरपालिकाये आदि गलियों, सड़कों आदि का नाम बड़े आदमियों के नाम पर रख रही हैं। अतः यह एक बहुत ही अच्छी माँग है। सरकार यह भी कह सकती है कि किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य नाम भी सुझाया जा सकता है। इसलिए इसको विचार में रखकर ही मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि विधेयक को जनमत संग्रह के विचार से परिचालित किया जाए। मेरा विचार है कि सरकार इससे सहमत होगी।

हमने इन द्वीप समूहों के प्रति कुछ सम्मान पहले ही प्रकट किया है जबकि हमने इस जेल के अन्धेरे में सेलों में जीवन बिताने वालों को पेन्शन देना स्वीकार किया। अतः इन द्वीप समूहों के पुनःनामकरण से हम इन द्वीपसमूहों के प्रति और भी सम्मान प्रकट करेंगे। मैं सदन से तथा सरकार से अनुरोध करता हूँ कि विधेयक को जनमत संग्रह के विचार से परिचालित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को 21 मई, 1973 तक जनमत संग्रह के उद्देश्य से परिचालित किया जाए।"

श्री **दशरथ देव** (त्रिपुरा पूर्व) : इन द्वीपों के पुनः नामकरण से पूर्व हमें जनता की राय अवश्य ही जाननी चाहिये। हमें यह जान लेना चाहिये कि इन द्वीपों के वासी इन नामों से सहमत हैं अथवा नहीं। हमने कई अन्य स्थानों के नामों में परिवर्तन किए है। परन्तु केन्द्र ने नाम थौंपे नहीं। उन क्षेत्रों के लोगों ने जो नाम चाहे वही नाम उन्होंने रखे। अतः यहां पर भी वहां के वासियों के विचारों को जानना अति आवश्यक है। स्थानीय जनसंख्या के विचारों का सम्मान प्रजातन्त्र का सर्वप्रथम सिद्धान्त हैं।

श्री सी० चित्तिबाबू (चिंगलपुट) : * अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों का नाम बदलना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इनके इस नाम के लेते ही हमारी आखों के सामने देश के शहीदों पर की गई यातनाओं का चित्र आ जाता है। परन्तु इस नाम परिवर्तन से पूर्व वहाँ के वासियों के विचारों को इस बारे में अवश्य जान लेना चाहिये। अतः विधेयक को जनमत संग्रह के लिये परिचालित करने के प्रस्ताव से मैं पूर्णतया सहमत हूँ।

परन्तु मैं यहां पर इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि तमिळ राज्य के एक महापुरुष श्री चिदमबारानर ने अपने सीमित संसधानों से एक जलपोत का निर्माण करके सबसे पूर्व उसे पोर्ट ब्लेयर भेजा था अतः पोर्ट बलेयर का नाम चिदमबारानार रखना सर्वोत्तम होगा। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में असंख्य तमिल लोग रहते हैं। अतः तमिलनाडु के अनेक सेनानियों में से यदि कोई नाम इन द्वीप समूह को दिया गया तो तमिल भाषा भाषी इसे बहुत बड़ा सम्मान समझेंगे। इस नाम परिवर्तन से पूर्व लोगों की राय जानना एक लो.तांत्रिक भावना समझी जायेगी।

---

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on the English translation of speech delivered in Tamil.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Before I support the bill I would like to point out that there are certain discrepencies in the names mentioned in the statement of objects and Reasons of the Bill. This is due to the fact that we do not know much of these Islands. These Islands were known as "Kala Pani" throughout the country since 1903-1905, when armed struggle to end the colonial British rule begane in the Country.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें। अब हम आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

कार्य मन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

18 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का 18 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

शिक्षा संस्थाओं के ढांचे में परिवर्तन**

CHANGES IN STRUCTURE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

श्री समर गुह (कन्टाई) : पश्चिम बंगाल सरकार का यह निर्णय बहुत ही उतावला और बेतुका था कि अगले वर्ष से शिक्षा के वर्तमान ढाँचे में परिवर्तन किया जाये। परन्तु यह प्रसन्नता की बात है कि कम से कम इसे 1974 तक स्थगित कर दिया गया है। हम मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि क्या 11 वर्षीय स्कूल-पाठ्यक्रम और त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन करने के निर्णय से पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया था।

इस प्रणाली में परिवर्तन के दो आधार ही संकेत हैं। पहला तो यह है कि उच्चत्तर माध्यमिक स्तर के लिए 11 वर्षीय वर्तमान प्रणाली असफल हो चुकी है और दूसरा आधार संभवतया एक समान राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति लाने का है।

जहां तक पहली बात है मेरा अपना अनुभव यह है कि अंग्रेजी के विषय के अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के अन्य सभी विषयों में छात्रों ने अच्छे परिणाम दिखाये हैं। यदि इस प्रणाली मे कोई कमी अथवा दोष आया है तो वह प्रणाली का नहीं है। उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं।

11 वर्षीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का मानविकी, विज्ञान, कृषि तकनीकी पाठयक्रम आदि वर्गों में विविधीकरण करना है। जिससे कि इसे व्यावहारिक और रोजगार प्रधान बनाया जा सके। अतः इस बारे में यदि असफलता है तो वह सरकार की है क्योंकि सरकार बाद की शिक्षा में रोजगार प्रदान करने में असफल रही है और फिर सारे देश में स्कूल पाठयक्रम और डिग्री पाठयक्रम की अवधि के बारे में कोई एकात्मकता नहीं है। इस बारे में सरकार नितान्त असफल रही है।

** आधे घन्टे की चर्चा
Half An Hour Discussion.

यदि सरकार शिक्षा के ढांचे में, और शिक्षा नीति में परिवर्तन करे तो उस से मुझे प्रसन्नता होगी। परन्तु वह प्रसन्नता तभी होगी जब शिक्षा के इस वर्तमान ढाँचे के स्थान पर राष्ट्रीय ढाँचे को अपनाया जाए।

ऐसी बातें जल्दी में नहीं की जानी चाहिये। संस्थाओं की नीति, पाठ्यक्रम और संरचना आदि के बारे में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और इसके लिए पूर्व योजना तैयार की जानी चाहिये। सर्व प्रथम समस्त देश के प्रथम दस वर्ष, उसके दो वर्ष के बाद के लिये और उस के बाद तीन वर्ष के लिये समान पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। 35 अथवा 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।

शिक्षा को जनसाधारण के लिए रोजगार प्रधान अथवा व्यावहारिक बनाया जाना चाहिये। किसी भी परिवर्तन से पहले उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से अपने सामने रखा जाना चाहिये।

पश्चिम बंगाल में जूनियर कालिज खोलने की योजना बनाई गई है। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में भी इस बारे में उल्लेख किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 12 वर्ष तक शिक्षा स्कूल आधारित होनी चाहिये। जूनियर स्कूल खोलने से और अधिक समस्याएं उठ खड़ी होंगी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। यदि सरकार जूनियर कालेज खोलती है तो इन सभी भवनों, पुस्तकालयों और वर्कशापों का क्या बनेगा।

ग्यारहवीं श्रेणी को पढ़ाने के लिए अधिकतर विशेष योग्यता प्राप्त अध्यापकों की आवश्य- है। यदि सरकार 10 वर्ष का पाठ्यक्रम आरम्भ करती है और जूनियर कालेज आरम्भ करती है तो वह कैसे इन लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था कर सकेगी? अत: इस बारे में सरकार को सावधानी बरतनी चाहिये।

सरकार को इस बारे में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। शिक्षा मन्त्री को इस बारे में केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए: यदि सरकार रोजगार प्रधान उद्देश्य के लिए समान शिक्षा नीति, संस्थानिक ढांचा, समान पाठ्यक्रम आरम्भ करना चाहती है, तो पाठ्य पुस्तकों के लिखने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : शिक्षा सम्बन्धी ढाँचे में परिवर्तन करने के बारे में राज्य सरकारों को निर्णय लेना है उन्हें इस अपने कर्त्तव्यों को केन्द्रीय सरकार पर नहीं थोपना चाहिये। इस बारे में हम काफी सतर्क रहे है। शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण हमने इस सम्बन्ध में राज्य के शिक्षा मंत्रियों की पूर्ण सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लिया है।

मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार का निर्णय बेतुका है। राज्य सरकार ने बताया है कि इस बारे में शिक्षा सम्बन्धी निकायों और अध्यापकों के सगठनों से परामर्श लिया गया है और वे बहुमत से डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा और इसके पश्चात जूनियर कालेजों में दो वर्ष के पाठ्यक्रम के पक्ष में थे। अनेक शैक्षिक संस्थाओं और सामान्य जनता में व्याप्त असंतोष पर ध्यान देते हुए सरकार ने पहले ही यह निर्णय किया है कि इस नई पद्धति को 1 जनवरी 1973 को लागू करने की बजाए 1 जनवरी,

1974 से लागू किया जाये। इस के परिणामस्वरूप सरकार को तथा अनेक लोगों को स्वयं को अनुकूल परिस्थितियों में ढालने का अवसर मिलेगा।

डा० डी० एस० कोठारी के नेतृत्व में नियुक्त शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्कूल की शिक्षा लगभग 12 वर्ष और प्रथम डिग्री के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा 3 वर्ष से कम न करने का सुझाव दिया था। शिक्षा आयोग ने यह भी अनुभव किया कि सामान्य शिक्षा 10वीं कक्षा तक जारी रहनी चाहिये और 10वीं कक्षा से पूर्व कोई भी विविधीकरण नहीं किया जाना चाहिये।

हम राज्य सरकारों से शीघ्रता से जिला शैक्षिक सर्वेक्षण और जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण आरम्भ करने का अनुरोध कर रहे हैं जिससे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण के अर्थ पूर्ण कार्यक्रम को आरम्भ किया जा सके। हमें आशा है कि अधिकांश छात्रों को, जिन्होंने 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त की है उन्हें कोई अच्छा कार्य न मिलने पर कालेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिल होने के लिये विवश नहीं किया जाना चाहिये। स्वभावतया इससे देश के रोजगार के अवसरों में कुछ परिवर्तन होगा।

केरल, मैसूर और आँध्र प्रदेश राज्य एक पद्धति को पहले ही अपना चुके हैं।

सरकार पाठयक्रम के बारे में पूरी तरह सजग है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि प्रत्येक अन्तिम चरण की समाप्ति पर समूचे देश में शिक्षा में समानता हो। भारत सरकार ने इस मामले में एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की है जो इस बारे में गम्भीरता से जांच कर रहा है। जिससे इस दल की सिफारिशों को सब राज्य सरकारों को परिचालित किया जा सके। इसके पश्चात राज्य सरकारें अपनी प्रतिक्रियाएं केन्द्रीय सरकार को भेजेंगी जिससे एक रूपता लाई जा सके।

माननीय सदस्य इस बात से संतुष्ट होंगे कि अब हम उच्चतम माध्यमिक शिक्षा को रोज-गार प्रधान बना रहे हैं।

जहां तक प्रयोग शालाओं तथा ग्यारहवीं कक्षा को पढ़ाने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापकों का प्रश्न है मुझे इस बारे में कोई शंका नहीं है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इन प्रयोगशालाओं तथा अध्यापकों का पूरा लाभ उठायेगी। इस बात का भी आश्वासन दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति की छटनी नहीं होगी और किसी भी व्यक्ति के वेतन मानों को कम नहीं किया जायेगा।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 21 नवम्बर, 1972, 30 कार्तिक, 1894 **(शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक लिये स्थागित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Teusday, Nevember, 21. 1972 Kartika 30, 1894 (Saka)

Printed at the Sumer Printing Press, New Delhi-18